उत्तर प्रदेश

के

पुलिस प्रशासन

की

रिपोर्ट

१९५९

मुद्रक

क, राजकीय मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद

१९६४

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह विभाग

पुलिस--क

सं० ३६६८/८-ए--२२०-६०

लखनऊ, दिनांक......अगस्त, १९६१ ई०

संकल्प

पढ़ी गई--उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस प्रशासन की १९५९ की रिपोर्ट

पर्यालोचनायें

१--सामान्य दशा--वर्ष १९५९ के दौरान में आन्दोलनों, हड़तालों, नगरपालिका निर्वाचनों, विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन तथा शान्ति और व्यवस्था से संबन्धित अन्य अनेक कार्यों के कारण राज्य की पुलिस को कठोर परिश्रम करना पड़ा। इलाहाबाद के अर्ध कुम्भ के मेले का प्रबन्ध पुलिस पर एक अतिरिक्त भार पड़ा। इलाहाबाद और कानपुर में दो ऐसी दुखद घटनायें हुईं जिनके फलस्वरूप अव्यवस्था फैल गई और हिंसात्मक कार्य किये गये और पुलिस को शान्ति और व्यवस्था पुनः स्थापित करने के लिये आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करना पड़ा। इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों के आन्दोलनों तथा कानपुर में महिला हाकी मैच से सम्बन्धित विद्यार्थियों के झगड़े से उत्पन्न परिस्थितियों के समय प्रशासन को बहुत चिन्ता रही। यह सन्तोष की बात है कि पुलिस ने इन सभी कठिन अवसरों पर इस भारी परिश्रम को बड़ी प्रसन्नता से और बड़े नियन्त्रण के साथ किया।

कुछ साम्प्रदायिक घटनायें भी हुयीं, किन्तु उनसे परिस्थिति को बिगड़ने नहीं दिया गया। पुलिस और जनता के सम्बन्धों में सुधार करने के लिये बराबर प्रयत्न किये गये। सूचना कक्षों, द्रुतगामी दलों, खोये हुये बच्चों को ढूंढ़नेवाले दलों "हमारे लिये कोई सेवा दलों" आदि ने अच्छा कार्य किया और अधिकांश जिलों में पुलिस द्वारा संगठित किये गये विनय पक्षों (Courtesy fortnight) और अपराध निरोधक सप्ताहों के फलस्वरूप जनता से पुलिस का सम्पर्क और अधिक घनिष्ट हो गया।

२--अपराध--सरकार को विदित है कि सच्चे हस्तक्षेप्प, अभिलिखित मामलों की संख्या १९५८ के ६६,१५४ से घटकर इस वर्ष ६४,२७२ हो गई, यद्यपि १९५८ के आपराधिक आंकड़ों की तुलना में आलोच्य वर्ष में डकैती, राहजनी तथा हत्या के मामलों में थोड़ी सी वृद्धि हुई। किन्तु पुलिस डकैती की समस्या का सामना बड़े उत्साह के साथ करती रही और वह कुख्यात डाकुओं के भीषण गिरोहों को नष्ट करने में सफल हुई। ग्राम प्रतिरक्षा समितियां समस्त राज्य में अच्छा कार्य करती रहीं और उनके सदस्यों ने साहसपूर्वक डाकुओं के गिरोहों का सामना किया।

३--अपराधों का पता लगाना--१९५९ में जितने मामलों की रिपोर्ट की गई उनकी तुलना में सिद्धदोष मामलों के प्रतिशत में कुछ सुधार हुआ। अनुसन्धान

किये गये सच्चे मामलों की तुलना में सिद्धदोष मामलों के प्रतिशत में थोड़ी सी कमी हुई। प्रथम प्रकार के मामलों के सम्बन्ध में इस प्रतिशत में १९५९ में २५ प्रतिशत तक सुधार हुआ। जबकि १९५८ में २४.५ प्रतिशत सुधार हुआ था और दूसरे प्रकार के मामलों के सम्बन्ध में यह प्रतिशत १९५८ के २७.८ से घटकर १९५९ में २५ हो गया। निर्णीत मामलों की तुलना में सिद्धदोष मामलों का प्रतिशत १९५८ के ६४ की तुलना में ६३ था। यद्यपि विगत वर्षों की सफलताओं के समान ही इस वर्ष के आंकड़े सन्तोषप्रद हैं, फिर भी यह आशा है कि अनुसन्धान कार्यों में वैज्ञानिक साधनों के और अधिक प्रयोग किये जाने तथा जनता के और अधिक सहयोग से स्थिति में और सुधार होगा।

४—निवारक कार्यवाही—दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) की धारा १०९ और ११० के अधीन न्यायालयों में भेजे गये मामलों की संख्या में कमी हुई है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ११० के अधीन जिन व्यक्तियों के मुचलके लिये गये उनकी संख्या में वृद्धि हुई है।

५—अभिसूचना विभाग—अभिसूचना विभाग की विशेष शाखा तथा सुरक्षा शाखा अच्छा कार्य करती रही। भारत से बाहर की तथा भारत की आन्तरिक दोनों ही प्रकार की राजनैतिक स्थितियों के बदलते रहने के कारण विशेष शाखा को बहुत अधिक कार्य करना पड़ा। सुरक्षा शाखा भी बहुत से उच्च पदधारियों के आगमन के कारण पूरे वर्ष भर अत्यन्त व्यस्त रही।

६—अपराध अनुसन्धान विभाग—अपराध अनुसन्धान विभाग की अपराध शाखा ने पूर्ववत् उच्च स्तर का कार्य दक्षता के साथ पेचीदे मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही की और बहुत से महत्वपूर्ण मामलों में अनुसन्धान कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न किया।

७—प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी—प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी दल अपने कर्तव्यों का निर्वहन बड़ी सफलता पूर्वक करता रहा और राज्य के भीतरी और बाहरी दोनों ही क्षेत्रों में उसने बहुमूल्य सेवा की। उसके सिपाहियों की नैतिकता, सत्यशीलता तथा अनुशासन का स्तर उच्च रहा।

८—रेडियो अनुभाग—हाल के वर्षों में इस संगठन के कार्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है और इसकी कार्यवाहियों का क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह अनुभाग अत्यन्त लाभप्रद सेवा प्रदान करता रहा।

९—राज्य की अग्निशमन सेवा—राज्य की अग्नि शमन सेवा ने जो राज्य के पंच महानगरों में कार्य करती है, आग बुझाने तथा आग से बचाव करने के सम्बन्ध में बहुत कठिन परिस्थितियों में उपयोगी कार्य किया। उन्होंने वर्ष में ५९० अग्नि शमन सम्बन्धी मामलों में काम किया और १२६ मनुष्यों तथा ३६ पशुओं की जान बचाई। इसके अतिरिक्त लगभग एक करोड़ रुपये की सम्पत्ति भी बचा ली गई।

१०—अनुशासन—भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये लगातार प्रयत्न किये गये। राजपत्रित अधिकारियों ने समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किये और भ्रष्ट कार्यवाहियों पर अपेक्षाकृत अधिक बड़ी नजर रखी गई, अपराध को छिपाने की या उसके न्यूनीकरण की शिकायतों पर कार्यवाही की गई और बेईमानी तथा अयोग्यता की शिकायतों की दृढ़ता से जांच की गई।

११—पुरस्कार—प्रशंसनीय कार्यों एवं वीरता के लिये ५ अधिकारियों को राष्ट्रपति का पुलिस तथा फायर सर्विस मेडल और १३ अधिकारियों तथा कान्स्टेबुलों को पुलिस मेडल दिये गये।

१२—हताहत—(casualties) सरकार को इस बात का खेद है कि इस वर्ष अप कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये एक असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट, दो सब-इन्स्पेक्टर, एक हेड कान्स्टेबिल तथा ११ कान्स्टेबिल मारे गये और १ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, ६ सब-इन्सपेक्टर, ८ हेड कान्स्टेबिल तथा ३९ कान्स्टेबिल बहुत बुरी तरह से घायल हुये और उन्होंने जिस उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है सरकार उसकी सराहना करती है।

१३—उपसंहार—पुलिस ने आलोच्य वर्ष में समग्र रूप से अपना कार्य बहुत अच्छी तरह किया। राज्यपाल पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस दल के सदस्यों को उनके उच्च कोटि की राजभक्ति तथा कर्तव्यपरायणता की भावना के लिये बधाई देते हैं और उन्हें यह विश्वास है कि पुलिस दल की सत्यनिष्ठा, कार्यदक्षता तथा अनुशासन की ख्याति और अधिक बढ़ती रहेगी।

आज्ञा

आज्ञा दी गई कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को भेजी जाय।

यह भी आज्ञा दी गई कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित की जाय।

आज्ञा से,
अशोक सेन,
गृह सचिव।

भाग १

प्रारम्भिक--१९५९ में राज्य पुलिस को आन्दोलनों, हड़तालों, नगरमहापालिकाओं के चुनावों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के आगमन और साथ ही शान्ति तथा व्यवस्था से संबंधित अन्य अनेक कार्यों के कारण अत्यधिक परिश्रम करना पड़ा। इलाहाबाद में अर्द्ध कुंभ मेले की व्यवस्था करना पुलिस पर अतिरिक्त भार था। इलाहाबाद और कानपुर में दो दुखद घटनायें हुयीं जिनके फलस्वरूप जनता में अशान्ति फैल गई और बड़े पैमाने पर हिंसात्मक कार्य किये गये और पुलिस को फिर से शान्ति स्थापित करने के लिये आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करना पड़ा। इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों में आन्दोलनों तथा कानपुर में महिला हाकी मैच के संबंध में विद्यार्थियों के उपद्रव से उत्पन्न स्थितियों ने पुलिस को चिन्ताकुल कर दिया था। यह सन्तोष की बात है कि पुलिस ने इन सभी कठिन अवसरों पर इस बहुत बड़े कार्य-भार को खुशी से वहन किया।

पुलिस तथा जनता के पारस्परिक सम्बन्धों को सुधारने के लिये पूर्ववत प्रयत्न किये गये। सूचना कक्षों, द्रुतगामी दलों, खोये हुये बच्चों को ढूंढ़ने वाले दलों, "हमारे लिये कोई सेवा दलों" आदि ने प्रसंशनीय कार्य किया और द्रुतगामी दलों द्वारा अनेक अवसरों पर तुरन्त कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप काफी जटिल स्थितियां काबू में आ गईं। अधिकांश जिलों में विनय पक्ष (courtesy fortnight) तथा अपराध निवारक सप्ताह संगठित किये गये जिनसे पुलिस को जनता के और अधिक निकट लाने में अच्छी सफलता मिली।

ग्राम प्रतिरक्षा समितियों ने सम्पूर्ण राज्य में पूर्ववत अच्छा कार्य किया और उन्हें डाकुओं के दलों तथा दुश्चरित्र लोगों का अनेक बार सामना करना पड़ा। यद्यपि दुर्भाग्य से कुछ ग्रामीण ऐसा करने में हताहत हुये। बुलन्दशहर जिले के ग्रामीणों ने जिस भावना का प्रदर्शन किया वह इस सम्बन्ध में एक विशिष्ट सफलता थी जिसमें ग्राम प्रतिरक्षा समितियों ने दुश्चरित्र लोगों के आतंक का सामना करने के लिये अपने पास आग्नेय अस्त्रों को रखने के निमित्त बड़ी धनराशि का अंशदान किया। समितियों के ऐसे सदस्यों को, जिन्होंने अपराधियों का सामना करने में प्रशंसनीय, उत्साह दिखाया, बन्दूक के लाइसेंस दिये गये, पुरस्कार स्वरूप बन्दूकें, बन्दूक के लाइसेंस, नकद पुरस्कार, आदि दिये गये और जो व्यक्ति मारे गये थे उनके आश्रितों को असाधारण पेंशनें दी गईं।

राज्य पुलिस ने ९,४५८ खोये हुये बच्चों को उनके माता-पिता और संरक्षकों के पास पहुंचाने और ५१४ मामलों में पर्याप्त मूल्य की खोई हुई सम्पत्ति को उनक स्वामियों को वापस करने में जो सामाजिक कार्य किया वह सराहनीय है।

प्राकृतिक विपत्तियों के अवसरों पर भी पुलिस के सिपाहियों ने सहायता दी। बाढ़ों, अकस्मात आग लग जाने के मामलों, आदि में पुलिस कर्मचारियों ने निरन्तर कार्य किया और जरूरतमन्द लोगों की सभी संभव सहायता की। इस सम्बन्ध में उनका कार्य उच्च कोटि का रहा और सामान्यतया उसकी प्रशंसा की गई है। उन्होंने वृद्ध जनों तथा रोगियों की भी सहायता की और स्नान करने वाले कई व्यक्तियों को डूबने से बचाया।

यह सुनिश्चित करने के लिये पूर्ववत प्रयत्न किये गये कि थानों में अपराधों की सही-सही रिपोर्ट दर्ज की जायं और अपराध को घटाकर दिखाने तथा उन्हें

छिपाने की शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही की गई। इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि थानों में मामलों की सही-सही रिपोर्ट दर्ज की जायें, राज पत्रित पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुधा अनुसूचित निरीक्षण किये।

परिवाद योजना (Complaints Scheme) का कार्य पूर्ववत अच्छी सफलता के साथ होता रहा और पुलिस दल के भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई। राज्य सरकार के अन्य विभागों ने भी, जिनमें १९५८ में उत्तर योजना का प्रचार किया गया था। धीरे-धीरे इस योजना का अपेक्षाकृत अधिक उपयोग करना आरम्भ कर दिया है।

राज्य में साम्प्रदायिक प्रकार की कुछ दुखद घटनायें भी हुई थीं, किन्तु पुलिस की तात्कालिक सावधानी तथा स्थिति को युक्तिपूर्वक काबू में लाने के कारण सामान्यतया स्थिति सन्तोषजनक रही।

प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी ने राज्य में तथा राज्य के बाहर, दोनों ही क्षेत्रों में, विभिन्न समस्याओं को हल करने में अपनी कार्यदक्षता के उच्च स्तर को कायम रखा। इस दल के हमारे कुछ शूरवीर सिपाहियों ने अपने कर्तव्यों का पालन करने में अपनी जानें गवाईं।

अभिसूचना विभाग ने राज्य में बढ़ते हुये राजनीतिक तथा अन्य कार्यों के कारण अधिक कार्यभार के होते हुये भी निरन्तर अच्छा कार्य किया और विशेष शाखा ने बहुमूल्य सूचना एकत्र करके भलीभांति अपने कार्यों का पालन किया।

अपराध अनुसन्धान विभाग ने जनता में फिर से पूर्ववत् अपनी ख्याति बनाये रखी और कर्मचारियों की कमी होने पर भी, उसने कार्यक्षमता के उच्च स्तर के साथ जटिल मामलों का पता लगाया।

खेल-कूद के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी ख्याति को बनाये रखा और वर्ष के दौरान में उसने कई विजयोपहार (Trophies) जीते।

इस राज्य को मई, १९५९ में नैनीताल में अखिल भारतीय पुलिस कल्याण तथा सांस्कृतिक समारोह संगठित करने का विशिष्ट अवसर मिला जिसमें कई राज्यों ने भाग लिया। इस समारोह को बड़ी सफलता प्राप्त हुई और कल्याणकारी कार्य-कलाप के सम्बन्ध में आयोजित गोष्ठी से इस राज्य को ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों को भी अपने कल्याणकारी कार्य-कलाप में और अधिक सुधार करने की बड़ी प्रेरणा मिली।

भाग २

अपराध

२—वस्तुतः हस्तक्षेप्य अपराध—१९५९ में दर्ज किये गये वस्तुतः हस्तक्षेप्य अपराधों की कुल संख्या १,२१,४१७ थी, जबकि १९५८ में १,२८,२३६; १९५७ में १,२७,३९३; १९५६ में १,३५,३९१ और १९५५ में १,२४,७०८ अपराध दर्ज किये गये थे। इस वर्ष कुल दर्ज किये गये वस्तुतः हस्तक्षेप्य मामलों की संख्या पिछले पांच वर्षों में ऐसे मामलों की तुलना में सब से कम रही। राज्य पुलिस के लिये यह बात कुछ हद तक सन्तोषप्रद है। शीर्षक १ से ५ तक के अन्तर्गत वस्तुतः हस्तक्षेप्य मामले अर्थात् कुल हस्तक्षेप्य अपराधों में से शीर्षक ६ अर्थात् अन्य हस्तक्षेप्य अपराधों के अन्तर्गत आने वाले अपराधों को कम करके। १९५८ के ६६,१५४; १९५७ के ६४,८५७; १९५६ के ६७,६९३ और १९५५ के ५७,९६० मामलों की तुलना में इस वर्ष घटकर ६४,२७२ हो गये। इस वर्ष ऐसे अपराधों की संख्या में कमी हुई जो कि १९५५ को छोड़कर पिछले वर्षों की संख्या से अपेक्षाकृत कम है। १९५९ में शीर्षक ६ (अर्थात् अन्य हस्तक्षेप्य अपराध) के अन्तर्गत हस्तक्षेप्य मामलों की संख्या १९५८ की ६२;०८२, १९५७ की ६२,५३६; १९५६ की ६७,६९८ और १९५५ की ६६,७४८ की तुलना में घटकर ५७,१४५ हो गई। उपर्युक्त पिछले चारों वर्षों की तुलना में इस वर्ष ऐसे अपराधों की संख्या सब से कम रही। विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों के वस्तुतः हस्तक्षेप्य अपराधों की संख्या नीचे दी गई है :—

	१९५९	१९५८	१९५७	१९५६	१९५५
वर्ग १—राज्य, सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय के विरुद्ध अपराध, हस्तक्षेप्य अपराध तथा हस्तक्षेप्य आपराधिक षडयन्त्र को उकसाना	३,१७३	३,३४५	३,३५४	३,४६०	३,०५४
वर्ग २—व्यक्ति के प्रति गंभीर अपराध	१२,७४०	११,७५५	११,२४१	११,२३३	१०,११९
वर्ग ३—व्यक्ति तथा सम्पत्ति या केवल सम्पत्ति के प्रति गंभीर अपराध	१७,५७३	१९,४६७	२०,३५४	२१,५०९	१८,३४७
वर्ग ४—व्यक्ति के प्रति छोटे-मोटे अपराध	८९६	७४८	७६३	८५४	७६०
वर्ग ५—सम्पत्ति के प्रति छोटे-मोटे अपराध	२९,८९०	३०,८३९	२९,१४५	३०,६३७	२५,६८०
वर्ग १ से ५ तक का योग ..	६४,२७२	६६,१५४	६४,८५७	६७,६९३	५७,९६०
वर्ग ६—अन्य हस्तक्षेप्य अपराध जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं किये गये हैं	५७,१४५	६२,०८२	६२,५३६	६७,६९८	६६,७४८
समस्त शीर्षकों के अन्तर्गत योग	१,२१,४१७	१,२८,२३६	१,२७,३९३	१,३५,३९१	१,२४,७०८

उपर्युक्त आंकड़ों से यह प्रकट होता है कि व्यक्ति के प्रति बड़े तथा छोटे-मोटे अपराधों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है, किन्तु अन्य सभी प्रकार के अपराधों में कमी हुई है। वर्ग २ तथा ४ के अन्तर्गत व्यक्ति के प्रति अपराधों में वृद्धि के मुख्य कारण दलगत झगड़े, भू-सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद, पुरानी शत्रुता तथा प्रेम सम्बन्धी मामले हैं। ग्राफ संख्या १ में वर्ग १ से ५ तक के अन्तर्गत ऐसे हस्तक्षेप्य अपराधों की बक्र रेखा दिखाई गई है जो संबद्ध वर्षों में निपटाये गए और ग्राफ संख्या ७ में दोषसिद्ध मामलों की जांच किये गये वास्तविक मामलों के साथ प्रतिशत दिखाया गया है। प्रति १०,००० व्यक्तियों की आबादी में अपराध की स्थिति, जिसमें मैजिस्ट्रेटों को रिपोर्ट किये गये मामले तथा वर्ग १ से ५ तक के अपराध भी सम्मिलित हैं, १९५९ में ११.९ होती है, जबकि यह स्थिति १९५८ में ११.८; १९५७ में १०.८; १९५६ में ११ और १९५५ में १०.४ थी। इस प्रकार इसमें १९५८ के आंकड़ों की तुलना में नाममात्र की वृद्धि हुई है और अन्य वर्षों की तुलना में प्रायः बराबर की वृद्धि हुई है। जब कभी दोष-सिद्धि का प्रतिशत कम होता है तब इस प्रकार की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। नैनीताल में अपराधों की संख्या सबसे अधिक थी तथा उसका प्रतिशत प्रति १०,००० की आबादी पर ३३.०९ था। अन्य जिले, जहां पर अधिक अपराध हुये, लखनऊ, रामपुर, देहरादून तथा मुरादाबाद थे और वहां की प्रति १०,००० व्यक्तियों की आबादी पर अपराध का प्रतिशत क्रमशः ३२.३२; २८.०३; १८.५ तथा १७.०८ था। रेंजों में से कानपुर रेंज में अपराधों की व्यापकता सबसे अधिक थी तथा प्रति १०,००० की आबादी पर १४.६० मामले हुये, इससे कम क्रमशः लखनऊ रेंज में १४.३६; मेरठ रेंज में १४.२२; बरेली रेंज में १४.०८; आगरा में १३.१४; वाराणसी रेंज में ८.२४ और गोरखपुर में ७.२६ मामले हुये।

३---अहस्तक्षेप्य अपराध---१९५९ में हस्तक्षेप्य अपराधों की कुल संख्या १,२१,०२९ थी जबकि ऐसे मामलों की संख्या १९५८ में १,२५,५०८, १९५७ में १,०४,२८३, १९५६ में १,६८,५१२ तथा १९५५ में १,७७,०२५ थी। पिछले पांच वर्षों के अहस्तक्षेप्य अपराधों के वर्गानुसार ब्योरे नीचे दिये गये हैं:--

	१९५९	१९५८	१९५७	१९५६	१९५५
वर्ग १---राज्य, सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय के विरुद्ध अपराध	२,०१८	२,३८६	३,११५	४,४८९	४,४८६
वर्ग २---व्यक्ति के विरुद्ध गम्भीर अपराध	६	१०	११	२२	२१
वर्ग ३---व्यक्ति, सम्पत्ति या केवल सम्पत्ति के विरुद्ध गंभीर अपराध	१४४	१७८	२१९	१२८	१५३
वर्ग ४---व्यक्ति के विरुद्ध छोटे-मोटे अपराध	९,६११	९,५८१	९,६७७	१२,१४७	११,७६५
वर्ग ५---सम्पत्ति क विरुद्ध छोटे-मोटे अपराध	•२,२७३	२,७९९	२,५८३	२,५१७	३,०१५
वर्ग ६---अन्य अपराध जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं है	१८,०४२	१३,९४०	२१,३९८	२६,८१३	२०,६६९
प्रकीर्ण---विशेष तथा स्थानीय विधियों के अन्तर्गत किये गये अन्य अपराध जो पुलिस द्वारा हस्तक्षप्य नहीं हैं	८८,९३५	९६,६१४	६७,२८०	१,२२,३९९	१३६९१६

४—डकैती—१९५९ में डकैती के दर्ज किये गये मामलों की कुल संख्या में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। डकैती के मामलों की संख्या १९५९ में ८४९ है, जबकि १९५८ में यह संख्या ८२५; १९५७ में ९०७; १९५६ में ९३२ तथा १९५५ में ८४४ थी। ग्राफ संख्या ३ में पिछले पांच वर्षों के डकैती के मामलों की संख्या दिखाई गई है। १९५९ के आंकड़े अन्य आलोच्य वर्षों के आंकड़ों से मिलते-जुलते हैं। १९५९ के आंकड़ों में इंडियन पैनल कोड की धारा ३९९/४०२ के अधीन मुठभेड़ के १२३ मामले भी सम्मिलित हैं, जबकि १९५८ में ऐसे मामलों की संख्या १०६ थी। इस प्रकार जो डकैतियां हुयीं उनकी वास्तविक संख्या १९५९ में ७२६ और १९५८ में ७१९ निकलती है और इस प्रकार १९५८ की तुलना में जबकि डकैती के मामलों की संख्या आलोच्य पांच वर्षों में सबसे कम थी, १९५९ में डकैती के ७ मामलों की नाममात्र की वृद्धि हुई है। डकैती के मामलों में नाममात्र की वृद्धि आर्थिक स्थिति तथा मूल्यों में सामान्य वृद्धि के कारण हुई।

रेंज के अनुसार डकैती के मामलों की समीक्षा से यह प्रकट होता है कि आगरा रेंज में इस वर्ष सबसे अधिक डकैतियां हुयीं जिनकी संख्या २०१ थी। आगरा रेंज में ऐसे मामलों की संख्या १९५८ के १७९ से बढ़कर १९५९ में २०१ हो गई तथा कानपुर रेंज में १९५८ में ९३ की तुलना में १९५९ में १२६ मामले दर्ज किये गये। गोरखपुर रेंज में ७५ मामले दर्ज किये गये, जबकि १९५८ में ६९ मामले दर्ज किये गये थे और सरकारी रेलवे पुलिस ने ७ मामले दर्ज किये, जबकि १९५८ में ४ मामले दर्ज किये गये थे। अन्य सभी रेंजों में डकैती के दर्ज किये गये मामलों की संख्या में कमी हुई है। लखनऊ में १७१, बरेली में १५२, वाराणसी में ३७ और मेरठ में ८०, जबकि १९५८ में इनकी संख्या क्रमशः १८९, १७०, ४१ तथा ८० थी। अलग-अलग जिलों में सबसे अधिक डकैती के मामले झांसी में ४८, अलीगढ़ में ४०, बदायूं में ३९, फर्रुखाबाद में ३७, कानपुर में ३३, बहराइच में ३१ तथा शाहजहांपुर में २८ हुये। १९५९ में डकैती के साथ-साथ हत्या के १३० मामले दर्ज किये गये जबकि ऐसे मामलों की संख्या १९५८ में ८७, १९५७ में १०३, १९५६ में १२० तथा १९५५ में ११२ थी। डकैती के ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया गया, १९५९ में ७०० थी, जबकि ऐसे मामलों की संख्या १९५८ में ६४८, १९५७ में ६६३, १९५६ में ७८१ तथा १९५५ में ६६९ थी। डकैती की इन दोनों प्रकार की संख्याओं में, जिनमें डकैती के साथ-साथ हत्या भी की गई तथा जिनमें आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया गया, इस वर्ष वृद्धि हुई है और यह मुख्यतय जेहान सिंह, दरियाव सिंह तथा रूपा आदि के गिरोहों की कार्यवाहियों के कारण हुई है किन्तु इनमें से अधिकांश गिरोहों का इस वर्ष सफाया कर दिया गया है।

प्रायः सभी जिलों में पुलिस भीषण डकैती की समस्या का बड़े साहस से सामना करती रही और उसे कई ऐसे भीषण गिरोहों तथा बड़े और कुख्यात डाकुओं को समाप्त करने में सफलता मिली जो कि पिछले कई वर्षों से शिरदर्द बने हुये थे। विभिन्न संगठित गिरोहों के विरुद्ध तथा अवैध आग्नेय अस्त्रों को बरामद करने के लिये क्रमबद्ध तथा समन्वित कार्यवाही की गई और इस सम्बन्ध में विशेष आन्दोलन भी चलाये गये। एक ओर पुलिस तथा ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों और दूसरी ओर सुसंगठित सशस्त्र डाकुओं के गिरोहों के बीच कई सफल मुठभेड़ें हुईं और इसके फलस्वरूप कई डकैतों के समाप्त होने के अतिरिक्त बहुत से जिलों में या राज्यों में फैले हुये कई गिरोह या तो समाप्त या शक्तिहीन कर दिये गये। केवल बदायूं में ही ११ मुठभेड़ें हुयीं जिनमें ३ डाकू मारे गये, बहुत से डाकू पकड़े गये और उनके पास से ३३ अवैध आग्नेयास्त्र तथा ११७ कारतूस बरामद किये

गये। दुर्भाग्य से डकैतों के साथ मुकाबला करने में २ सब-इन्सपेक्टरों तथा २ कान्स्टेबुलों की जानें गयीं। १९५९ में ४४ मृतक ग्रामीणों के परिवारों को असाधारण पेंशनें स्वीकृत की गयीं।

आग्नेयास्त्रों को बरामद करने के संबंध में विशेष आन्दोलन से सराहनीय सफलता मिली। केवल आगरा, बरेली तथा मेरठ के रेंजों में ६ विदेशी राइफलें, ९३ बन्दूकें और २८ रिवाल्वर तथा पिस्तौलें, १५० दशी बन्दूकें और १,४८४ रिवाल्वर तथा पिस्तौलें बरामद की गयीं। कानपुर रेंज में भी ३११ चुराई हुयीं या अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किये गये। यह संतोष की बात है कि बदायूं, पीलीभीत, मथुरा तथा सीतापुर के जिलों में आग्नेयास्त्रों के कम से कम पांच छोटे कारखानों का पता लगाया गया।

चम्बल घाटी के गिरोहों के विरुद्ध विशेष कार्यवाहियां की गई जिसके फलस्वरूप बड़ी सफलता मिली और रूपा के गिरोह को, जो पिछले कई वर्षों से जघन्य अपराध कर रहा था, बुरी तरह से क्षति पहुंचायी गयी। इस घाटी के कुख्यात गिरोहों में से मध्य प्रदेश के लाखन सिंह के गिरोह को समाप्त करना अब बाकी रह गया है।

१९५९ में ५२ डाकू मारे गये तथा ५,४६३ डाकू गिरफ्तार किये गये।

मारे गये डाकुओं में से निम्नलिखित डाकू प्रमुख थे :—

दरयाव सिंह, सहारनपुर का अति भयंकर हत्यारा तथा बदमाश, अलीगढ़ का जुहान सिंह, रूपा के गिरोह का मुख्य साथी लायक सिंह तथा उसका दूसरा सदस्य निहाल सिंह, चम्बल घाटी का कुख्यात डाकू दफेदार सिंह, जिसने मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में भयंकर अपराध किये थे, मोहरमनिया काछी, जो पहले लाखन सिंह के गिरोह में था, मथुरा का गिरराज गूजर, मेरठ का [illegible]राज, बदायूं में ब्रिजराज खान, शाहजहांपुर में चुटकई तथा मोहन चमार, बस्ती का रामलोट और झांसी का कुख्यात डाकू अजोधी गोंड।

गिरफ्तार किये गये डाकुओं में से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं।

सरदार बीचा सिंह, जो अन्तर्राज्यीय गिरोह का सरदार था, गिरराज गूजर का साथी ग्यासी, रूपा के गिरोह का राम सीता, बृजराज खान का साथी बेवा, बिहारी जाटव, खीरी का नरायन, गोला बैंक रेल डकैती का फरारी, हरदोई का रामचरन काछी, नन्दलाल केवट, गोरखपुर के रामवृक्ष तथा सम्वत्त, बस्ती का पारस, बलिया के राम सूरत चमार तथा दीना अहीर।

इनके अतिरिक्त जालौन में कबूतरी नटों का एक गिरोह गिरफ्तार किया गया और बहराइच में समद खान के गिरोह को जो कि नैपाल में भी फैला हुआ था, जहीर और नेतराम, आरा (बिहार) का शिव नन्दन लोनिया, सीताराम दुबे तथा मास्टर ओरी के गिरोहों को भी समाप्त किया गया।

मेरठ, बुलन्दशहर, बदायूं, फतेहगढ़, मथुरा, झांसी, खीरी, वाराणसी, देवरिया तथा गोरखपुर के जिलों में डकैतों के कई गिरोहों से मुकाबिला करने में अति उत्तम कार्य किया गया जिसके फलस्वरूप वे समाप्त हो गये। बाकी बड़ी संख्या में डकैत, बहुत से आग्नेयास्त्रों के सहित पकड़े गये।

इस वर्ष दर्ज किये गये कुछ सबसे अधिक महत्वपूर्ण डकैती के मामले निम्नलिखित हैं—

(१) ४ दिसम्बर, १९५९ को लगभग २.३० बजे अपरान्ह में भारी हथियारों से लैस ९ अपराधी इलाहाबाद बैंक, बरेली के अन्दर घुस गये और २४,४४५ रु० २२ न० पै० की धनराशि

लूटकर रोडवेज की टैक्सी में भाग गये जिसे उन्होंने पहले ही किराये पर ले लिया था। उक्त टैक्सी के ड्राइवर को नहर की एक सड़क के नजदीक लोहे की जंजीर से हाथ–पैर बांध कर छोड़ दिया गया था उक्त टैक्सी तथा कुछ अपराधियों के बिस्तर और एक स्टेन गन राउन्ड एक रेलवे स्टेशन के नजदीक सुनसान जगह में पड़े पाये गये। इस मामले का पता अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा लगाया गया और इसका उल्लेख शीर्षक "अपराध अनुसंधान विभाग" के अन्तर्गत किया गया है।

(२) जनवरी, १९५९ में खीरी जिले में रेल गाड़ी की डकैती का एक बहुत गंभीर मामला हुआ जिसमें २,५०,००० रु० की धनराशि, जो लखीमपुर–खीरी के स्टेट बैंक से उसके गोला-गोकर्णनाथ के आफिस को ले जाई जा रही थी, हताश शिक्षित युवकों द्वारा लूटी गई, जो दूर–दूर के स्थानों से आये थे और जो अपने जघन्य कार्यों को पूरा करने में भयप्रद तरीकों को काम में लाते थे। डकैतों ने एक मार्ग रक्षक की हत्या की। स्थानीय पुलिस ने गिरोह के बाहर निकलने के सभी सम्भावित मार्गों पर नाकेबन्दी करने और अपराधियों का पीछा करने वाले ग्रामीणों की सहायता करने में जिस उत्साह से कार्य किया वह सराहनीय है और उसे उनमें से दो अपराधियों को मार डालने तथा समस्त लूटी गई सम्पत्ति सहित बाकी दो अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली।

केवल चम्बल घाटी के लाखन सिंह, फतेहगढ़ के जोधा सिंह तथा झांसी के देवी सिंह और सूरत सिंह पाली के कुख्यात गिरोहों को अभी तक समाप्त नहीं किया जा सका है।

न्यायालयों में विचारार्थ भेजे गये मुकदमों को सफलतापूर्वक चलाने के लिये अथक प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष के दौरान में २,१५५ डाकुओं को विभिन्न अवधियों के लिये कारावास का दन्ड दिया गया। अक्सर ऐसे अपराधी जो जमानत पर छोड़े गये थे, जमानत पर होने की अवधि में अपराध करते पाये गये थे। १९५९ में ८३ ऐसे प्रमुख डाकू, जिन्हें उच्चतर न्याया–लय ने जमानत पर छोड़ दिया था, बाद में जमानत पर रहने की अवधि में दूसरे अपराध करते पाये गये।

५—राहजनी—१९५९ में राहजनी के दर्ज किये गये मामलों की कुल संख्या ५०४ थी, जबकि ऐसे मामलों की संख्या १९५८ में ४७७, १९५७ में ५१७, १९५६ में ५६२ तथा १९५५ में ४१४ थी। राहजनी के मामलों की संख्या इस वर्ष कुछ बढ़ गई है। १९५९ में ४३९ व्यक्ति सिद्धदोष हुये, जब कि १९५८ में ४६०, १९५७ में ३९५, १९५६ में ३४२ तथा १९५५ में ३७० व्यक्ति सिद्धदोष हुये थे। ग्राफ संख्या ४ में पिछले पांच वर्षों के दौरान में किये गये ऐसे अपराधों की संख्या दी गई है। इस प्रकार के अपराध निम्नलिखित जिलों में सबसे अधिक हुये :—

बदायूं ३३ मामले; अलीगढ़ २५ मामले; बरेली २५ मामले; कानपुर २३ मामले; मुरादाबाद २३ मामले।

दर्ज किये गये मामलों की तुलना में सिद्धदोष मामलों का प्रतिशत १९५९ में २०.६ प्रतिशत निकलता है, जबकि यह प्रतिशत १९५८ में २१.५ प्रतिशत; १९५७ में १८.५ प्रतिशत; १९५६ में १७.७ प्रतिशत तथा १९५५ में २१ प्रतिशत था। सिद्धदोष मामलों का प्रतिशत यद्यपि इस वर्ष १९५८ की तुलना में कम था, पर पिछले वर्षों की संख्या की तुलना में अधिक था।

एक महत्वपूर्ण राहजनी का मामला जालौन में हुआ, जिसमें कानपुर की एक फर्म के मुनीम से लगभग १५,००० रुपये लूटे गये। मामले का पूरी तरह से पता लगा लिया गया और अपराधियों से लूटी गई धनराशि की लगभग आधी धनराशि बरामद की गई।

राहजनी के दो महत्वपूर्ण मामले चलती रेल गाड़ियों में हुये। इन मामलों के ब्योरे पैरा २७ सरकारी रेलवे के अन्तर्गत दिये गये हैं। अन्य मामले अधिकतर छोटे–मोटे किस्म के थे जो विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं हैं।

६—हत्या—ग्राफ संख्या २ में पिछले पांच वर्षों में हुई हत्याओं की संख्या दिखाई गई है। १९५९ में दर्ज किये गये हत्या के मामलों की संख्या १,६९४ थी, जबकि यह संख्या १९५८ में १,६३७; १९५७ में १,४६८; १९५६ में १,५९९ तथा १९५५ में १,४४८ थी। १९५९ के इन मामलों में से ६२० मामलों में हत्या लाभ के लालच से की गई, १३५ हत्यायें काम लिप्सा, षड्यंत्र; ४ हत्यायें जहर देने के कारण तथा १७ हत्यायें किराये के हत्यारों द्वारा कराई गईं। १६ हत्यायें प्राविधिक किस्म की थीं जिनमें माताओं ने आत्महत्या करते समय अपने बच्चों को भी मार दिया। किन्तु इस वर्ष हत्या के मामलों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है।

जिन जिलों में सबसे अधिक हत्यायें हुईं वे इस प्रकार हैं—कानपुर ८४ मामले, मुरादाबाद ६८, अलीगढ़ ६७, इलाहाबाद ६१, शाहजहांपुर ६१, खीरी ५७, बदायूं ५४, एटा ५४ तथा फतेहपुर ४९, कानपुर, अलीगढ़, शाहजहांपुर, इलाहाबाद, एटा तथा फतेहपुर में, जहां पर १९५८ में क्रमशः ५८; ५१; ४९; ४८; ४४ तथा ४४ हत्याओं के मामले हुये थे, १९५९ में हत्या के मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

दर्ज किये गये मामलों की तुलना में सिद्ध दोष मामलों का प्रतिशत १९५९ में १८प्रतिशत था जबकि यह प्रतिशत १९५८ में १८.६; १९५७ में १७; १९५६ में १७.६ तथा १९५५ में १९ था। यद्यपि सिद्ध दोष मामलों के प्रतिशत में इस वर्ष थोड़ी सी कमी हुई है फिर भी यह प्रतिशत प्रायः १९५८ के प्रतिशत के समान स्तर पर रहा। १९५९ में सत्र न्यायालय से १९६ व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई और ५७ मामलों में फांसी की सजा की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई।

कानपुर में अनेक रहस्यमय आक्रमणों तथा हत्याओं के कारण कुछ चिन्ता बनी रही। किन्तु यह बड़ी प्रशंसा की बात है कि तथाकथित "रहस्यमय हत्यारे" का जो ४ हत्याओं, जिनमें ७ व्यक्ति मारे गये, और बहुत से आक्रमण करने के मामलों के लिये उत्तरदायी था, अपराध अनुसंधान विभाग तथा जिला पुलिस द्वारा किये गये सतत प्रयत्नों के फलस्वरूप पता लगाया गया और गिरफ्तार किया गया जब कि उसे ऐसे कपटपूर्ण कुकृत्यों को करते हुये चार महीने हो गये थे।

एक महत्वपूर्ण सनसनीखेज मामला मई, १९५९ में आगरा में हुआ, जिसमें स्क्वैडरन लीडर कामठ की पत्नी तथा पुत्री की खोरिया में उनके नौकर द्वारा हत्या की गई, जबकि श्री कामठ ड्यूटी पर बाहर गये थे। अपराध अनुसंधान विभाग तथा जिला पुलिस के अथक प्रयत्नों के कारण अभियुक्त पकड़ लिया गया और उसे फांसी की सजा दी गई।

अलीगढ़ जिले में श्री राधेश्याम मित्तल, चेयरमैन टाउन एरिया कमेटी, हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ की हत्या का एक सनसनीपूर्ण मामला हुआ। इस मामले का सफलतापूर्वक पता लगाया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया।

बदायूं जिले में एक महत्वपूर्ण दुखद हत्या का मामला हुआ जिसमें कान्सटेबुल श्याम बहादुर सिंह ने रात में गश्त करते समय सशस्त्र डाकू का सामना करने में वीरगति पाई। किन्तु डाकू काबू में कर लिया गया और गिरफ्तार किया गया।

बरेली में दो महत्वपूर्ण हत्यायें हुईं—एक मामले में एक शरणार्थी युवक को मुसलमानों ने जान से मार डाला क्योंकि उसका अभियुक्त व्यक्तियों में से एक व्यक्ति की भतीजी से प्रेम चल रहा था दूसरे मामले में बहुमूल्य सम्पत्ति के लिये एक मंदिर के पुजारी को जान से मारा गया।

७—दंगे—१९५९ में दंगों के २,९०० मामले हुये जबकि १९५८ में ३०,०४५; १९५७ में ३,००२; १९५६ में ३,०८७ तथा १९५५ में २,७६५ मामले हुये थे। इस वर्ष दंगे के मामलों की संख्या पिछले पांच वर्षों की तुलना में सबसे कम रही। निम्नलिखित जिलों में सबसे अधिक दंगे हुये :—

इलाहाबाद १३७, कानपुर १३२, मेरठ १२२, बदायूं ९५, मुरादाबाद ९०।

१९५९ में दंगों के १४ मामले साम्प्रदायिक किस्म के थे, जब कि ऐसे मामले १९५८ में १६, १९५७ में ८, १९५६ में ३० तथा १९५५ में ११ हुये थे। १९५९ में साम्प्रदायिक प्रकार के दंगों के मामले प्रायः इधर-उधर हुये, ४ मामले लखनऊ में, दो-दो मामले मुरादाबाद तथा बरेली में, एक-एक मामला सहारनपुर, आजमगढ़, बाराबंकी, बिजनौर, अलीगढ़ तथा बहराइच में हुये। १९५९ के अन्त तक इस प्रकार के दंगों के मामलों में से दो मामलों में अभियुक्त सिद्धदोष ठहराये गये, २ मामलों का पता नहीं लगा, १ मामला वापस ले लिया गया, १ मामले की जांच हो रही है और ८ मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

साम्प्रदायिक प्रकार के दंगों के दो गंभीर मामले हुये, एक आजमगढ़ में और दूसरा सीतापुर में, जो क्रमशः होली तथा मुहर्रम के उत्सवों के अवसर पर हुये थे। किन्तु स्थिति को दृढ़ता से काबू में कर लिया गया और उपद्रव आगे नहीं फैल सके।

कानपुर शहर में हेड कान्सटेबुल द्वारा एक महिला के तथाकथित बलात्कार के सम्बन्ध में एक गंभीर उपद्रव हुआ, जिसके फलस्वरूप हिंसा की भावना व्यापक रूप से फैल गई। इससे सम्पत्ति को पर्याप्त क्षति पहुंची और बहुत से पुलिस के सिपाही घायल हुये। पुलिस को शांति कायम करने के लिये कई अवसरों पर गोली चलानी पड़ी। किन्तु, स्थिति शीघ्र ही काबू में कर ली गई थी।

जब कभी तथा जहां कहीं भी शांति भंग होने की आशंका हुई तो सक्रिय तथा संभाव्य बदमाशों के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड की धारा १०७/११७ के अधीन निवारक कार्यवाही की गई। १९५९ में मैजिस्ट्रेटों को कार्यवाही किये जाने के निमित्त १७,०३८ मामलों की रिपोर्ट की गई, जब कि १९५८ में १८,४८०, १९५७ में १९,४६२, १९५६ में २०,३२१ तथा १९५५ में २१,९३७ मामलों की रिपोर्ट की गई थी। १९५९ में पिछले वर्षों से सम्बन्धित ४,७३९ मामले विचाराधीन थे और इनको मिलाकर १९५९ में निर्णय के लिये २१,७७७ मामले हो गये। इनमें से ५,२२० मामलों में जिन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी, उनसे मुचलके लिये गये; ५,१४४ मामलों में व्यक्तियों को मुक्त कर दिया गया; १,०६२ मामले बिना न्यायिक कार्यवाही किये खारिज कर दिये गये और ४,९६२ मामलों को अन्य प्रकार से निबटाया गया। १९५९ के अन्त में कुल ५,४१९ मामले विचाराधीन शेष रह गये।

८—<u>गहरी चोट</u>—१९५९ में गहरी चोटों के २,९३८ मामले दर्ज किये गये, जबकि ऐसे मामलों की संख्या १९५८ में २,४९६; १९५७ में २,३५३; १९५६ में २,३५३ तथा १९५५ में २,१७७ थी। ऐसे मामलों की सबसे बड़ी संख्या लखनऊ रेंज में दर्ज की गई, जहां पर ऐसे ६६५ मामले हुये थे और इसके बाद बरेली रेंज ४८०, गोरखपुर रेंज ४३७, कानपुर रेंज ४२४, आगरा रेंज ४२४, वाराणसी रेंज ३१३, मेरठ रेंज १९१ तथा सरकारी रेलवे पुलिस ४, आती हैं। जिलों में से हरदोई जिले में सबसे अधिक संख्या में मामले दर्ज किये गये, जहां पर उनकी संख्या १३० थी, ऐसे मामलों की संख्या इलाहाबाद में १२१, कानपुर में ११३, लखनऊ में १०९, बरेली में १०२, रायबरेली में ९६, मुरादाबाद में ९० तथा गोरखपुर में ८६ थी। रिपोर्ट किये गये मामलों की तुलना में सिद्धदोष मामलों का प्रतिशत १९५९ में १५.१ था, जबकि यह प्रतिशत १९५८ में १६.७, १९५७ में १७.३, १९५६ में २० तथा १९५५ में २१ था। किन्तु गहरी चोट के सभी महत्वपूर्ण मामलों की जांच की गई। सिद्धदोष ठहराये गये मामलों में धीरे-धीरे कमी हुई है और ऐसे मामलों की वृद्धि के लिये यह एक कारण हो सकता है। बहुत से मामलों में फरीकों ने न्यायालयों में मामलों के विचाराधीन रहते हुये आपस में समझौता कर लिया, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त छोड़ दिये या दोष मुक्त कर दिये गये।

९—<u>चोरियां</u>—१९५९ में चोरी के कुल २६,२१३ मामले दर्ज किये गये, जब कि ऐसे मामलों की संख्या १९५८ में २६,९७९; १९५७ में २५,४३८; १९५६ में २६,५६३ तथा १९५५

में २२,१८५ थी। इस वर्ष की संख्या में १९५८ की संख्या की तुलना में २.८ प्रतिशत की कमी हुई है। १९५९ में ११,८४२ व्यक्तियों को चोरी के लिये दोषी ठहराया गया, जबकि १९५८ में १०,७४१, १९५७ में १०,०७३, १९५६ में ९,१४३ तथा १९५५ में १०,४३८ व्यक्ति चोरी के दोषी ठहराये गये थे। १९५९ में दर्ज किये गये मामलों की तुलना में सिद्धदोष मामलों का प्रतिशत १९.६ था, जब कि यह प्रतिशत १९५८ में १८.२, १९५७ में १९.०, १९५६ में १९.८ तथा १९५५ में १८.५ था। दोषी ठहराये गये व्यक्तियों की संख्या १९५९ में सब से अधिक थी और १९५६ को छोड़कर विगत पांच वर्षों में सिद्धदोष मामलों का प्रतिशत भी सबसे अधिक था। नीचे दिये गये विवरण में पिछले पांच वर्षों के दौरान में विशिष्ट प्रकार की सम्पत्ति की चोरियां दिखाई गई हैं।—

		१९५९	१९५८	१९५७	१९५६	१९५५
१—चुराई गई साइकिलें	..	४,०८७	४,२१४	३,९०६	३,७४८	३,२५९
बरामद की गई साइकिलें	..	५९३	७६७	६५६	६२३	५६७
२—कृषि उपज	..	१,१४८	१,३४६	१,७३३	१,४७१	१,३२२
३—मोटर गाड़ियां और उनके पुर्जे	..	३८	४४	६८	५१	५३
४—टेली ग्राफ तथा टेलीफोन के तार	..	५८४	४८१	४६०	३७४	३३४
५—खोये हुये आग्नेयास्त्र	..	२४८	२५८	२६८	३०८	२८८
६—बरामद किये गये आग्नेयास्त्र	..	२,७६८	२,२३५	२,०७०	२,००९	१,९२५

नीचे दिये गये विवरणों में पिछले ५ वर्षों में खोये हुये तथा बरामद किये गये भिन्न-भिन्न प्रकार के आग्नेय-अस्त्रों के ब्योरे अलग-अलग दिये गये हैं:—

खोये हुये आग्नेयास्त्र

		१९५९	१९५८	१९५७	१९५६	१९५५
रिवाल्वर	..	२९	३२	२८	३९	३४
रिवाल्वर देशी	..	..	..	..	..	..
पिस्तौल	..	१८	१९	२३	१९	३०
पिस्तौल देशी	..	..	..	..	..	३
राइफल	..	१२	७	१३	२१	१९
राइफल देशी	..	..	..	..	..	..
मस्केट	..	१	४	१	३	..
बन्दूकें	..	१८५	१९५	१९८	२१६	१८०
बन्दूकें देशी	..	..	..	३	८	२१
बन्दूक का कुन्दा	..	..	१	..	१	..
बेओनट	..	२	..	२	..	..
हवाई बन्दूक	..	..	..	..	१	१
बन्दूक की नली	..	..	..	..	..	..
तोप	..	..	..	..	..	..
स्टेनगन	..	१	..	..	..	..

बरामद किये गये आग्नेयास्त्र

		१९५९	१९५८	१९५७	१९५६	१९५५
रिवाल्वर	..	२७	२७	४६	५५	४४
रिवाल्वर देशी	..	७	२३	१७	१६	१७
पिस्तौल	..	२३	१२	१७	१६	१७
पिस्तौल देशी	..	२,२४३	१,७५७	१,५९८	१,५२२	१,४६८
राइफल	..	१०	१२	२०	३०	२१
राइफल देशी	..	..	१	२	..	४
मस्केट	..	३	१	१	३	२
बन्दूक	..	१५५	१५९	१७०	१८१	१३८
बन्दूक देशी	..	२९८	२४३	१९८	१८३	२१२
बन्दूक का कुन्दा	..	..	..	१	..	..
बेओनट	..	..	..	..	..	..
हवाई बन्दूक	..	१	..	..	१	१
बन्दूक की नली	..	..	..	..	१	..
तोप	..	..	..	..	१	..
स्टेनगन	..	१	..	..	..	१

विभिन्न स्थानों पर चुराया गया तांबे का तार भी बड़े परिमाण में बरामद हुआ। मिर्जापुर पुलिस ने ४ मन, गाजीपुर पुलिस ने ३ मन १८ सेर तथा गोंडा पुलिस ने ढाई मन चुराये गये तांबे का तार बरामद करने में सफलता प्राप्त की। बरेली पुलिस, सीतापुर पुलिस, खीरी पुलिस और जौनपुर पुलिस ने भी काफी मात्रा में चुराया गया तांबे का तार बरामद किया।

लखनऊ और मेरठ में सायकिल उठाने वालों के गिरोह पकड़े गये, जहां क्रमशः ३५ और ५५ सायकिलें बरामद हुईं।

१०—मवेशियों की चोरी—१९५९ में कुल मिलाकर ३,३५१ मामलों की रिपोर्ट की गई, जब कि इसकी तुलना में १९५८ में ३,८९०; १९५७ में ३,३०३; १९५६ में ३,५०६ और १९५५ में २,६३० मामलों की रिपोर्ट की गई थी। १९५८ की तुलना में ऐसे मामलों की घटनाओं में १४ प्रतिशत की काफी कमी हुई। मवेशियों की चोरी के सबसे अधिक मामले निम्नलिखि जिलों में हुये हैं :—

मुरादाबाद २७६, बदायूं १६०, मेरठ १५६, शाहजहांपुर १४५, मैनपुरी १४१, अलीगढ़ १३४, लखनऊ १३३, सीतापुर १२५, बुलन्दशहर १२४। १९५८ में २,०२८; १९५७ में २,०१२; १९५६ में १,५७३ और १९५५ में १,८९५ व्यक्तियों की तुलना में १९५९ में २,३०४ व्यक्तियों को मवेशियों की चोरी के मामलों में दोषी ठहराया गया। रिपोर्ट किये गये मामलों की तुलना में सिद्धदोष मामलों का प्रतिशत १९५९ में २९ प्रतिशत था, जबकि १९५९ में २४.२ प्रतिशत, १९५७ में २५ प्रतिशत, १९५६ में २० प्रतिशत तथा १९५५ में २५.६ प्रतिशत था। इन आंकड़ों से यह प्रगट होता है कि इस वर्ष सिद्धदोष व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक थी। इस वर्ष सिद्धदोष मामलों का प्रतिशत भी पिछले ५ वर्षों की तुलना में सबसे अधिक रहा। चुराये हुये मवेशियों का स्थान मालूम करना, उन्हें बरामद करना तथा तत्पश्चात् उन्हें पहचानना सामान्यतया कठिन है, क्योंकि मवेशियों के अभ्यस्त चोर बहुधा मवेशियों का बाहरी आकार बदल देते हैं। गंगा और यमुना के कगारों तथा खादर क्षेत्रों में इन चुराये हुये मवेशियों को छिपाकर रखना बहुत ही आसान है। पश्चिमी जिलों में 'फिरौती' प्रणाली के कारण मवेशी चुराने वालों के विरुद्ध सफलतापूर्वक मुकदमा चलाने में अत्यधिक अड़चन पड़ती हैं।

११---सेंध लगाना---ग्राफ संख्या ५ में यह दिया गया है कि पिछले पांच वर्षों में, जिसमें १९५९ भी सम्मिलित है, सेंध लगाने की क्या स्थिति रही। १९५८ में १७,५८९; १९५७ में १८,३२८; १९५६ में १९,४२० तथा १९५५ में १६,५०९ की तुलना में १९५९ में सेंध लगाने क कुल १५,५७० मामले दर्ज किये गये। इससे यह स्पष्ट है कि इस वर्ष सेंध लगाने के मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी हुई और वास्तव में आलोच्य ५ वर्षों में सेंध लगाने के मामलों की संख्या इस वर्ष सबसे कम है। १९५८ की तुलना में सेंध लगाने के मामलों में ११.४ प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी हुई। निम्नलिखित जिलों में जहां सेंध लगाने के मामलों की संख्या १९५९ में सबसे अधिक थी, इस प्रकार है :---

कानपुर ६८३, मुरादाबाद ६१९, मेरठ ५५४, अलीगढ़ ५३४, लखनऊ ५११, इलाहाबाद ५०४, सीतापुर ४८९, उन्नाव ४२२, खीरी ४०९, बाराबंकी ४०५, बाराणसी ४०४, सहारनपुर ३९७।

रिपोर्ट किये गये मामलों की तुलना में सिद्धदोष मामलों का प्रतिशत १९५८ में १५ प्रतिशत; १९५७ में १४.८ प्रतिशत; १९५६ में १३.५ प्रतिशत तथा १९५५ में १५ प्रतिशत की तुलना में १९५९ में १६.१ प्रतिशत निकलता है। यह स्पष्ट है कि सिद्धदोष मामलों का प्रतिशत इस वर्ष सबसे अधिक था।

जालौन पुलिस ने झांसी के सेंध लगाने के दो मामलों में चुराई गई लगभग ४१,००० रु० की सम्पूर्ण सम्पत्ति को बरामद करने का सराहनीय कार्य किया।

अलीगढ़ पुलिस ने सेंध लगाने के एक मामले में, जिसमें लगभग १८,५३९ रु० की हानि हुई थी, चुराई गई लगभग सम्पूर्ण सम्पत्ति को तत्काल बरामद करने में अच्छा कार्य किया।

बुलन्दशहर पुलिस ने सेंध लगाने के दो मामलों में लगभग १८,३५४ रु० की सम्पत्ति का अधिकांश भाग बरामद करने में अच्छा कार्य किया।

बहराइच पुलिस ने सेंध लगाने के मामले में एक गश्ती गिरोह से सम्पूर्ण चुराई गई सम्पत्ति और उसके साथ एक डी०बी०बी० एल० बन्दूक बरामद करने में बहुत अच्छा कार्य किया

वाराणसी पुलिस ने भी एक सेंध लगाने के मामले में लगभग ८,००० रु० की कुल सम्पत्ति बरामद करने में अच्छा कार्य किया।

लखनऊ की पुलिस एक सेंध लगाने के मामले में, जिसमें रोडवेज बस स्टेशन, चारबाग की एक लोहे की तिजोरी उठा ली गई थी उसे बरामद करने तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करन में सफल हुई।

अपराध अनुसंधान विभाग ने ओपियम फैक्ट्री गाजीपुर से एक सेंध लगाने के मामले में १,४४,००० रु० की लागत की चुराई गई ६ मन अफीम में से ४ मन अफीम बरामद की।

१२---जाली सिक्के और करेंसी नोट---१९५८ के १८; १९५७ के १८; १९५६ के २३ और १९५५ के १७ मामलों की तुलना में १९५९ में जाली करेंसी नोटों के १८ मामलों का पता लगाया गया। १९५८ के ३१; १९५७ के ३५; १९५६ के ३९ और १९५५ के ३६ मामलों की तुलना में १९५९ में जाली सिक्कों के २२ मामलों का पता लगाया गया। इनमें से कोई भी मामला सनसनीखेज नहीं था। इन अपराधों के लिये उत्तरदायी अभियुक्त सामान्यतः अभ्यस्त अपराधी होते हैं और जेल से छूटने के बाद भी अपना अपराध कार्य जारी रखते हैं। इन अभ्यस्त अपराधियों पर पहले की तरह कड़ी निगरानी रखी जाती है।

१३---अपहरण---वर्ष १९५९ में रजिस्टर में दर्ज किये गये अपहरण के मामलों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई। १९५८ में ७९७; १९५७ में ७८०; १९५६ में ७९३ और १९५५ में ७१३ मामलों की तुलना में १९५९ में ८५९ मामले थे। सबसे अधिक मामलों की रिपोर्ट कानपुर ५२, मुरादाबाद ४८, इलाहाबाद ३७, लखनऊ ३६, बहराइच ३५, मेरठ,

३५, आगरा ३१, बरेली ३०, और शाहजहांपुर ३०, से मिली। १९५८ में ४; १९५७ में २; १९५६ में ३ और १९५५ में ३ की तुलना में तावान वसूल करने के लिये अपहरण के ९ मामले हुये। १९५९ के उक्त मामलों में से, ५ आगरा, ३ जालौन और १ फतेहगढ़ का है। आगरा जिले में अपहरण किये गये ५ व्यक्तियों में से ४ व्यक्तियों को रूपा डकैत के गिरोह वाले और एक व्यक्ति को दफेदार सिंह के गिरोह वाले ले गये। जिला जालौन से अपहरण किये गये ३ व्यक्तियों में से २ व्यक्तियों को बहादुर गूजर के गिरोह वाले तथा १ व्यक्ति को मध्य प्रदेश के गिरोह वाले ले गये। अपहरण किये गये ९ व्यक्तियों में से ७ व्यक्ति अब अपने घरों को लौट आये हैं। रूपा के गिरोह ने इस राज्य के क्षेत्र में घुसने की एक नई चाल अपनाई है। वे थोड़ी संख्या में आते हैं और लोगों को तावान के लिये पकड़ ले जाते हैं। बड़े स्तर पर संयुक्त कार्यवाहियां की गईं और बड़े-बड़े छापे संगठित किये गये, परन्तु कोई ऐसी सफलता नहीं मिली, क्योंकि अपराधी आसन्न राज्यों के स्थानों में भाग जाते थे। अपहरण के मामलों की कुल संख्या में थोड़ी वृद्धि होने का मुख्य कारण काम लिप्सा-तथा पारिवारिक विवाद हैं।

१४—जहर देना—१९५८ के ५१; १९५७ के ५८; १९५६ के ६८ और १९५५ के ६२ मामलों की तुलना में १९५९ में जहर देने के ५२ मामलों की रिपोर्ट की गई। इस प्रकार ऐसे अपराधों की अधोमुखी प्रवृत्ति बनी रही, क्योंकि पिछले दो वर्षों के आंकड़े व्यवहारतः एक ही हैं। सबसे अधिक मामलों १५ की सूचना सरकारी रेलवे पुलिस से प्राप्त हुई। इसके बाद मुजफ्फरनगर ४ और सहारनपुर, गोरखपुर और फैजाबद में से प्रत्येक से तीन-तीन मामलों की सूचना मिली। सूचित किये गये मामलों की तुलना में सिद्धदोष मामलों का प्रतिशत १९५८ के १२.९, १९५७ के १५, १९५६ के २६ और १९५५ के २४ से गिरकर १९५९ में १२.६ प्रतिशत तक आ ग या। सूचित किये गये कुल मामलों में से १९५९ में २४ मामलों का सम्बन्ध पेशेवर जहर देने वालों से था, जबकि इसकी तुलना में ये मामले १९५८ में २५, १९५७ में २२, १९५६ में २९ और १९५५ में २७ थे। १९५९ के पेशेवर जहर देने के मामलों में से १४ मामले सरकारी रेलवे पुलिस के थे, ३ फैजाबाद के, २ कानपुर और २ फतेहगढ़ के तथा बाराबंकी, मथुरा और देहरादून में से प्रत्येक का एक-एक मामला था। पेशेवर जहर देने वाले अधिकांशतः रेलवे के प्लेटफार्मों और चलती रेलगाड़ियों में अपना काम करते हैं, जहां वे अन्जान और सीधे-सादे लोगों को सरलता से धोखा दे सकते हैं और चम्पत होने का अच्छा अवसर भी पा जाते हैं।

शाहजहांपुर में एक आबकारी का ठेकेदार खाली बोतलों को नकली शराब से भरे जाते हुये अन्य ५ व्यक्तियों के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके पास भांग के ३ थैलों के अतिरिक्त लगभग १३०० बोतलें मिलीं जिनके आधे-आधे भाग में शराब थी, ३६६ खाली बोतलें थीं, १०२८ बोतलों में नकली शराब थी तथा अत्यधिक मात्रा में मैथीलेटेड स्पिरिट थी तथा कुछ बोतलें एसेंस तथा रंगने की सामग्री की थीं।

बदायूं में ५३ अवैध रूप से शराब बनाये जाने के सेट, ४८० अवैध शराब की बोतलें, १८ सेर चरस और २७ सेर गांजा बरामद किया गया।

बस्ती और मिर्जापुर में क्रमशः ९०,००० रु० और ८०,००० रु० का गांजा बरामद हुआ। बरेली में कई सेर चरस, अफीम और गांजा मिला और रामपुर पुलिस ने १ मन ६ सेर कच्ची अफीम जिसका मूल्य कई हजार रुपये था, बरामद किया।

सहारनपुर में शक्कर से भरी हुई ३ ट्रकों को पकड़ा गया, जबकि उसे चोरी से पंजाब ले जाया जा रहा था।

१५—पुलिस की हिरासत से निकल भागना—१९५८ के ४०, १९५७ के ४५, १९५६ के ५३ और १९५५ के ३७ व्यक्तियों की तुलना में १९५९ में ४० व्यक्ति पुलिस

की हिरासत स निकल भागे। इन भागे हुये व्यक्तियों में से २२ व्यक्ति फिर गिरफ्तार कर लिये गये। १३ मामलों में पुलिस दल को उत्तरदायी नहीं पाया गया जबकि शेष मामलों में, जिनमें उन्हें दोषी पाया गया, दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त-कार्यवाही की गई। जिन मामलों में पुलिस दल, उत्तरदायी नहीं पाया गया, पुलिस अधिकारिकों (Official) पर सामान्यतया हमला किया गया और गिरफ्तार किये गये अभियुक्त साथियों या संबंधियों द्वारा छुड़ा लिये गये।

१६--परिवाद योजना--परिवाद योजना सामान्यतया उपयोगी रही। यह योजना पुलिस उप-महा निरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग के प्रभार में रही। इनकी सहायता के लिये लखनऊ स्थित मुख्यालय के एक पुलिस अधीक्षक तथा तीन स्टाफ अधिकारी तथा जिला या जिलों के प्रभारी पुलिस उप-अधीक्षक "परिवाद" रहे। उक्त योजना ने अब अपने जीवन का चतुर्थ वर्ष पूरा किया है। इस योजना के अधीन पुलिस के अपत्रित अधीनस्थ कर्मचारियों के विरुद्ध रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, बलात रुपया आदि वसूल करने (Extortion), उत्पीड़न (Harassment) और जान बूझकर किये गये प्रतिशोधात्मक कार्यों के परिवादों तथा अन्य विभागों के अपत्रित सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार तथा बलात रुपया आदि वसूल करने के संबंध में कार्यवाही की जाती है। १९५९ में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कुल मिलाकर ७,६९२ परिवाद प्राप्त हुये, जिनमें से ५,९३६ (७७.२ प्रतिशत) पुलिस के थे और १,७५६ (२२.८ प्रतिशत) अन्य विभागों के थे जबकि इसकी तुलना में १९५८ में ७,६४७ परिवाद ६,२०४ (८१.२ प्रतिशत) पुलिस के और १,४४३ (१८.८ प्रतिशत) अन्य विभागों के प्राप्त हुये थे, १९५७ में ७,८८० परिवाद जिसमें से ६,४३४ (परिवाद ८१.६) प्रतिशत पुलिस के और १,४४६ (१८.४ प्रतिशत) अन्य विभागों के प्राप्त हुये थे तथा १९५६ में ७,५२५ परिवाद, जिसमें से ६,०९१ (८० प्रतिशत) पुलिस के और १,४३४, (२० प्रतिशत) अन्य विभागों के प्राप्त हुये थे। १९५९ में प्राप्त हुये कुल ७,६९२ परिवादों में से ४,२७३ परिवाद अर्थात् ५५.५ प्रतिशत रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार सम्बन्धी थे, ९५१ अर्थात् १२.३ प्रतिशत बलात रुपया आदि वसूल करने १,७७० अर्थात् २३ प्रतिशत उत्पीड़न, ११५ अर्थात १.४ प्रतिशत जानबूझकर किये गये प्रतिशोधात्मक कार्यों के सम्बन्ध में थे तथा ५८३ अर्थात ७.५ प्रतिशत विविध प्रकार के थे। १९५९ में ६,७४९ मामलों की जांच पुलिस उप-अधीक्षक "परिवाद" द्वारा की गई जिनमें से १,६४३ मामले पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से प्रमाणित हो गये और २४३ मामलों में वर्ष १९५९ के अन्त तक जांच की जा रही थी। प्रमाणित परिवादों का प्रतिशत २१.३ आता है, जबकि इसकी तुलना में १९५८ में यह प्रतिशत २७.६ तथा १९५७ में २८.४ और १९५६ में २९.६ था।

कुल १,६४५ प्रमाणित परिवादों में से १,५९६ परिवादों में वैभागिक कार्य-वाही की गई, ८६८ मामलों में अपराध करने वाले सरकारी कर्मचारियों को उपयुक्त दंड दिया गया। ७१ वैभागिक कार्यवाहियों में अभियुक्त दोष मुक्त कर दिये गये और ६५६ मामले वर्ष के अन्त में विचाराधीन थे। एक अभियुक्त वैभागिक सुनवाई के समय मृत्यु को प्राप्त हुआ और इस कारण उसके मामले को निक्षिप्त कर दिया गया। ४१ मामले न्यायालय भेजे गये, जिसमें से ६ मामलों में अभियुक्त सिद्ध दोष हुये, एक मामले में अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया और ३३ मामले वर्ष के अन्त में सुनवाई के लिये विचाराधीन थे। एक अभियुक्त न्यायालय में सुनवाई के समय मर गया और ७ मामलों में वर्ष के अन्त में जांच की जा रही थी।

१७—**पुलिस के विरुद्ध परिवाद**—१९५८ के ६,२०४; १९५७ के ६,४३४ और १९५६ के ६,०९१ परिवादों की तुलना में १९५९ में ५,९३६ परिवाद प्राप्त हुये। इन परिवादों में से ६०२ की जांच पुलिस उप-अधीक्षक परिवाद को इस कारण नहीं सौंपी गयी कि या तो वे अस्पष्ट, गुमनाम या मामूली किस्म के थे अथवा उनकी जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा पहले ही की जा चुकी थी या पेशबन्दी आदि में किये गये थे। १९५९ में २२ प्रतिशत परिवाद प्रमाणित हुये जबकि १९५८ में २५ प्रतिशत, १९५७ में २५.७ प्रतिशत तथा १९५६ में २६.६ प्रतिशत प्रमाणित हुये थे। इससे यह प्रकट होता है कि पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अधिक संख्या में निराधार परिवादों का प्राप्त होना जारी है।

पुलिस उप-अधीक्षकों (परिवाद) को जांच करने के लिये सौंपे गये कुल ५,३३४ परिवादों में से २,६५० परिवाद अर्थात् ४९.६ प्रतिशत घूसखोरी। भ्रष्टाचार से ८७१ अर्थात १६.३ प्रतिशत बलात् रुपया लेने से, १,६३२ अर्थात ३०.५ प्रतिशत उत्पीड़न से, ७० अर्थात् १.३ प्रतिशत जानबूझ कर किये गये प्रतिशोधात्मक कार्य से सम्बन्धित थे और १११ अर्थात् २ प्रतिशत परिवाद विविधि प्रकार के परिवाद थे।

दोषी पाये गये पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही करने के फलस्वरूप ३ हेड कान्सटेबुल, २९ कान्स्टेबुल और एक क्लर्क पदच्युत किये गये, दो कान्स्टेबुल सेवामुक्त किये गये, १८ सब-इन्स्पेक्टर, १५ हेडकान्स्टेबुल, और ७३ कान्स्टेबुलों का वेतन-कम किया गया और एक सब-इन्स्पेक्टर, की वेतन वृद्धि रोक दी गई। ३२ सब-इन्स्पेक्टरों, १ असिस्टेन्ट पब्लिक प्रोसीक्यूटर, १ क्लर्क, ४१ हेड कान्स्टेबुलों और २०५ कान्स्टेबुलों के सम्बन्ध में सत्यनिष्ठता प्रमाणपत्र रोक दिये गये, २ सर्किल इन्स्पेक्टरों, १५७ सब-इन्स्पेक्टरों, २ असिस्टेन्ट पब्लिक प्रोसीक्यूटरों, ५७ हेड कान्सटेबुलों १६५ कान्स्टेबुलों और २ अनुचरों (Follwers) के शील विवरण में अपचार प्रविष्टियां की गई। २३ सब-इन्स्पेक्टरों, ८ हेड कान्स्टेबुलों और ५९ कान्स्टेबुलों के शील विवरण में क्षुद्र दंडात्मक प्रविष्टियां की गई जबकि ४ सर्किल इन्स्पेक्टरों, १३६ सब-इन्स्पेक्टरों, १ असिस्टेन्ट पब्लिक प्रोसीक्यूटरों, २ क्लर्क, ७१ हेड कान्सटेबुलों, ३०५ कान्स्टेबुलों को या तो चेतावनी दी गई अथवा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई। ३५३ मामलों में वर्ष के अन्त में कार्यवाही विचाराधीन थी।

१८—**पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के अपत्रित सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध परिवाद**—विभिन्न अन्य विभागों के अपत्रित सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध १,७५६ परिवाद प्राप्त हुये थे जिनमें से १,४१५ परिवाद पुलिस उप अधीक्षकों (परिवाद) को जांच के लिये सौंपे गये, जबकि इसकी तुलना में १९५८ में १४४३ परिवाद प्राप्त हुये थे, जिनमें से ९४९ परिवाद पुलिस उप अधीक्षकों को जांच के लिये सौंपे गये थे।

१९५९ में पुलिस उप-अधीक्षक (परिवाद) द्वारा जांच किये गये कुल १,४१५ परिवादों में से १,३२३ परिवाद अर्थात ९३.५ प्रतिशत घूसखोरी, भ्रष्टाचार से, ६९ अर्थात ४.८ प्रतिशत बलात् रुपया आदि वसूल करने से, ११ अर्थात .७७ प्रतिशत उत्पीड़न से सम्बन्धित थे। १ परिवाद जानबूझकर कर किये गये प्रतिशोधात्मक कार्य और ११ अर्थात् .७७ प्रतिशत विविधि प्रकार के थे। १९५९ में जांच करने पर प्रमाणित परिवादों का प्रतिशत ३५.२ था, जबकि इसकी तुलना में १९५८ में यह प्रतिशत ४३.२ १९५७ में ४४.५ और १९५६ में ४७.१ था।

१९५९ में उप-अधीक्षक पुलिस द्वारा जांच किये गये, १,४१५ परिवादों में से ९१० परिवाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों के, १३८ सिंचाई, नलकूप आदि के कर्मचारियों के, ६९ नियोजन विभाग, ५३ चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग, ३९ वन विभाग, ३८ आबकारी विभाग, २९ कृषि विभाग, २८ सार्वजनिक निर्माण विभाग १७ जिला संपूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध थे। १६ परिवहन विभाग —

१६ न्याय विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध, १२ शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध, १० पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध, ९ जेल विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध, पुनर्वासन, पशुपालन तथा मत्स्य विभाग के कर्मचारियों में से प्रत्येक के विरुद्ध सात-सात परिवाद थे। स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के विरुद्ध छः गन्ना उद्योग तथा विविध विभागों के कर्मचारियों में से प्रत्येक के विरुद्ध तीन-तीन तथा विक्रय-कर विभाग एवं नियोजन कार्यालय के कर्मचारियों में से प्रत्येक के विरुद्ध एक-एक परिवाद था।

उपर्युक्त पैरा १७ के उपपैरा (१) में उल्लिखित कारणों से पुलिस उप-अधीक्षक (परिवाद) को ३४१ मामले नहीं सौंपे गये थे। १,३४० मामलों में जांच पूरी की गयी और इनमें से ४७२ मामलों में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से आरोप प्रमाणित हुये। ४४५ मामलों में विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गई, २४ मामले न्यायालय भेजे गये और ३ मामले जांच के लिये वर्ष के अन्त तक विचाराधीन रहे। विभागीय रूप से किये गये मामलों में से ९६ मामलों में दंड दिया गया, ४५ मामलों में आरोप सिद्ध नहीं हो सके और ३०३ मामले वर्ष के अन्त तक विचाराधीन रहे। एक अधिकारिक की मृत्यु हो गई, जब कि उसके सम्बन्ध में विभागीय रूप से सुनवाई की जा रही थी। न्यायालय भेजे गये २४ मामलों में से २ मामले सिद्धदोष पाये गये, १ दोषमुक्त हुआ, १ मामला निक्षिप्त कर दिया गया, क्योंकि अभियुक्त की मृत्यु सुनवाई के समय हो गई थी और वर्ष के अन्त तक २० मामले विचाराधीन रहे।

विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप २८ सरकारी कर्मचारी पदच्युत किये गये, २९ सेवा से हटा दिये गये, २२ कर्मचारियों का वेतन घटा दिया गया, ११ कर्मचारियों की वेतन वृद्धियां रोक दी गई, ५ मामलों में सत्यशीलता के प्रमाणपत्र रोक दिये गये और १६ मामलों में अपचार प्रविष्टियां की गयीं। ७९ मामलों में क्षुद्र दंडात्मक प्रविष्टियां की गई अथवा अन्य विभागीय कार्यवाही की गई।

उपर्युक्त विवरण से इस योजना के संबंध में स्पष्ट विदित होता है कि यह योजना प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में उपयोगी सिद्ध हुई है। इसने जनता के लिये ऐसे साधन की व्यवस्था की है जिससे वह अपने परिवादों का निवारण उप-अधीक्षक, पुलिस परिवाद द्वारा की जाने वाली तत्काल जांचों से कर सकें। यह पुलिस विभाग के लिये विशेष रूप से लाभकारी हुई है, जहां दोषी पुलिस अधिकारियों को पर्याप्त दंड दिये जाते थे। इस योजना के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के साथ-साथ यह आशा है कि अन्य विभाग इस योजना का अपेक्षा कृत अधिक उपयोग करेंगे।

१९—बाल अपचार संबंधी आंकड़े—१९५९ में २,००३ बाल अपचारियों ने सब मिलाकर १,६२१ मामलों में अपराध किये, जबकि इसकी तुलना में १९५८ में २,१६६ बाल अपचारियों ने १,६८६ मामलों में अपराध किये और १९५७ में २,७५२ बाल अपचारियों ने २,१३३ मामलों में अपराध किये। पिछले दो वर्षों की तुलना में १९५९ में बाल अपचारियों की कुल संख्या तथा साथ ही साथ उनके द्वारा किये गये अपराधों में कमी होने का पता चलता है। इन बाल अपचारियों द्वारा किये गये अपराधों का अपराधानुसार अध्ययन करने से पता चलता है कि १९५९ में व्यक्तियों के प्रति १५० गम्भीर अपराध किये गये, २१९ गम्भीर अपराध सम्पत्ति के लिये, ६९५ क्षुद्र अपराध व्यक्ति या सम्पत्ति के प्रति, ५५८ मामले अन्य विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत हुये तथा ४३८ मामले इन बाल अपचारियों द्वारा जुये तथा आबकारी अधिनियमों के अधीन किये गये, जबकि इसकी तुलना में १९५८ में ये मामले क्रमशः १९३, २३९, ६११, ६११, और ४३५ थे तथा १९५७ में क्रमशः २७३, ३२९, ७५९, ७५९ और २६६ थे? बाल अपचारियों द्वारा किये गये सबसे अधिक अपराध चोरी या सेंध लगाने के थे, तथा जुये और आबकारी अधिनियमों के अधीन क्रमशः २८५ और १५३ अपराध किये गये

थे। बाल अपराधियों के आयु वर्ग पर गौर करने से पता चलता है कि सबसे अधिक अपराध १७—२१ वर्ष तक के बालकों द्वारा किये जाते हैं, जिसमें १९५९ में अपराधियों की संख्या १,४७० थी, जबकि इसकी तुलना में १९५८ में अपराधियों की संख्या १,५०२ और १९५७ में १,९२४ थी। १२ वर्ष से १७ वर्ष तक के दूसरे आयु वर्ग में १९५९ में ४५७ अपराधी थे जबकि इसकी तुलना में १९५८ में अपराधियों की संख्या ५९० और १९५७ में ७६० थी। अपराधियों की सबसे कम संख्या ७ वर्ष से १२ वर्ष तक के आयु वर्ग की है, जिसमें १९५९ में अपराधियों की संख्या ७६ रही, जबकि इसकी तुलना में १९५८ में यह संख्या ७४ और १९५७ में ६८ थी।

१,५०० बाल अपराधी नियमित न्यायालयों में सुनवाई के लिये भेजे गये और ५०० मामले बाल न्यायालयों को भेज दिये गये, जबकि इसकी तुलना में इनकी संख्या १९५८ में क्रमशः १,७७२ और ३९१ थी और १९५७ में क्रमशः १,९०६ और और ८४६ थी। १९५९ में ३७३ बाल अपराधियों को परिवीक्षा पर रक्खा गया, ३०५ को उनके माता पिता के पास भेज दिया गया, ६ बाल अपराधियों को सुधारालयों अथवा प्रमाणित विद्यालयों जैसी संस्थाओं के सुपुर्द कर दिया गया और ८१६ बाल अपराधियों पर अन्य प्रकार से कार्यवाही की गई, जबकि इसकी तुलना में १९५८ में इनकी संख्या क्रमशः ३२९, १५९, ५७ और १,३३७ थी और १९५७ में क्रमशः ५४९, ३६७, १६ और १,३६९ थी। बाल अपराधियों के विरुद्ध वर्ष के अन्त में ५०० मामले सुनवाई के लिये विचाराधीन थे, जब कि इसकी तुलना में १९५८ और १९५७ में यह संख्या क्रमशः २८१ और ४५१ थी।

इस प्रकार बाल अपचार से इस राज्य में कोई विशेष समस्या उपस्थित नहीं होती है। बालकों के अधिकांश अपराध वयस्क अपराधियों के बुरे प्रभाव तथा उपयुक्त प्रकार का घरेलू जीवन न होने के कारण किये गये। इस प्रकार के अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण रखने और उन्हें कम करने के लिये यह आवश्यक है कि बालकों को बुरी संगत से दूर रखा जाय। बाल अपचार को कम करने के कार्य में लगे हुये सामाजिक संगठनों को सभी संभाव्य सहायता देने के अनुदेश पुलिस अधिकारियों को पहले ही दिये जा चुके हैं।

भाग ३

२०—अपराधियों का पता लगाना और उनकी रोकथाम—गत ५ वर्षों में जितने मामलों की रिपोर्ट की गई, जांच की गई और उनका निर्णय किया गया, उनकी तुलना में सिद्धदोष मामलों का प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

वर्ष	रिपोर्ट किये गये मामलों की तुलना में सिद्धदोष मामलों का प्रतिशत	जांच किये गये सच्चे मामलों की तुलना में सिद्धदोष मामलों का प्रतिशत	न्यायालयों में निर्णीत मामलों की संख्या की तुलना में सिद्ध-दोष मामलों का प्रतिशत	न्यायालयों द्वारा मुक्त किये गये मामलों का प्रतिशत, जिनके खारिज किये गये अथवा वापस किये गये मामले सम्मिलित नहीं हैं
१	२	३	४	५
१९५५	२५	२८	६५	२८.७
१९५६	२१	२५	६३	२९.५
१९५७	२३	२७	६५	२८
१९५८	२४.५	२७.८	६४	२७.७
१९५९	२५	२५	६३	२६.३

रिपोर्ट किये गये मामलों की तुलना में सिद्धदोष मामलों के प्रतिशत में १९५९ में कुछ सुधार हुआ है। सिद्धदोष मामलों के प्रतिशत और जांच किये गये सही मामलों के प्रतिशत में कुछ कमी हुई है। सिद्धदोष मामलों के विषय में १९५९ में २५ प्रतिशत सुधार हुआ है, जबकि इसकी तुलना में १९५८ में यह प्रतिशत २४.५ था तथा जांच किये गय सही मामलों का प्रतिशत १९५८ में २७.८ प्रतिशत से १९५९ में घटकर २५ प्रतिशत हो गया है। निर्णीत मामलों की संख्या की तुलना में सिद्धदोष मामलों का प्रतिशत कुछ घटकर ६३ हो गया है, जबकि १९५८ की तुलना में यह प्रतिशत ६४ था। यद्यपि पिछले वर्षों में प्राप्त परिणामों से ये आंकड़े काफी मिलते जुलते हैं, तथापि आग भी सुधार संभव है। उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत ही संभव प्रयास किया जा रहा है, जिससे जांच तथा अभियोजन सम्बन्धी कार्य (Prosecutions) में सुधार किया जा सके। और अधिक वैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता सामान्यतया अनुभव की गई है। नीचे दिये हुये कारणों से भी बहुधा परिणाम असन्तोषजनक पाये गये हैं और उनके सम्बन्ध में उपाय करने की आवश्यकता है—

(१) स्वतन्त्र तथा विश्वस्त साक्षी सामान्यतया साक्ष्य देने के लिये सामने आना नहीं चाहते क्योंकि इससे उन्हें असुविधा होती है और वे लोगों को अपने विरुद्ध नहीं करना चाहते ।

(२) जमानत पर छोड़े हुये अभियुक्तों द्वारा दी गई हिंसा की धमकियों से बहुधा गवाह बिगड़ जाते हैं।

कुछ बड़े नगरों में जांच कर्मचारियों से वाच ऐन्ड वार्ड (रक्षा प्रहरी) के अलग करने तथा द्रुतगामी दलों की व्यवस्था करने से अपराधों को अधिक अच्छी रीति से पता लगाने तथा मामलों की तुरन्त छान-बीन करने में बड़ी सहायता मिली है ।

आधुनिक मांगों के अनुसार वैज्ञानिक जांच के उन्नत ढंगों, वैज्ञानिक सहायता की व्यवस्था और जांच करने वाले कर्मचारिवर्ग में वृद्धि के कारण आशा की जाती है कि अब लगभग और भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

१९५९ में सब इन्स्पेक्टरों द्वारा पूर्ण रूप से अदक्षता के साथ अथवा भ्रष्टता पूर्वक जांच करने के १०४ उदाहरण मिले जिनका पता ज्येष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उस समय लगाया जबकि जांच कार्य किया जा रहा था। ९५ मामलों में दोषी सब-इन्स्पेक्टरों को उपयुक्त दंड दिये गये और १९५९ के अन्त तक ९ मामलों में अन्तिम-रूप से कार्यवाही नहीं हो पाई थी ।

२१--चुराई गई और बरामद की गई सम्पत्ति--गत तीन वर्षों में चुराई गई सम्पत्ति की धनराशि तथा बरामद की गई सम्पत्ति का प्रतिशत नीचे रुपयों में दिया गया है :—

अपराध	१९५७		१९५८		१९५९	
	चुराई गई सम्पत्ति	बरामद की गई सम्पत्ति का प्रतिशत	चुराई गई सम्पत्ति	बरामद की गई संपत्ति का प्रतिशत	चुराई गई सम्पत्ति	बरामद की गई सम्पत्ति का प्रतिशत
सेंध लगाना	८०,३२,८५६	६.८	७५,९३,३४९	६.९	६०,४१,५५१	८.१
अन्य चोरियां	५२,९२,५६१	१९.६	६१,५७,६६८	१७.९	८४,४०,४९६	१५.७
डकैती	१३,९६,०७२	२.५	१२,२२,६५२	३.८	१४,०८,४२४	३.५८
लूटमार	२,५२,५७४	२५.९	६,८८,४४३	३.५	४,८९,४६५	५७.६
आपराधिक विश्वासघात	९,२२,९२४	९.९	९,६५,४८४०	९.९	६,७३,५२३	१०.८
लोक सेवकों अथवा उनके अभिकर्ताओं द्वारा अपराधिक विश्वासघात	४,७९,७६४	५.५	४,१९,२२५	४.६	६,१७,८०८	९.१८

१९५८ की तुलना में १९५९ में "सेंध लगाना" तथा "लूटमार" शीर्षकों के अन्तर्गत चुराई गई अथवा लूटी गई सम्पत्ति के मूल्य में कमी हुई जबकि "अन्य चोरियों" डाका तथा आपराधिक विश्वासघात जैसे अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत चुराई गई अथवा लूटी गई सम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई तथा लोक सेवकों और अभिकर्त्ताओं से संबंधित मामलों में १९५८ की तुलना में १९५९ में वृद्धि हुई। शीर्षक "सेंध लगाना" "लूटमार करना", "आपराधिक विश्वासघात" तथा लोक सेवकों अथवा उनके अभिकर्त्ताओं द्वारा आपराधिक विश्वासघात के अन्तर्गत बरामद की गई सम्पत्तियों के प्रतिशत में वृद्धि हुई शीर्षक "लूटमार" के अधीन बरामद की गई सम्पत्ति में १९५८ के ३.५ प्रतिशत की तुलना में १९५९ में ५७.६ प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। शीर्षक "डकैती" और "अन्य चोरियां" के अधीन बरामद की गई सम्पत्ति के प्रतिशत में १९५८ की तुलना में कुछ कमी हुई।

आपवादिक रूप से अच्छी वसूली १,०९,७०० रुपये की हुई जिसे मेरठ सिटी पुलिस ने श्री अनवर सैमुअल दत्ता, खंड विकास अधिकारी, कांगड़ा, पंजाब की गिरफ्तारी करके की। श्री दत्ता श्री एस० के भासीन नामक कल्पित नाम से एक मेरठ होटल में रहते थे। श्री दत्ता १,५०,००० रुपये की धनराशि का गबन करके फरार हो गये थे।

२२--<u>मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट तथा यातायात सम्बन्धी अपराध</u>--पिछले पांच वर्षों में दुर्घटनाओं और मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट तथा तदधीन बने नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा चलाये गये मुकदमों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :--

	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९
व्यक्ति जो मारे गये ..	४१०	४७७	५३२	५३२	६२१
व्यक्ति जो घायल हुये ..	८४१	९५२	७९१	८१९	१,००६
विधि की धारायें--					
इंडियन पैनल कोड की धारा ३०४ ..	३६५	३०९	४८०	४९८	५९२
इंडियन पैनल कोड की धारा ३३७/३३८	४७९	६४९	५९३	६३१	६६६
इंडियन पैनल कोड की धारा २७९ और मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ११६	६५५	५१२	५९६	५३४	२९४
बसों पर निर्धारित संख्या से अधिक यात्री बैठाना	३८८	२९७	३६९	२६८	२६२
ट्रकों पर निर्धारित परिमाण से अधिक सामान लादना	५३१	९७६	७४६	८४६	९४३

यातायात सम्बन्धी अपराधों की संख्या और साथ ही मारे गये तथा घायल व्यक्तियों की संख्या अब भी पहले की तरह बढ़ी हुई है। शहरों में अधिक भीड़-भाड़ होने, ड्राइवरों तथा पैदल चलने वालों को सड़क पर ठीक से आने जाने का ज्ञान न होने तथा बसों और ट्रकों पर निर्धारित संख्या से अधिक यात्री बैठाने या अधिक सामान लादने के सम्बन्ध में नियमों के उल्लंघन और साथ ही परिवहन के यांत्रिक साधनों में वृद्धि होने के

कारण मुख्यतया इतनी दुर्घटनायें हुईं। बड़े शहरों में सड़कों पर विनय सप्ताह मनाकर तथा अन्य प्रचार करके इस सम्बन्ध में आम जनता को शिक्षा देने तथा उन्हें यातायात सम्बन्धी अधिक ज्ञान कराने के प्रयत्न बराबर किये जाते रहे। ट्रैफिक पुलिस के पूर्ण प्रशिक्षण पर भी अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस कान्स्टेबुलों को अपने व्यवहार में नम्रता लाने के अनुदेश बराबर दिये जा रहे हैं। नगरपालिकाओं तथा नगर सुधार मंडलों (इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों) से महत्वपूर्ण यातायात स्थलों पर (Traffic Points) ट्रैफिक आइलैन्ड्स तथा कैनोपी (Canopies) बनवाने के लिये बराबर कहा जा रहा है। मोटर को तेज गति से तथा उतावला होकर चलाने के अपराधों को अच्छी प्रकार रोकने के लिये बड़े शहरों में सचल कार रखे जाने की अविश्यकता का लगातार अनुभव किया जा रहा है।

२३—निगरानी (Surveillance)—१९५८ के अन्त में ६०,२२४ व्यक्तियों की तुलना में तथा १९५७ के अन्त में ५८,८१५ व्यक्तियों की तुलना में १९५९ के अन्त में ६१,२०६ व्यक्ति पुलिस की निगरानी में थे। पुलिस की निगरानी के अधीन रखे गये व्यक्तियों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है क्योंकि सभी बदमाश व्यक्तियों को पुलिस की निगरानी में रखने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। १९५९ में पुलिस की निगरानी में रखे गये ४४,५६७ व्यक्ति भूतपूर्व सिद्धदोषी थे, जबकि इसकी तुलना में १९५८ में ऐसे व्यक्तियों की संख्या ४३,५५५ और १९५७ में ४२,६०७ थी। शेष व्यक्तियों को उनकी कुख्याति तथा कथित आपराधिक कार्यवाहियों के कारण पुलिस की निगरानी में रखा गया था। पुलिस की निगरानी में रखे गये व्यक्तियों में से १९५९ के अन्त में ९,५७९ व्यक्ति जेल में थे तथा ६,२५७ व्यक्ति लापता थे। लापता नम्बरी बदमाशों की संख्या कम होती जा रही है, जो १९५८ और १९५७ में क्रमशः ७,७३७ और ७,५७७ थी। इसका कारण लापता नम्बरी बदमाशों का पता लगाने में किये गये सतत प्रयास हैं। १९५९ के अन्त में "क" वर्ग के नम्बरी बदमाशों की संख्या ४,६२८ थी, जबकि इसकी तुलना में १९५८ तथा १९५७ के अन्त में इनकी संख्या क्रमशः ४,६३६ और ४,८०४ थी। १९५९ के अन्त में "ख" वर्ग के नम्बरी बदमाशों की संख्या ८९५ थी, जबकि १९५८ और १९५७ के अन्त में यह संख्या क्रमशः ८०९ और ९३१ थी। "क" वर्ग के नम्बरी बदमाशों की संख्या कुछ कम हो गई है, जबकि "ख" वर्ग के नम्बरी बदमाशों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। ऐसा देखा गया है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति विभिन्न स्थानों में मिलों में और फैक्ट्रियों में अपने कल्पित नामों से जगह पा जाते हैं।

२४—निवारक कार्यवाही—दंड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) की धारा १०९ और ११० के अधीन निवारक कार्यवाही के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये जाते हैं:

वर्ष	दंड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) की धारा ११०		दंड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) की धारा १०९	
	उन व्यक्तियों की संख्या जिनपर मुकदमा चलाया गया	उन व्यक्तियों की संख्या जिनसे मुचलके लिये गये	उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया	उन व्यक्तियों की संख्या जिनसे मुचलके लिये गये
१९५७	३,००४	१,८६८	१४,९९६	१०,३३६
१९५८	२,९४२	१,८३५	१२,९३९	८,९९३
१९५९	२,८९६	१,९९३	१२,०२५	८,७१९

स्थानीय दलबंदियों तथा बदमाशों और गुन्डों के विरुद्ध गवाही देने के लिये आगे आने के सम्बन्ध में प्रतिष्ठित स्थानीय गवाहों को हिचक होने के कारण क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा ११० के अधीन कार्यवाही करना प्रायः कठिन हो जाता है। राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के निजी प्रयत्नों के कारण बहुत से गुन्डों तथा बदमाशों का दमन करने के हेतु जनता का सहयोग प्राप्त करने में बहुत सफलता मिली है।

हैबिच्युअल अफेन्डर्स रेस्ट्रिक्शन ऐक्ट के अधीन बलिया से आये हुये एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया और यह मुकदमा वर्ष के अन्त तक अन्वीक्षाधीन रहा।

भाग ४

२५—जिला कार्यकारी दल (District Executive Force)—(१) कुल संख्या तथा व्यय—स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार के कर्मचारियों को मिलाकर इस दल की कुल संख्या १९५९ के अन्त में ६३,२५५ थी जबकि १९५८ के अन्त में यह संख्या ६३,११६ और १९५७ के अन्त म ६२,२३० थी। १९५८–५९ के ९,३६,८३,३०५ रुपये की तुलना में १९५९–६० में इस दल पर कुल प्रत्याशित व्यय ९,७५,११,९०० रुपया हुआ।

१९५९–६० का प्रत्याशित व्यय ९,७५,११,९०० रुपये था, जबकि इसके लिये ९,४१,८४,६०० रुपये की मूल धनराशि दी गई थी। इस प्रकार पुलिस पर व्यय राज्य के कुल राजस्व का केवल ८.१५ प्रतिशत हुआ जबकि युद्ध के पूर्व यह व्यय राज्य के कुल राजस्व का लगभग १३ प्रतिशत होता था।

बढ़ती हुई जन संख्या तथा पुलिस की बढ़ती हुई मांग होने पर भी पुलिस दल की कुल संख्या में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है विशेषकर पुलिस के कार्य कलापों में निरन्तर वृद्धि को दृष्टि में रखते हुये बहुत से शहरों और नगरों में पुलिस की स्वीकृत संख्या सामान्यतया अपर्याप्त है। वस्तुतः उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों की संख्या प्रति हजार जन संख्या के पीछे केवल १ आती है और मध्य प्रदेश तथा बिहार को छोड़कर देश में सबसे कम है। बम्बई तथा मध्य भारत में उक्त संख्या १९५५ में १.८ थी, जब कि उत्तर प्रदेश में यह संख्या .८ थी। पर्यवेक्षक (सुपरवाइजरी) कर्मचारियों की संख्या भी अपर्याप्त है तथा इसके पुनरीक्षण की आवश्यकता है। अब राज्य सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिये एक पुलिस आयोग संगठित किया है और यह आशा की जाती है कि यह आयोग सम्पूर्ण पुलिस दल के मूल रूप से पुनःसंगठन पर विचार करेगा।

(२) सिविल पुलिस—१९५९ के अन्त में सिविल पुलिस के स्थायी कर्मचारियों की संख्या ३३,९४० थी, जबकि इसकी तुलना में १९५८ तथा १९५७ के अन्त में यह संख्या क्रमशः ३३,९०७ और ३३,७५८ थी।

बड़े शहरों में अनुसंधान कर्मचारीवर्ग को विधि और व्यवस्था कर्मचारी वर्ग से अलग करने तथा महत्वपूर्ण पुलिस चौकियों पर सब इंस्पेक्टर तैनात करने की कार्यवाही पूर्ववत् उपयोगी सिद्ध हुई है। एक लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले अन्य शहरों में इन योजनाओं के प्रसार का प्रश्न विचाराधीन है।

प्रतापगढ़ और बुलन्दशहर के अतिरिक्त, अन्य जिलों में भी गांव के चौकीदारों के स्थान पर गश्ती सिपाही (बीट कान्स्टेबुल) रखने के प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

इस वर्ष भी विदेशों के बहुत से विशिष्ट व्यक्ति इस राज्य में पधारे, जिसके लिये पुलिस को व्यापक व्यवस्था करनी पड़ी, विशेषकर अमेरिका के राष्ट्रपति के आगमन के सम्बन्ध में, परन्तु इस भारी कार्यभार को पुलिस के सभी पदाधिकारियों ने प्रसन्नता से वहन किया।

सूचना कक्षों, द्रुतगामी दलों, खोये हुये बच्चों को ढूंढने वाले दलों, "हमारे योग्य कोई सेवा" दलों ने बहुत अच्छा कार्य किया तथा अनेक अवसरों पर द्रुतगामी दल द्वारा सत्वर कार्यवाही करने के कारण स्थिति को बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया गया। बहुत से जिलों द्वारा स्वयं अपने कर्मचारियों तथा मोटर गाड़ियों का विभाजन करके ऐसे द्रुतगामी दल स्थापित किये गये हैं। अधिकतर जिलों में विनय पक्षों तथा अपराध निवारक सप्ताहों का आयोजन किया गया, जिससे अच्छे परिणाम निकले।

(३) सशस्त्र पुलिस—सशस्त्र पुलिस के स्थायी कर्मचारियों की संख्या १९५९ के अन्त में ११,३७३ थी, जबकि १९५८ के अन्त में यह संख्या ११,३४० और १९५७ के अन्त में ११,५६४ थी।

(४) अश्वारोही पुलिस (Mounted Police)—अश्वारोही पुलिस के स्थायी कर्मचारियों में ६ सब इन्सपेक्टरों, ३३ हेड कान्सटेबुल और १५१ कांस्टेबुल हैं। १९५९ के अन्त तक घोड़ों की संख्या २३६ थी, जबकि १९५८ के अन्त में यह संख्या २३५ तथा १९५७ के अन्त में २२९ थी। इसमें, पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद में प्रशिक्षण पाने वाले पत्रित अधिकारियों तथा एस० आई० कैडिटों को प्रशिक्षण देने के निमित्त रखे जाने वाले घोड़े भी सम्मिलित हैं।

(५) अभियोजक कर्मचारी (Prosecuting Staff)—१९५९ के अन्त में स्थायी अभियोजक कर्मचारियों में ७ ज्येष्ठ लोक अभियोक्ता, ५३ लोक अभियोक्ता तथा ३०४ सहायक लोक अभियोक्ता थे। इसके अतिरिक्त अस्थायी कर्मचारियों में ५ ज्येष्ठ लोक अभियोक्ता, ३ लोक अभियोक्ता और ५५ सहायक लोक अभियोक्ता थे, जो जिलों में बढ़े हुये कार्य को करने के लिये रखे गये थे।

कतिपय बाधाओं के रहते हुये भी मुकदमों का संचालन सन्तोषजनक रूप से किया गया।

(६) अग्नि शमन सेवा—राजकीय अग्निशमन सेवा ने जो आजकल केवल पांच बड़े नगरों में कार्य कर रही है, कार्य करने की बहुत कठिन एवं परीक्षापूर्ण परिस्थितियों में आग बुझाने तथा आग से बचाव करने में बहुत अच्छा कार्य किया है। विभिन्न परिमाणों की आग बुझाने के अतिरिक्त उन्होंने ध्वस्त भवनों में दबे हुये व्यक्तियों तथा सम्पत्ति को निकालकर अपने कार्य का अच्छा परिचय दिया है। कतिपय अवसरों पर उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा को अपने कार्य क्षेत्र के बाहर यहां तक कि इस राज्य के बाहर भी, कार्य करना पड़ा। आजकल इस राज्य की अग्नि शमन सेवा के कर्मचारियों में ३ चीफ फायर आफिसर। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी। ८ फायर स्टेशन आफिसर, ८ फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर, ३० अग्नि शमन सेवा ड्राइवर, १९ प्रमुख फायर मैन और १३३ फायरमैन हैं। १९५९ में उन्होंने ५९० अग्नि दुर्घटनाओं में आग बुझाने तथा ९९ विशेष सेवा के कार्य किये, जबकि १९५८ में उन्होंने क्रमशः ६४१ तथा १०९ दुर्घटनाओं में उक्त सेवा कार्य किया था। १९५९ में ९४,३६,५५८ रुपये के मूल्य की सम्पत्ति क्षति ग्रस्त या नष्ट हुई, जबकि १९५८ में केवल ४८,४१,०६० रुपये के मूल्य ही की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई थी। इसके अतिरिक्त ६५ व्यक्तियों तथा ४७ पशुओं की जानें गयीं, जबकि १९५८ में ७० व्यक्तियों और ७९ पशुओं की जानें गई थीं। अग्नि शमन सेवा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने १९५९ में १२६ व्यक्तियों तथा ३६ पशुओं की जानें बचाई, जबकि १९५८ में १२५ व्यक्तियों तथा १९ पशुओं की जानें बचाई गई थीं। इसके अतिरिक्त १ करोड़ रुपयेके मूल्य की सम्पत्ति भी बचाई गई।

राजकीय अग्नि शमन सेवा की साज सज्जा अधिकतर वही है, जो अग्नि शमन सेवा का आयोजन करते समय म्युनिसिपल फायर ब्रिगेडों से प्राप्त की गई थी। इनमें से अधिकतर मशीनें पुरानी हो गई हैं और उनको बदलने की आवश्यकता है। सम्पूर्ण अग्नि शमन सेवा को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग पर लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक क्रमिक कार्यक्रम स्वीकृत किया था और इसके लिये ५ वर्षों में धन देने की व्यवस्था की थी। राज्य सरकार को अपनी अग्नि शमन सेवा की साज सज्जा को उन्नत करने के लिये सहायता देने में भारत सरकार भी बड़ी दिलचस्पी ले रही है। राजकीय अग्नि शमन सेवा को सुसज्जित करने के निमित्त भारत सरकार ने अभी हाल में ५,४६,००० रुपये का अनुदान अग्नि शामक साज सज्जा खरीदने को स्वीकृत किया है।

इलाहाबाद के राजकीय अग्नि शमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र (State Fire Training School) ने, १९५६ में अपनी स्थापना के समय से २०५ प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें जनता तथा पुलिस, दोनों ही के लोग थे। १९५९ की अवधि में पुलिस के १ फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर, ६ ड्राइवर, १ प्रमुख फायरमैन और २६ फायरमैन तथा जनता के २२ अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

२६—अभिसूचना तथा अपराध अनुसंधान विभाग—ये दोनों विभाग, अर्थात् वर्तमान अभिसूचना विभाग तथा अपराध अनुसंधान विभाग पूर्ववर्ती अपराध अनुसंधान विभाग के भाग थे, जो १९५८ में दो विभागों में बांट दिया गया था और प्रशासन विभाग उसमें मिला दिया गया था। वर्तमान स्थिति यह है कि अभिसूचना विभाग में विशेष शाखा (Special Branch) तथा प्रशिक्षण और सुरक्षा शाखा सम्मिलित हैं और अपराध अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत अपराध शाखा, राजकीय अपराध सूचना कार्यालय (ब्यूरो), परिवाद योजना तथा अंगुलांक कार्यालय ब्यूरो और वैज्ञानिक अनुभाग हैं। इन दोनों विभागों की अलग-अलग कार्यवाहियां नीचे दी गई हैं :

१—अभिसूचना विभाग

(१) विशेष शाखा—भारत के बाहर और भीतर दोनों ही स्थानों की राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने के कारण इस शाखा को अत्यधिक कार्य करना पड़ा जिसे उसने सन्तोषजनक रूप से सम्पन्न किया। पिछले वर्षों की भांति यह शाखा अच्छा कार्य करती रही।

(२) सुरक्षा तथा प्रशिक्षण शाखा—यह शाखा भी वर्ष पर्यन्त अत्यन्त व्यस्त रही और अपने कर्तव्यों का सन्तोषजनक रूप से पालन करती रही। इस राज्य में अनेक विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के कारण इस शाखा के अधिकारियों को निरन्तर कार्य करते रहना पड़ा।

२—अपराध अनुसंधान विभाग

अपराध अनुसंधान शाखा—अपराध अनुसंधान विभाग की अपराध शाखा के कर्मचारियों ने लगातार अत्यधिक कार्यभार होने पर भी कार्यक्षमता के अपने सामान्य उच्चस्तर के साथ जटिल मामलों की जांच की। इस शाखा की अपने कार्य के सम्बन्ध में अच्छी ख्याति है तथा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई जांचों के सम्बन्ध में सामान्यतया सन्तोष और विश्वास की भावना रहती है। इसका यह प्रमाण है कि अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराने की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है।

वर्ष १९५८ में की गई ३६३ जांचों की तुलना में १९५९ की अवधि में इस शाखा द्वारा की गई जांचों की संख्या बढ़कर ४४६ हो गई। १९५९ में १३३ अनुसंधान पूरे किये गये, जबकि १९५८ में १०७ अनुसंधान किये गये थे। १९५९ में न्यायालयों द्वारा ६६ मामले निर्णीत किये गये, जबकि १९५८ में ५२ मामलों का निस्तारण किया गया था। १९५९ में १०४ प्रकीर्ण जांचों का निस्तारण हुआ, जबकि १९५८ में १२४ का निस्तारण किया गया था इस प्रकार जांचों, अनुसंधानों तथा मुकदमों सभी के सम्बन्ध में सुधार हुआ।

१९५९ में प्रारम्भिक अधिक्षेत्र के न्यायालयों में ९२ प्रतिशत मामलों में अपराधी दोषी सिद्ध हुये, जबकि १९५८ में यह प्रतिशत ९१ था। १९५९ में सत्र न्यायालयों में विचाराधीन अपीलों में शत प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई, जबकि १९५८ में ९० प्रतिशत सफलता मिली थी। १९५९ की अवधि में उच्च न्यायालय में ८२ प्रतिशत मामलों में अपराधी अभिशस्त हुये, जबकि १९५८ में ७१ प्रतिशत अभिशस्त हुये थे। ये परिणाम वस्तुतः बहुत सराहनीय हैं। १९५९ के अन्त में ९८ मामले न्यायालयों में विचाराधीन थे, जबकि १९५८ के अन्त में ९३ मामले विचाराधीन थे। १९५९ के अन्त में विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन अपीलों की संख्या ३८ थी, जबकि १९५८ के अन्त में यह संख्या ३२ थी।

इन्सपेक्टरों का केन्द्रीय समुच्चय १९५६ में समाप्त कर दिया गया था, किन्तु १९५९ के आरम्भ में निस्तारण के निमित्त २ मामले शेष रह गये थे। इनमें से एक सब-इन्सपेक्टर को उनके विरुद्ध आरम्भ की गई वैभागिक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप बरखास्त कर दिया गया था और दूसरा मामला सत्र न्यायालय में विचाराधीन है।

नीचे दिये गये विवरण से अनुसंधान शाखा द्वारा पिछले पांच वर्षों में किये गये अनुसंधानों का पता चलता है :--

वर्ष	नई जांचें	पिछले वर्षों के मामले (जो अनुसंधान और विचार के निमित्त हैं)	निस्तारित मामलों का योग	अभ्युक्ति
१९५५	९६	२४१	३३७	
१९५६	१३०	२१६	३४६	
१९५७	१११	२१९	३३०	
१९५८	१३५	२२८	३६३	
१९५९	१६८	२७८	४४६	

१९५९ की अवधि में प्रारम्भ की गयी जांचों के निस्तारण के व्योरे निम्न प्रकार हैं:--

१--प्रारम्भिक अधिक्षेत्र के न्यायालयों द्वारा अभिशस्त मामले	३६
२--प्रारम्भिक अधिक्षेत्र के न्यायालयों द्वारा विमुक्त मामले ..	३
३--सरकार द्वारा अपील करने पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा अभिशस्त मामले ..	१
४--उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने पर विमुक्त मामले	४
५--विभागिक कार्यवाही द्वारा दण्डित मामले ..	७
६--मामले जो अन्यकारणों से समाप्त कर दिये गये ..	१०४
७--निम्न न्यायालयों में विचाराधीन मामले ..	६८
८--सत्र न्यायालयों में विचाराधीन मामले ..	३०
९--सत्र न्यायालयों में अपीलों के विचाराधीन मामले ..	३
१०--उच्च न्यायालयों में विचाराधीन अपीलें तथा पुनरीक्षण के मामले	३१
११--सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन अपीलें ..	४
१२--शासकीय आज्ञा की प्राप्ति तक लम्बमान मामले ..	८
१३--अनुसंधान के अंतर्गत मामले जो आवश्यक कार्यवाही के लिये अन्य अधिकारियों को भेजे गये	१४७
योग ...	४४६

अपराध शाखा द्वारा जांच किये गये महत्वपूर्ण मामलों में से कुछ नीचे दिये जाते हैं :--

(१) <u>कानपुर में रहस्यमय हत्यायें</u>--

बहुत सी ऐसी हत्यायें की गई जिनका प्रत्यक्षतः कोई प्रयोजन नहीं था और खुले स्थानों में सोते हुये निर्दोष व्यक्ति मारे गये थे । इन हत्याओं के कारण शासन को अति चिन्ता हुई और जनता में बड़ा आतंक फैल गया । अपराध शाखा द्वारा चतुर और बुद्धि संगत अन्वेषण करने के पश्चात् इन हत्याओं के लिये उत्तरदायी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। यह प्रशंसनीय सफलता थी ।

(२) जिला देवरिया का रामकोला रेलगाड़ी (ट्रेन) डकैती का मामला--

चलती हुई रेलगाड़ी में डकैती का एक सनसनी खेज मामला हुआ, जिसमें रामकोला शक्कर मिल के रक्षक को गोली मारकर हत्या करने और खजांची तथा एक अन्य यात्री को घायल करने के बाद, १ लाख रुपये के नोट छीन लिये गये थे। बिहार का एक गिरोह इसके लिये जिम्मेदार पाया गया और ७ अपराधियों को, जिनका चालान किया गया था, सत्र न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया । लूटी गई सम्पत्ति में से ७,०८० रु० की नकद धनराशि भी बरामद की गई ।

(३) गाजीपुर में अफीम की चोरी का मामला--

यह गाजीपुर की अत्यधिक सुरक्षित अफीम की सरकारी फैक्ट्री से १ लाख रुपये के मूल्य की अफीम की चोरी का सनसनीखेज मामला था। इस मामले का पता लगाया गया और चुराई गई लगभग समस्त अफीम बरामद कर ली गई। ९ आदमियों के पूरे गिरोह पर मुकदमा चलाया गया और सभी अपराधियों को सजा हो गई।

(४) बरेली में इलाहाबाद बैंक की डकैती का मामला--

यह मामला दिसम्बर, १९५९ में हुआ था जब कि भारी हथियारों से लैस एक गिरोह ने स्थानीय रोडवेज की एक कार चुरा कर बैंक से २४,४४५ रु० की नकद धनराशि दिन दहाड़े लूट ली। गिरोह का पता लगाया गया और एक स्टेन गन तथा अनेक हथियार बरामद किये गये।

२--पुलिस श्वान दल--सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत श्वान दल के कर्मचारियों में २ सब-इन्सपेक्टर, ३ कान्सटेबुल और श्वान शाला पाल (Kennel man) तथा ५ श्वान हैं। सभी कर्मचारी तथा श्वान अब पूर्णतया प्रशिक्षित कर दिये गये हैं। यह दल लखनऊ और अन्य स्थानों में महत्वपूर्ण मामलों का पता लगाने में मूल्यवान सहायता देता रहा, जिनमें से विशेष उल्लेखनीय मामला आगरा में श्रीमती कामथ की हत्या का था। उत्तर प्रदेश पुलिस श्वान दल के उच्चस्तरीय प्रशिक्षण तथा कार्यक्षमता के कारण बहुत से राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में श्वान-दल स्थापित करने के लिये हमारी सहायता मांगी।

३--अंगुलांक कार्यालय (Finger print Bureau) तथा वैज्ञानिक अनुभाग--इस अनुभाग ने अपने सीमित कर्मचारियों से ही सदा की भांति अपने कार्य का उच्च स्तर बनाये रखा और अपराधों के अनुसंधान में वैज्ञानिक सहायता की व्यवस्था करके जिलों को बहुमूल्य सहायता देकर बहुत उपयोगी कार्य किया।

(क) अंगुलांक कार्यालय--१९५९ में अंगुलांक पर्णियों की कुल संख्या २,९५,८०७ थी, जबकि १९५८ में २,९९,३९६ थी। १९५९ में प्राप्त अन्वेषण पर्णियों की संख्या १८,९१३ थी, जबकि १९५८ में यह संख्या १८,२८२ थी।

पुनः सिद्ध दोष व्यक्तियों की अभिलेख पर्णियों को सम्मिलित करके नयी अभिलेख पर्णियों की संख्या १९५९ में २०,१८७ थी, जबकि १९५८ में १८,४३१ थी। इस कार्यालय ने १९५९ में विशेषज्ञ मत के सम्बन्ध में शुल्क के रूप में २२,४७६ रु० कमाये, जबकि १९५८ में २०,७३८ रु० कमाये थे।

(ख) वैज्ञानिक अनुभाग--इस अनुभाग में आग्नेयास्त्र तथा विविध परीक्षा अनुभाग, संदिग्ध लेख्य अनुभाग तथा फोटोग्राफी अनुभाग सम्मिलित हैं। प्रत्येक अनुभाग के कार्य संचालन का विवरण नीचे अलग-अलग दिया गया है।

आग्नेयास्त्र तथा विविध परीक्षा अनुभाग--१९५९ की अवधि में २९३ मामलों की परीक्षा की गई, जबकि १९५८ में ३०७ मामलों की परीक्षा की गई थी। १९५९ में परीक्षित प्रदर्शों (Exhibits) की संख्या १,८०१ थी जबकि १९५८ में १,७२९ थी। १९५९ में आग्नेयास्त्रों की पहचान के सम्बन्ध में ९२ प्रतिशत मामलों में निश्चित राय दी गई, जबकि १९५८ में ८७.९ प्रतिशत मामलों में निश्चित राय दी गई थी। इससे इस अनुभाग को १९५९ में २,५०० रुपये की आय हुई जबकि १९५८ में २,५७० रु० की आय हुई थी।

संदिग्ध लेख्य अनुभाग--इस अनुभाग को भेजे गये मामलों की संख्या में वृद्धि हुई। वर्ष १९५९ में यह संख्या ७९५ थी, जबकि १९५८ में ५९५ थी। इस वर्ष अशासकीय विशेषज्ञों को केवल २ मामले दिये गये, जबकि १९५८ में ४५ मामले दिये गये थे। दीवानी न्यायालयों द्वारा भेजे गये केवल ६ मामले वापस किये गये क्योंकि कर्मचारियों के पास अत्यधिक कार्य था इस वर्ष की आय में अधिक वृद्धि हुई और गत वर्ष अर्जित २,२७५ रु० की तुलना में इस वर्ष ९,४६५ रु० अर्जित किये गये।

फोटोग्राफी अनुभाग--१९५९ की अवधि में १४,८६९ फोटो तैयार किये गये, जबकि १९५८ की अवधि में १०.७८३ फोटो तैयार किये गये थे। १९५९ में १०० घटनास्थलों के फोटो लिये गये, जबकि १९५८ में ८२ फोटो लिये गये थे। इस प्रकार इस अनुभाग का कार्य लगभग उसी स्तर पर बना रहा है जैसा कि १९५८ में था।

राज्य में एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला (Foregnsie Science Laboratory) शीघ्र ही स्थापित होने वाली है और उसके लिये एक भवन बनाया जा रहा है, जो पूर्ण होने वाला है।

४--प्रशिक्षण अनुभाग--यह अनुभाग प्रवीण कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता रहा और १९५९ की अवधि में १२० अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों के ९ दल प्रशिक्षित किये गये, जबकि १९५८ में १६६ अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों के १२ दल प्रशिक्षित किये गये थे।

५--राजकीय आपराधिक सूचना कार्यालय और जिला अपराध अभिलेख अनुभाग--राजकीय आपराधिक सूचना कार्यालय जो १९४७ में स्थापित हुआ था, अपराधों, अपराधियों तथा सम्पत्ति के बारे में सूचना एकत्रित तथा समन्वित करता रहा, जिसके काफी अच्छे परिणाम निकले। इस वर्ष ६६ मामलों में अनुसंधान अधिकारियों को लाभप्रद सूचना भेजी गई। राजकीय अपराधिक सूचना कार्यालय विभिन्न वर्तमान समस्याओं का अध्ययन करने के पश्चात् टिप्पणियां भी प्रकाशित करता रहा है, जो बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं।

इस वर्ष जिला अपराध अभिलेख अनुभाग में अभिलेखों को रखने के सम्बन्ध में सब-इंसपेक्टरों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका क्योंकि इस अनुभाग का पुनस्संगठन होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त रहा। इस प्रकार उन सब-इंसपेक्टरों की संख्या, जो इस अनुभाग द्वारा अब तक प्रशिक्षित किये जा चुके हैं, ६५७ होती है।

२७--सरकारी रेलवे पुलिस--१९५९ की अवधि में दर्ज किये गये हस्तक्षेप मामलों की कुल संख्या ३,५२८ थी। जबकि १९५८ में ३,४४४ तथा १९५७ में ३,३८५ थी। १९५८ की संख्या की तुलना में १,९५९ में दर्ज किये गये मामलों में ८४ की नाममात्र की वृद्धि हुई। १९५९ की अवधि में ३,७२४ मामलों का। जिसमें पिछले वर्ष के २२१ मामले सम्मिलित हैं। अनुसंधान किया गया, जबकि १९५८ ई० में ३,५८४ मामलों का अनुसंधान किया गया था १९५८ में १,६५९ सिद्धदोष मामलों की तुलना में १९५९ ई० में सिद्धदोष मामलों की संख्या

१५८७ थी। इस प्रकार १९५७ के ४७.६ प्रतिशत तथा १९५८ के ४६.३ प्रतिशत की तुलना में वर्ष १९५९ में अभिशंसन (Conviction) का प्रतिशत ४२.६ था। पिछले तीन वर्षों में जो जघन्य अपराध हुये हैं, उनके विशिष्ट वर्गों का विवरण नीचे दिया जाता है :

अपराध	१९५७	१९५८	१९५९
डकैती	३	४	७
लूटमार	२३	१३	३०
हत्या	७	७	७
जहर देना	१५	१५	१४
सदोष मानव हत्या	४	४	५

उपर्युक्त आंकड़ों से यह विदित होगा कि डकैतियां तथा लूटमारों के मामलों की संख्या में, १९५७ तथा १९५८ के वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है। ये मामले सम्पूर्ण राज्य में हुये थे। हत्या, जहर देने तथा सदोष मानव हत्या के मामलों के सम्बन्ध में स्थिति लगभग अपरिवर्तित ही रही। डकैती के ४, लूटमार के १६, हत्या के ४, जहर देने का १ तथा सदोष मानव हत्या के २ मामलों का पता लगाया गया और अभियुक्तों को न्यायालय में विचार के लिये भेज दिया गया। वर्ष १९५९ के अन्त तक डकैती के २, लूटमार के १०, हत्या के ३, जहर देने के ६, और सदोष मानस हत्या के २ मामलों में अनुसंधान किया जा रहा था तथा शेष मामले अर्थात डकैती का १, लूटमार के ४, जहर देने के ७, तथा सदोष मानव हत्या का १, ऐसे रहे, जिनका पता नहीं लगाया जा सका। डकैती के मामलों में पर्याप्त रुप से अच्छे परिणाम निकले क्योंकि अनुसन्धान के अन्तर्गत दो मामलों में अपराधी गिरफ्तार कर लिये गये थे और उक्त मामले १९५९ के अन्त तक चालान कर देने के योग्य हो गये थे। इन मामलों में जो चीजें बरामद की गई वे भी काफी अच्छी मात्रा में थीं।

१९५९ की अवधि में सभी शीर्षकों के अन्तर्गत चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य १२,७१, ७०४ रुपये तथा बरामद की गई सम्पत्ति का मूल्य ४,८३,०४८ रुपये था जबकि १९५८ में चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य ८,९९,६९८ रुपये तथा बरामद की गई सम्पत्ति का मूल्य २,०२,६०१ रुपये और १९५७ में चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य ९,०३, ६७५ रुपये तथा बरामद की गई सम्पत्ति का मूल्य २,३५,४९३ रुपये था। इस प्रकार १९५९ में बरामद की गई सम्पत्ति का प्रतिशत ३७.१ था जबकि १९५८ में २२.५ प्रतिशत तथा १९५७ में २६.६ प्रतिशत था। संदर्भ गत पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष १९५९ में सम्पत्ति के बरामद होने का प्रतिशत सबसे अधिक था। पिछले दो वर्षों की अवधि में की गई सभी प्रकार की चोरियों के तुलानात्मक आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :--

चोरी की किस्म	१९५८	१९५९	अन्तर
चलती हुई माल गाड़ी से ..	८५	९०	+५
चलती हुई सवारी गाड़ी से ..	४३३	४२३	−१०
मुसाफिरखानों तथा प्लेटफार्मों से ..	५९६	५५८	−३८
रेलवे प्रागंण तथा मालगोदामों से ...	४७५	५११	+३६
विविध	६८८	६७७	−११
योग ..	२२७७	२२५९	−१८

उपर्युक्त आंकड़ों से विदित होगा कि चलती हुई माल गाड़ियों में चोरियों के मामलों में ५ की नाममात्र वृद्धि हुई जबकि चलती हुई सवारी गाड़ियों में १० की नाममात्र कमी हुई। ऐसी चोरियों के सम्बन्ध में मैं प्रतीत होता है कि स्थिति अब स्थिर सी हो गई है।

दुर्घटनायें—रेल दुर्घटना के फलस्वरूप एक व्यक्ति मारा गया। अन्य दुर्घटनाओं में १२८१ व्यक्ति मरे और ३२१ घायल हुये। आत्महत्याओं के मामले, १९५८ के २५६ से बढ़कर, १९५९ में ३१८ हो गये। मृत अथवा घायल रेलवे कर्मचारियों की संख्या १९५८ के ९८ से घटकर, १९५९ में ८५ रह गई। रेल की पटरी पार करते हुये मरे अथवा घायल व्यक्तियों की संख्या १९५९ में ८७२ थी, जबकि १९५८ में ९५९ थी और उन व्यक्तियों की संख्या, जो डिब्बों में चढ़ते या उनसे उतरते समय मरे या घायल हुये, १९५९ में २२७ थी, जबकि १९५८ में २९५ थी।

बिना टिकट यात्रियों के अवेक्षक—बिना टिकट यात्रा रोकने की योजना १९५९ में चलती रही। इस योजना में नियुक्त कर्मचारियों में १३ सब-इन्स्पेक्टर, ४७ हेड कान्स्टेबुल और ३०७ कान्स्टेबुल हैं। सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या अपराधों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये सदैव पर्याप्त नहीं पाई गई है। इस भार के बढ़ने की अपेक्षाकृत अधिक संभावना है, क्योंकि रेलवे ऐक्ट की धारा १०८ या ११२ हस्तक्षेप बना दी गई हैं और इससे पहले से ही अपर्याप्त सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों पर स्वाभाविक रूप से भार बढ़ जायगा। इस अपर्याप्तता के बावजूद भी अपराध की स्थिति सर्वथा सन्तोषजनक रही। हिंसा के अपराधों में किंचित् वृद्धि हुई है। इससे अपराधियों की चलती हुई गाड़ियों में ऐसे अपराधों को करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति और ऐसे अपराधों को रोकने की आवश्यकता व्यक्त होती है।

इस वर्ष सरकारी रेलवे पुलिस ने बहुत से महत्वपूर्ण मामलों का सफलता से पता लगाया जिनमें से कुछ मामलों के विवरण नीचे दिये जाते हैं।

चलती हुई गाड़ियों में डकैती के दो मामलों में से एक अलीगढ़ और दाउदी खां स्टेशनों के बीच १२ नम्बर की डाउन ट्रेन से तीसरे दर्जे की डिब्बे में हुआ और दूसरा मैथा और कानपुर के बीच दूसरे दर्जे के डिब्बे में हुआ। इनके संबंध में क्रमशः तीन और चार डकैत गिरफ्तार कर लिये गये हैं।

फूलपुर और फाफामऊ स्टेशनों के बीच अपर इंडिया एक्सप्रेस में लूटमार के एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में, जिसमें ३ अपराधियों ने पिस्तौल तथा चाकू दिखाकर १८१७ रु० के जेवर तथा नगद धनराशि यात्रियों से छीन ली, सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा की गई तुरन्त कार्यवाही के फलस्वरूप सभी अपराधियों को जबकि अपराधी एक ट्रक से भागने का प्रयत्न कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया और समस्त सम्पत्ति बरामद हो गई। बरेली के सरकारी रेलवे पुलिस, ने संदिग्ध सम्पत्ति तथा खून लगे कपड़ों सहित २ डकैतों को गिरफ्तार कर लिया।

जिला खीरी में देवकली स्टेशन के समीप एक रेल गाड़ी में ४ अपराधियों ने स्टेट बैंक आफ इंडिया के रक्षक तथा खजांची को गोली मार दी और वे ढाई लाख रुपये रुपये लेकर भाग गये। स्थानीय पुलिस तथा ग्रामीणों की त्वरित और साहसिक कार्यवाही के परिणाम स्वरूप अपराधियों में से २ गिरफ्तार कर लिये गये, दो अपराधियों की मृत्यु उनके लगी चोटों से हो गई और नकदी का सन्दूक जैसा का तैसा बरामद कर लिया गया। यह मामला डकैती शीर्षक के अन्तर्गत पहले ही विस्तार से दे दिया गया है।

सरकारी रेलवे पुलिस ने बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों को मेले तथा त्योहारों के अवसरों पर उनकी यात्राओं में सहायता दी। सरकारी रेलवे पुलिस ने ८७ खोये हुये बच्चों को भी उनके माता पिता के पास पहुंचाया।

२८--प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल--प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल वर्ष भर सराहनीय कार्य करता रहा और उसने अपनी कार्यदक्षता, अनुशासन तथा नैतिकता राज्य के भीतर तथा बाहर बनाये रखी।

आलोचना वर्ष के प्रारम्भ में प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस के दल में कुल मिलाकर ८४ कम्पनियां थीं, जो १३ बटालियनों में विभक्त थीं। इनमें से राज्य के अन्तर्गत कर्तव्य पालन करने के लिये, ६३, कम्पनियों उपलब्ध रहीं जबकि अन्य कम्पनियां भारत सरकार संबंधी कर्तव्यों का पालन करने में लगी रहीं। इनमें से १६ कम्पनियां राज्य के बाहर रहीं।

प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस का एक बड़ा दल इस राज्य में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदश तथा राजस्थान की सीमाओं पर, डकैती निरीक्षक कार्यवाहियों के लिये, गत वर्ष की भांति, रखा गया। इस दल ने एक बार फिर अपने कार्य का अच्छा परिचय दिया, यद्यपि उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्रियात्मक, भूतल विषयक (Topographical) तथा रहन सहन की कठिन परिस्थितियों में करना पड़ा। अनेक अवसरों पर प्रादेशिक शसस्त्र पुलिस दल के सिपाही वीरता के साथ भयंकर डाकुओं से लड़े और अपने जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान तथा माल की रक्षा की। प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल बड़े पैमाने की डकैतियों की समस्याओं, मेलों तथा उत्सवों की व्यवस्था करने में, विशेष रूप से इलाहाबाद के अर्ध कुंभ मेलों में और सरकार के मुख्यालय पर विधान सभा तथा विधान परिषद् में ड्यूटी देने, इलाहाबाद और कानपुर में अशान्ति के समय की नाजुक ड्यूटी देने कानपुर के टेस्ट मैच, वाराणसी, इलाहाबाद तथा लखनऊ के विश्वविद्यालयों के आन्दोलनों, निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों से सम्बन्धित ड्यूटियों तथा केन्द्रीय सरकार तथा अन्य देशों के विशिष्ट व्यक्तियों के जैसे परम पवित्र दलाई लामा, राष्ट्रपति आइजनहावर, सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री आगमन से सम्बन्ध आवश्यक कर्तव्य का पालन करने में जिला पुलिस को मूल्यवान सहायता देता रहा।

खेल-कूद तथा सांस्कृतिक कार्य-कलाप के क्षेत्र में भी प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल ने अपना योग दिया और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिये यश का अर्जन किया।

२९--राजकीय रेडियो अनुभाग--रेडियो अनुभाग शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने, डकैती निरोधक कार्यवाहियां, करने, भीड़ नियंत्रित करने तथा विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन, खुले हुये स्थानों के बन्दी शिविरों तथा उप निर्वाचनों के सम्बन्ध में अत्यन्त उपयोगी सेवा करता रहा।

१९५९ की अवधि में रेडियो स्टेशन लाइसेंसों की कुल संख्या २२६ रही, जैसी कि १९५८ में थी और रेडियो स्टेशनों की स्वीकृत संख्या, जैसी कि १९५८ में थी, १७७ रही। इस ग्रिड में १०८ स्थायी स्टेशन तथा ६९ अस्थायी स्टेशन थे। १९५९ में भेजे गये रेडियोग्राम सन्देशों में कुछ वृद्धि हुई जो १९५८ के ५,२५,३२० तथा १९५७ के ४,६३,७२४ सन्देशों की तुलना में, १९५९ में ६,२७,१०७ थे। भेजे गये सन्देशों की संख्या में लगभग २० प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्यतया इलाहाबाद और लखनऊ के विश्वविद्यालयों के उपद्रवों तथा कानपुर में दंगों और बहुत बड़ी संख्या में विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के कारण हुई।

इस वर्ष की सबसे अधिक महत्वपूर्ण सफलता उन दो दिनों में ३६ नये स्टेशन स्थापित करके प्राप्त की गई, जबकि राष्ट्रपति आइजनहोवर का आगमन तथा कानपुर का टेस्ट मैच एक साथ पड़ा।

इस वर्ष की अन्य उल्लेखनीय सफलताओं में, ऊंचे स्थानों पर स्थित हमारे स्टेशनों में से चार स्टेशनों में अन्तरिक्ष विज्ञान सम्बन्धी सज्जा का अधिष्ठापन किया जाना था। ये स्टेशन अब ऋतु सूचक स्टेशनों के रूप में कार्य कर रहे हैं और ऋतु का ठीक-ठीक पूर्वानुमान कराने में अत्यन्त सहायक तथा उपयोगी सिद्ध हुये हैं।

केन्द्रीय वर्कशाप और अन्वेषण तथा विकास अनुभाग ने डिजाइनें तथा नई सज्जा तैयार करने में अच्छा कार्य किया, जिसके फलस्वरूप ३०,००० रुपये की बचत हुई।

लखनऊ के महानगर में रेडियो अनुभाग के मुख्यावास का भवन तैयार होने वाला है और यह आशा की जाती है कि अगले वर्ष रेडियो अनुभाग नये भवन में चला जायगा। इसके साथ ही अधिकारियों तथा कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी वर्तमान कठिनाइयां भी दूर हो जायेंगी।

पिछले वर्षों में इस संगठन का कार्य बहुत ज्यादा बढ़गया है और इसका कार्य क्षेत्र दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। इस पर भी रेडियो अनुभाग के कार्यकर्त्ताओं का अनुशासन तथा मनोबल उच्च कोटि का बना रहा है, इनके लिये नियत किये गये बड़े-बड़े कार्यों को उन्होंने सहर्ष सम्पन्न किया।

३०—मोटर परिवहन अनुभाग—पुलिस मोटर परिवहन समूह में ६८८ मोटर गाड़ियां तथा २७ मोटर सायकिलें हैं, जो जिला पुलिस दल तथा उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल की बटालियनों के अधिकार में हैं। इसके अतिरिक्त ६९ मोटर गाड़ियां तथा १२ मोटर साइकलें भारत सरकार की ३ बटालियनों के पास हैं। १०२ ऐसी मोटर गाड़ियां है जो चालू अवस्था में नहीं हैं और या तो मरम्मत की प्रतीक्षा में हैं या उनकी मरम्मत विभिन्न फर्मों और पुलिस मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कशाप, सीतापुर में हो रही है। बहुत सी गाड़ियां बहुत पुरानी हो गई हैं और उनको चलाना अलाभकर है, क्योंकि उनमें बड़ी मात्रा में चिकनाई खर्च होती है और हर साल उनकी अत्यधिक मरम्मत करानी पड़ती है। वर्ष के अधिकतर भाग में वे चलाई भी नहीं जाती हैं। पिछले कई वर्षों में हमारे पास धन की कमी होने के कारण इन उपयोगितातीत गाड़ियों को बदलना भी संभव नहीं हो सका। पुलिस विभाग की आवश्यकताओं की जांच करने तथा मोटर परिवहन के लिये गाड़ियों की पुनरीक्षित संख्या नियत करने तथा ऐसी समस्त गाड़ियों को जिनकी कम खर्च में मरम्मत नहीं हो सकती है, खासकर डिस्पोजल से पुरानी खरीदी हुई गाड़ियां बदलने के लिये अपेक्षित धनराशि की सिफारिश करने के लिये सरकार द्वारा एक तदर्थ मोटर परिवहन समिति पहले ही बनाई जा चुकी है।

सीतापुर के पुलिस मोटर परिवहन वर्कशाप का कार्य वर्ष पर्यन्त सन्तोषजनक रहा और इसमें १९५९ में १८१ गाड़ियों की मरम्मत की गई जबकि १९५८ में १८५ गाड़ियों की तथा १९५७ में १४८ गाड़ियों की मरम्मत की गई थी।

सीतापुर के पुलिस मोटर परिवहन वर्कशाप में ५६ आदमियों को ड्राइवरी का प्रशिक्षण दिया गया। १९५९ की अवधि में कोई यांत्रिक पाठ्यक्रम अथवा हेड-कान्स्टेबुल मोटर ट्रान्सपोर्ट कोर्स नहीं चलाया गया।

३१—ग्राम पुलिस (गांव के चौकीदार)—१९५९ के अन्त में गांव के चौकीदारों की कुल संख्या ४६,७८१ थी, जबकि १९५८ में ४७,२०७ तथा १९५७ में ४७,८१५

था। इनमें से १९५९ में ४५,५७७ स्थायी और १,२०४ अस्थायी चौकीदार थे, जबकि १९५८ में ४५,५७७ स्थायी और १६३० अस्थायी तथा १९५७ में ४५, ५७७ स्थायी और २,२३८ अस्थायी थे। इस प्रकार गांवों के अस्थायी चौकीदारों की संख्या धीरे-धीरे प्रतिवर्ष कम की जा रही है। १९५९ में ३७.८३७ गांवों के चौकीदारों को ८२,५८९.६७ की की धनराशि के पुरस्कार दिये गये, जबकि १९५८ में ३८,९४० गांवों के चौकीदारों को ९२,७९९.१३ रु० की धनराशि के पुरस्कार स्वीकृत किये गये थे और १९५७ में ३८,४०० गांवों के चौकीदारों को ९४,०१५ रु० के पुरस्कार मिले थे।

प्रतापगढ़ जिले के पुलिस सर्किल बघरई में तथा बुलन्दशहर के पुलिस सर्किल सिकन्दराबाद में १९५५ में प्रयोगात्मक रूप से गांव के चौकीदारों के स्थान पर गश्ती सिपाहियों (बीट कान्स्टेबुलों) को रखा गया था।

३२--लिपिक कर्मचारी वर्ग--लिपिक कर्मचारियों की अपर्याप्तता, विशेषरूप से जिला पुलिस कार्यालयों, में सामान्यतया (अनुभव) की गई है, सभी प्रकार के कार्य में वृद्धि होने के कारण काम को पूरा करने के लिये कभी-कभी पढ़े-लिखे सिपाहियों को भी बुला लिया गया था।

३३--भरती--१९५९ में १० डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस पत्रित अधिकारी ४८ सब-इन्स्पेक्टर, १७ असिस्टेन्ट पब्लिक प्रोसीक्यूटर (सहायक सरकारी अभियोक्ता) तथा ८८३ कान्स्टेबुल भरती किये गये, जबकि १९५८ में १० डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट (पत्रित अधिकारी), ११३ सब-इन्स्पेक्टर सी० पी० ७ असिस्टेन्ट पब्लिक प्रासीक्यूटर तथा १५५७ कान्स्टेबुल तथा १९५७ में ११ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (पत्रित अधिकारी), १०० सब-इन्स्पेक्टर सी० पी०, २५ असिस्टेन्ट पब्लिक प्रोसीक्यूटर, तथा ११८.कान्स्टेबुल भरती किये गये थे। १९५९ में भारतीय पुलिस सेवा (आई० पी० एस० के ५ अधिकारी पुलिस सहायक अधीक्षक उत्तर प्रदेश के लिये भी नियत किये गये थे। आलोच्य वर्ष में जिलों में उपयुक्त प्रकार के नये कान्स्टेबुलों के मिलने से सामान्यतया कोई विशेष कठिनाई अनुभव नहीं की गई।

३४--प्रशिक्षण--(१) पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय--पुलिस ट्रेनिंग कालेज १९५९ में १४ पत्रित अधिकारियों ने पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय से परीक्षा उत्तीर्ण की। वे इस प्रकार हैं :--

(१) भारतीय पुलिस सेवा (आई० पी० एस०) के अधिकारी .. ५

(२) राज्य पुलिस अधिकारी अर्थात् डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस .. ९

एक राज्य पुलिस अधिकारी ने प्रशिक्षण की अवधि में अप्रैल १९५९ में त्याग-पत्र दे दिया और मुंसिफ के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

१९५९ में भारतीय पुलिस सेवा (आई० पी० एस०) के ५ तथा राज्य पुलिस के १० अधिकारी महाविद्यालय में भरती हुये, परन्तु राज्य पुलिस सेवा के १ अधिकारी अगस्त, १९५९ से यू० पी० सिविल सर्विस (एक्जीक्यूटिव) में चले गये। उन पांच भारतीय पुलिस सेवा (आई० पी० एस०) के अधिकारियों में से जो १९५८ के अन्त में प्रशिक्षण पा रहे थे, एक अधिकारी को जनवरी १९५९ में जिले में तैनात कर दिया गया और शेष ४ अधिकारियों को जून, १९५९ में जिलों में तैनात किया गया। राज्य पुलिस सेवा के ९ अधिकारियों में से ७ अधिकारियों को अक्टूबर, १९५९ में तथा १ अधिकारी को दिसम्बर, १९५९ में जिले में तैनात किया गया, जबकि १ अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में चुन लिये जाने पर अक्टूबर, १९५९ में सेन्ट्रल पुलिस ट्रेनिंग कालेज, माउन्ट आबू चले गये। १९५९ के अन्त में भारतीय पुलिस सेवा (आई० पी० एस०) के ५ तथा राज्य पुलिस सेवा के ९ अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। १९५९ में

सामान्य कर्मचारियों में से पदोन्नति पाये हुये ११ पत्रित अधिकारियों के लिये, पी० ए० सी० के २ तथा अपराध अनुसन्धान विभाग के १ अधिकारी को सम्मिलित करके। त्रैमासिक अभिनवन प्रशिक्षण पाठ्यक्रय का भी आयोजन किया गया। प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल (कान्स्टेबुलरी) के अधिकारियों को जो इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुये थे, अभिनवन पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर दो मास का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के निमित्त जिलों में भी भेजा गया, क्योंकि उन्हें जिलों में अपराधों के पर्यविक्षण का पूर्व ज्ञान नहीं था।

सिविल पुलिस के ऐसे सब-इन्स्पेक्टरों के लिये जिनकी ५ से १० वर्ष तक की सेवा हो गयी हो, एक नवीकरण पाठ्यक्रम, जो सब-इन्स्पेक्टरों को, स्टेशन अधिकारियों को, श्रमसाध्य कर्तव्यों के लिये तैयार करने के उद्देश्य से १९५८ में आरम्भ किया गया था, १९५९ में जारी रहा। १९५८ से जारी किये गये एक पाठ्यक्रम में इस नवीकरण प्रशिक्षण को १९५९ में ३२ सब-इन्स्पेक्टरों ने पूरा किया और दूसरा पाठ्यक्रम जारी रहा तथा १९५९ में समाप्त हो गया। इस प्रकार का एक अन्य नवीकरण पाठ्यक्रम, जिसमें १३ सब-इन्स्पेक्टर उपस्थित थे; अक्तूबर, १९५९ से प्रारम्भ हुआ और १९५९ के अन्त तक जारी रहा। सर्किल निरीक्षकों के रूप में पदोन्नति के लिये अनुमोदित सब-इन्स्पेक्टरों के लिये अन्य प्रकार का नवीकरण पाठ्यक्रम भी १९५९ में फरवरी और मई के बीच में आरम्भ किया गया और ८ सब-इन्स्पेक्टरों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

सिविल पुलिस के सब-इन्स्पेक्टरों का १९५९ का सत्र १४ जनवरी, १९५९ से प्रारम्भ हुआ और २७ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हुआ। इसमें ११४ प्रवीरक (Cadets) थे, जिनके ब्योरे नीचे दिये गये हैं :—

(१)	लोकप्रवीरक	..	६२
(२)	सामान्य (Ranker) प्रवीरक	..	४०
(३)	अन्य प्रशासन	..	१२
(४)	दिल्ली राज्य प्रवीरक	..	८
(५)	सिक्किम राज्य प्रवीरक	..	३
(६)	पोर्ट ब्लेअर (अंडमन) प्रवीरक	..	१

सभी ११४ प्रवीरक अन्तिम परीक्षा में बैठे और इनमें से ११० अंकों के योग को भी शामिल करके समस्त विषयों में उत्तीर्ण हुये। ४ प्रवीरकों में से, जो अनुत्तीर्ण हुये थे, २ को परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुग्रहांक (Grace marks) दिये गये और उनके उत्तीर्ण होने की घोषणा की गई, जबकि शेष २ तीन मास के पश्चात् पुनः परीक्षा के लिये रोक लिये गये। प्रवीरकों में से ४ को "जेड" प्रवीरक घोषित किया गया।

सहायक लोक अभियोक्ता प्रवीरकों (Assistant public Prosecutor cadet) का पाठ्यक्रम १४ जनवरी, १९५९ से प्रारम्भ हुआ और २७ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त हो गया। इसमें २८ प्रशिक्षणार्थी थे। वे सब अन्तिम परीक्षा में बैठे लेकिन उनमें से २५ समस्त विषयों में उत्तीर्ण हुये और १ अनुग्रहांक (Grace mark) देकर उत्तीर्ण होने की घोषणा की गई। शेष २ उर्दू में अनुत्तीर्ण हुये और उनकी १९६० के सत्र के प्रवीरकों के साथ पुनः परीक्षा ली जायगी। १९५८ के सत्र का १ प्रवीरक जो उर्दू में अनुत्तीर्ण हुआ था, १९५९ में पुनः परीक्षा में बैठा एवं उत्तीर्ण हुआ। अपराध अनुसन्धान विभाग (C. I. D.) के २ सब-इन्स्पेक्टर १९५९ में सब-इन्स्पेक्टरों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुये और अक्तूबर, १९५९ में अपने प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात् उन्होंने पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय को छोड़ दिया।

२६ हेड कान्स्टेबुल सी० पी० पाठ्यक्रम ७ जुलाई, १९५८ से आरम्भ हुआ और ५ मार्च, १९५९ को समाप्त हो गया। इस पाठ्यक्रम में २०३ प्रवीरक थे,

जिसमें ३ सिक्किम राज्य के सम्मिलित थे। १९५९ में सब-इन्स्पेक्टर सी० पी० पाठ्यक्रम के लिये चुने जाने पर उनमें से १ ने प्रशिक्षण छोड़ दिया और सभी शेष २०२ प्रवीरक अन्तिम परीक्षा में बैठे और सफल घोषित किये गये। उनमें से ६ "बाई" प्रवीरक घोषित किये गये।

२७ हेड कान्स्टेबुल, सी० पी० पाठ्यक्रम २७ मार्च, १९५९ को आरम्भ हुआ और २७ दिसम्बर, १९५९को पूरा हुआ। इसमें २१३ प्रवीरक थे, जिनमें ४ एंडमान और ३ सिक्किम राज्य के सम्मिलित थे। इनमें से १ परीक्षा में नहीं बैठ सका और इस प्रकार कवल २१२ प्रवीरक परीक्षा में बैठे। इनमें से २०९ सफल हुये और शेष ३ दो मास के पश्चात् पुनः परीक्षा के लिये रोक लिये गये, क्योंकि वे कुल जोड़ में अनुत्तीर्ण थे। ४ प्रवीरक "बाई" प्रवीरक घोषित किये गये।

अपराध अनुसन्धान विभाग (C. I. D.) में सीधे भर्ती किये गये ११ हेड कान्स्टेबुल भी हेड कान्स्टेबुल पाठ्यक्रम में जनवरी के मध्य से नवम्बर, १९५९ तक उपस्थित रहे। उनमें से सभी पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण हुये।

प्रशिक्षण के अधीन समस्त अधिकारियों एवं व्यक्तियों के लिये भोजन व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया गया। मनोरंजन के लिये पर्याप्त सुविधायें भी दी गयीं। पुलिस के प्राविधिक विषयों पर बल देने के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान और पुलिस की व्यावहारिक कार्य-प्रणाली के विषयों पर सविस्तार व्याख्यानों की भी व्यवस्था की गई थी। प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करने के लिये प्रसिद्ध सार्वजनिक व्यक्तियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। ये व्याख्यान बड़े ही लाभप्रद और और शिक्षात्मक पाये गये।

(२) सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र---इस संस्था द्वारा १९५९ में १४ पाठ्यक्रमों को आरम्भ एवं समाप्त किया गया। इनके अतिरिक्त ५ पाठ्यक्रम, जो १९५८ में आरम्भ किये गये थे, १९५९ में पूरे हो गये और अन्य ५ पाठ्यक्रम १९५९ में आरम्भ किये गये और आलोच्य वर्ष के अन्त तक जारी रहे। सब मिलाकर वर्ष में ७२५ प्रशिक्षणार्थियों का प्रबन्ध किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की सशस्त्र शाखा की समस्त पदोन्नति, नवीकरण और विशिष्ट पाठ्यक्रमों से संबंधित कार्य करने के अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण कन्द्र, सीतापुर, अन्य राज्यों और विभागों के प्रशिक्षणार्थियों से सम्बन्धित कार्य करता ह तथा उनको प्रशिक्षण देता है और पाठ्यक्रम का जैसे "शैडो" और "टियर गैस", जो सशस्त्र शाखा के अधीन विशुद्ध रूप से नहीं आते हैं, संचालन करता है।

(३) शिक्षा---पुलिस दल के अशिक्षित सदस्यों को शिक्षित करने का प्रयत्न जारी रहा। १९५८ के अन्त में ११०४ और १९५७ के अन्त में १३७१ की तुलना में १९५९ के अन्त में ८२४ अशिक्षित व्यक्ति थे।

(४) जनसेवक---इस पत्रिका के २ अंक १९५९ में प्रकाशित हुये। सूचीबद्ध अभिदाताओं की संख्या १९५९ में १३७३ थी और १९५८ के अन्त में ३५०० की तुलना में १९५९ के अन्त में अभिदाताओं की कुल संख्या ३,१६६ थी। १९५८ में १४,००० रुपये की तुलना में १९५९ में अभिदानों से अर्जित आय की धनराशि ५,९४९.६४ रु० थी। इस पत्रिका ने पुलिस के कार्य कलापों को लोकप्रिय बनाने और पुलिस दल की नैतिकता को काफी हद तक ऊंचा उठाने के कार्य को पूरा किया।

(५) जनता के साथ सहयोग---पुलिस जनता के पारस्परिक सम्बन्धों को सुधारने का निरन्तर प्रयत्न किया गया। सूचना कक्षों, उड़न दस्तों, खोये हुये बच्चों की इकवाड्स हम लोगों के लिये कई सेवा स्क्वाड्स आदि ने सराहनीय कार्य किये और

अनेक अवसरों पर उड़न दस्तों द्वारा किये गये कार्य के कारण स्थिति तत्काल नियंत्रण में आ गयी। अधिकांश जिलों में विनय पक्षों और अपराध निरोध सप्ताहों को संगठित किया गया था, जिनसे पुलिस को जनता के निकट लाने में अच्छे परिणाम निकले।

अपराधियों का मुकाबला करने के लिये जनता को संगठित करने के निमित्त १९५३ में स्थापित ग्राम रक्षा समितियों ने सम्पूर्ण राज्य में बहुत अच्छा कार्य करना जारी रखा। समितियों के सदस्यों से दस्यु दल और बदमाशों से सफल मुठभेड़ें हुयीं यद्यपि उनमें से कुछ में ग्रामवासियों की मृत्यु हुई। बुलन्दशहर में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लड़ने के लिये ग्राम रक्षा समितियों को आग्नेय शस्त्रों से सुसज्जित करने के निमित्त ग्रामवासियों ने बड़ी धनराशि अंशदान में दी।

पुलिस स्टेशनों पर अभियोगों की ठीक रिपोर्ट एवं पंजीयन को सुनिश्चित करने और सामूहिक सम्पर्क स्थापित करने के दृष्टिकोण से राजपत्रित पदाधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों का बारम्बार आकस्मिक निरीक्षण किया। इसके द्वारा भी पुलिस और जनता के बीच की खाई कम हुई।

दैवी विपत्तियों के अवसरों पर पुलिस कर्मचारियों ने बड़ी सहायता प्रदान की। बाढ़ और आकस्मिक रूप से आग लगने आदि के मामलों में पुलिस कर्मचारियों ने जनता के साथ सहयोग किया, निरन्तर कार्य किया और जरूरतमन्द लोगों को बड़ी सहायता प्रदान की। इस सम्बन्ध में उनका कार्य बहुत उच्च कोटि का रहा और उन्हें व्यापक प्रसंशा प्राप्त हुई।

पुलिस कर्मचारियों ने वृद्ध एवं रुग्ण व्यक्तियों को सहायता प्रदान की और बहुत से स्नान करते हुये व्यक्तियों को डूबने से बचाया। उनके अच्छे कार्यों की सराहना में जनता ने बड़ी संख्या में पारितोषिक दिये।

कानपुर और इलाहाबाद की नदी पुलिस ने मेलों और त्योहारों के अवसर पर बहुत से व्यक्तियों को डूबने से बचाकर बहुमूल्य सेवा की।

पुलिस ने ९४५८ खोये हुये बच्चों को उनके माता पिता को वापस दिलाने और ४१४ अवसरों पर खोयी हुई मूल्यवान सम्पत्ति को उनके मालिकों को वापस दिलाने में सराहनीय कार्य किया।

जनता के प्रति पुलिस के व्यवहार एवं उनकी समस्याओं के प्रति मानवीय पहुंच पर बल दिया जाना जारी रहा। विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर समस्त श्रेणियों के प्रशिक्षण में पुलिस बल के कर्मचारियों में जन सेवा की भावना हृदयंगम कराने की आवश्यकता पर जोर दिया जाना जारी रहा। केवल इसके द्वारा जनता की सद्भावना प्राप्त की जा सकती है और जन सहयोग मिल सकता है और पुलिस एवं सर्वसाधारण के बीच की खाई पाटी जा सकती है।

३५—अनुशासन—१—अनुशासनिक कार्यवाही—भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये समस्त संभव प्रयत्न किये गये। राजपत्रित अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आकस्मिक जांच की गयी और भ्रष्टाचार पूर्ण कार्यवाही को रोकने के लिये अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य-कलापों पर कड़ी दृष्टि रखी गयी। अपराधों को कम करने और छिपाने की शिकायतों पर उग्र कार्यवाही की गई और बेईमानी तथा अदक्षता की सभी शिकायतों की उत्साह पूर्वक जांच की गयी और चूक करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई। परिवाद योजना गत चार वर्षों से अच्छे परिणामों के साथ काम कर रही है।

गत तीन वर्षों में की गई अनुशासनिक कार्यवाही के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

दंड का प्रकार	१९५७		१९५८		१९५९	
	अधीनस्थ अधिकारी	पुरुष	अधीनस्थ अधिकारी	पुरुष	अधीनस्थ अधिकारी	पुरुष
१—पदच्युति ..	२२	२६१	१३	२२९	४	२७३
२—पदच्युति के अतिरिक्त अन्य विभागीय दंड ..	२३५	९१७	२४३	९०६	३५५	१,०६२
न्यायालयों द्वारा सिद्धदोष—						
१—पुलिस और प्रान्तीय सशस्त्र पुलिसदल अधिनियम के अधीन	८	९	—	१७	—	३
२—भारतीय दंड संहिता की धारा ३३०/३३१/३४८ के अधीन	—	१	—	—	—	—
३—भारतीय दंड संहिता के अध्याय ९ के अधीन	—	१	—	३	—	—
४—अन्य अपराधों के अधीन	२	२२	२	११	१	१९

भ्रष्टाचार के आरोपों पर की गयी कार्यवाही के व्योरे नीचे दिये गये हैं :—

की गयी कार्यवाही का वर्गीकरण	राजपत्रित अधिकारी	अपत्रित अधिकारी	लिपिक वर्गीय कर्मचारी
१—न्यायालय में अभियोजन			
(१) सिद्धदोष व्यक्तियों की संख्या ..	कुछ नहीं	४	कुछ नहीं
(२) विमुक्त व्यक्तियों की संख्या ..	कुछ नहीं	१३	कुछ नहीं
(३) न्यायालय में विचाराधीन ..	कुछ नहीं	३४	कुछ नहीं
२—विभागीय कार्यवाही—			
(१) पदच्युत अथवा हटाये गये व्यक्तियों की संख्या	कुछ नहीं	४९	कुछ नहीं
(२) उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्होंने त्यागपत्र दिया	कुछ नहीं	४	कुछ नहीं
(३) अन्य प्रकार से दंडित व्यक्तियों की संख्या	कुछ नहीं	७७५	३
(४) विभागीय कार्यवाहियों में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या ..	कुछ नहीं	३७	कुछ नहीं
(५) उन व्यक्तियों की संख्या, जिनके विरुद्ध वर्ष के अन्त में विभागीय कार्यवाही विचाराधीन थी	१	२०३	कुछ नहीं

२—त्यागपत्र और अभित्याग (Desertions)—१९५८ में क्रमशः ४०१ और १६ की तुलना में १९५९ में विभिन्न श्रेणियों के ३७६ व्यक्तियों ने त्याग–पत्र दिया और ८ व्यक्तियों ने नौकरी का अभित्याग किया।

३—पारितोषिक—अपने कर्त्तव्यों के पालन में किये गये सराहनीय कार्य के लिये सिविल पुलिस के १३,०१४ अपत्रित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को, सशस्त्र पुलिस के २,९४१ और अश्वारोही पुलिस के १५ व्यक्तियों को क्रमशः १,११,७७८ रु० १४ न० पै०, १६,६७८ रु० ४९ न० पै० और ७१ रु० की धनराशि का पारितोषिक स्वीकृत किया गया।

४—अलंकरण—१९५९ ई० में नीचे लिखे गये अधिकारियों और कर्मचारियों को पद (medals) और अलंकरण (Decorations) दिये गये :—

१—शौर्य के लिये पुलिस और आग्नेय सेवाओं सम्बन्धी राष्ट्रपति पदक:—

(१) स्वर्गीय श्री देवी प्रसाद, स्थानापन्न प्लैटून कमांडर, १७ बी०एन०, प्रान्तीयसशस्त्र पुलिस दल, आसाम। विसयोजन किया गया।

(२) स्वर्गीय श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस सब–इंस्पेक्टर, मेरठ।

(३) स्वर्गीय श्री भूल्लन सिंह, पुलिस सब–इंस्पेक्टर, सहारनपुर।

(४) श्री गोपाल कृष्ण बाजपेयी, आई०पी०एस०, पुलिस सुपरन्टेन्डेन्ट, उन्नाव।

२—दीर्घकालीन और योग्यतापूर्ण सेवाओं के लिये पुलिस और आग्नेय सेवा सम्बन्धी राष्ट्रपति पदक:—

(१) श्री शांति प्रसाद, आई० पी०, पुलिस उप–महा निरीक्षक, अभिसूचना, लखनऊ।

३—शौर्य के लिये पुलिस पदक:—

(१) श्री लालता प्रसाद, हेड कान्सटेबुल नं० १५०३८, १७ बटैलियन, प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दल, आसाम। विसयोजन किया गया।

(२) श्री राम अवध सिंह, असिस्टेन्ट कमांडेन्ट, १७ बटैलियन, प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दल, आसाम। विसयोजन किया गया।

(३) श्री पदम सिंह, हेड कांस्टेबुल नं० १५०३५, १७ बटैलियन, प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दल, आसाम। विसयोजन किया गया।

(४) श्री गजराज सिंह, कांस्टेबुल ड्राइवर नं० २४५२२, १७ बटैलियन, प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दल, आसाम। विसयोजन किया गया।

(५) श्री भंवर पाल सिंह, पुलिस सब–इंस्पेक्टर, आगरा।

(६) श्री मोहम्मद उल्लाह खां, कांस्टेबुल सी०पी०संख्या १३५, शाहजहांपुर।

(७) श्री वीरेन्द्र चन्द्र उप्रेती, रेडियो हेड आपरेटर संख्या ५७५, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अनुभाग, लखनऊ।

(८) श्री हसन दाद खां, हेड कान्सटेबुल, ३ बटैलियन, प्रान्तीय सशस्त्र पुलिसदल, लखनऊ।

(९) श्री राम चन्द्र सिंह, कांस्टेबुल नं० ७९६४, ६ बटैलियन, प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दल रुड़की।

४—दीर्घकालीन और योग्यतापूर्ण सेवाओं के लिये पुलिस पदक:—

(१) श्री जी० ए० बुर्जे, उप पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना विभाग, लखनऊ।

(२) श्री जय नरायन शर्मा, उप केन्द्रीय अभिसूचना अधिकारी, सहायक अभिसूचना कार्यालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, लखनऊ।

(३) श्री अर्जुन सिंह, उप पुलिस अधीक्षक (छुट्टी पर)।

(४) श्री बांके बिहारी पांडे, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद छुट्टी पर।

५---हताहत---

(१) असिस्टेन्ट कमान्डेन्ट (राज पत्रित अधिकारी), २ सब-इन्सपेक्टर, १ हेड कान्सटेबुल और ११ कांस्टेबुलों ने अपनी जानें दीं और १ उप पुलिस अधीक्षक (स्थानापन्न राजपत्रित अधिकारी) ६ सब-इन्सपेक्टर, ८ हेड कांस्टेबुल और २९ कांस्टेबुलों को १९५९ में अपने कर्त्तव्यों के पालन में गम्भीर चोटें आई।

६---कल्याण---

(१) स्वास्थ्य---१९५८ में ४१,२०४ की प्रविष्टि और १९५७ में २२,५८४ की प्रविष्टि की तुलना में १९५९ में ३६,६४० अवर अधिकारी तथा कर्मचारी अन्तर्वासी उपचार के लिये चिकित्सालयों में भर्ती किये गये।

१९५९ में ५४,५४५ अवर अधिकारियों और कर्मचारियों की स्वास्थ्य परीक्षा की गयी, जिनमें से ५१,०१४ स्वस्थ पाये गये, १६० अस्वस्थ पाये गये तथा ३,३७१ की और उपचार के लिये सिफारिश की गयी। १०१ अवर अधिकारियों और कर्मचारियों का दंत रोगों के लिये, १,०९९ का नेत्र रोगों के लिये, १,२१९ का हाइड्रोसील और वेरियोसील के लिये, १७७ का यक्षमा रोग के लिये और ७३९ का कई अन्य रोगों के लिये उपचार किया गया।

(२) भोजन व्यवस्था---आहार, व्यय कम रखने का निरन्तर प्रयत्न किया गया, जो सामान्यतया १४ रु० और १८ रु० के बीच रहा। ताजी तरकारियों को सस्ते भाव पर देने के लिये जिला पुलिस लाइनों और प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दलों में शाक उद्यानों को विकसित किया गया। स्वयंसेवा के आधार पर इन उद्यानों में कर्मचारियों ने सामान्यतया स्वेच्छा से श्रमदान किया।

(३) छुट्टी---अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पर्याप्त छुट्टी की सुविधाओं का उपभोग पूर्ववत् रहा।

(४) वास-स्थान---१९५९-६० में पुलिस इमारतों के लिये स्वीकृत विधियां निम्नलिखित थीं :---

(क) बड़े निर्माण कार्य---(१) सार्वजनिक निर्माण विभाग क बजट में अनुदान संख्या ३३ में शीर्षक "५०-नागरिक निर्माण कार्य" के अधीन। व्यय राजस्व से पूरा किया गया :---

कुछ नहीं।

(२) सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट में अनुदान संख्या ४९ में शीर्षक "६१---नागरिक निर्माण कार्य" के अधीन। राजस्व लेखा से बाहर नीचे दी गयी व्यवस्था की गयी थी---

(क) बड़े कार्यों की नई मदें---१९५९-६० में सरकार द्वारा नीचे दिये गये दो बड़े निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे---

(१) बानपुर, जिला झांसी में पुलिस स्टेशन के लिये नई इमारत का निर्माण।

(२) गिर्रार, जिला झांसी में पुलिस स्टेशन के लिये नई इमारत का निर्माण।

(ख) बड़े अपूर्ण निर्माण कार्य---१९५९-६० ई० में नीचे दिये गये निर्माण कार्य पूरे किये गये :---

"देवरिया पुलिस लाइन में ७ पुलिस स्टेशनों, १ पुलिस चौकी के लिये नई इमारतों और ८ कांस्टेबुलों के लिये पारिवारिक वास-स्थान और कुछ अतिरिक्त इमारतें।

(ख) छोटे निर्माण कार्य---सरकार ने १९५९--६० में छोटे निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिये अनुदान संख्या ३३ में शीर्षक "५०---नागरिक निर्माण कार्य-मूल निर्माण कार्य-इमारत पुलिस" के अधीन १,१४,००० रु० की धनराशि स्वीकृत की। इस वर्ष इस अनुदान से वित्तपोषित किये जाने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादन किये जाने के निमित्त १७ छोटे निर्माण कार्यों की प्रयोजनायें स्वीकृत की गयी थीं।

ऊपर उल्लिखित अनुदान के अतिरिक्त १९५९-६० में सरकार ने शीर्षक "८१ पी० डब्ल्यू० ओ० डब्ल्यू-इमारत पुलिस" अनुदान संख्या ४९ के अधीन ५०,००० रुपये की धनराशि भी इन छोटे निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिये स्वीकृत की थी, जिन्हें १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा स्वीकृत १५,००,००० रुपयों के विशेष अनुदान से निष्पादित किये जाने के लिये अधिकृत किया गया था।

(ग) लघु निर्माण कार्य---मूल भवन निर्माण कार्य और विद्युत् कार्य---

शीर्षक "२९---पुलिस जे निर्माण कार्य" के अधीन पुलिस बजट में दिये गये ६,२५,००० रुपये के अनुदान का ३०० लघु निर्माण कार्यों और १४१ लघु विद्युत् कार्यों के, जिनमें नई विद्युत्, पुलिस इमारतों में विद्युत् सर्विस कनेक्शन का अधिष्ठापन सम्मिलित हैं। निष्पादन पर पूर्ण- रुपेण उपयोग हो गया।

सरकार ने १८४,००० रुपये का विशेष अनुदान भी दस्यु क्रिया क्षेत्रों में इमारतों के निर्माण कार्यों के लिये स्वीकृत किया है। इस अनुदान से ५० निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

(घ) अनुरक्षण और मरम्मत---१९५९-६० में इस शीर्षक के अधीन नीचे लिखी धनराशियों की व्यवस्था की गयी :---

(१) जिला अधिशासी दल	..	७,००,००० रु०
(२) पुलिस ट्रेनिंग कालेज	.. ..	६,००० रु०
(३) प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल ..	..	१,५०,००० रु०

इस अनुदान में से जिला अधिशासी दल के ५२७ मरम्मत सम्बन्धी निर्माण कार्य वित्तपोषित किये गये और ६५ निर्माण कार्यों का वित्तपोषण प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल के अनुदान से किया गया। इन निर्माण कार्यों में सरकार के किसी प्रकार के व्यय के बिना स्वावलम्बन के आधार पर किये गये बहुत से मरम्मत सम्बन्धी निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं हैं।

पुलिस इमारतों की सामान्य दशा असन्तोषप्रद है। उनमें से बहुतों की पूर्णतया फिर से बनाये जाने अथवा विस्तृत मरम्मत की आवश्यकता है। कांस्टेबुलों के पारिवारिक वास-स्थान की व्यवस्था के लिये भी अधिक निधि अपेक्षित है, जिससे कि वे पुलिस स्टेशनों के निकट रह सकें और अधिक उपयोगी सिद्ध हों।

भारत सरकार की दीर्घकालीन सहायता से पुलिस स्टेशनों, पुलिस चौकियों, प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस दल आदि के लिये नैवासिक वास-स्थान के निर्माण के लिये पुलिस-गृह व्यवस्था योजना पर कार्य हो रहा है। प्रतिवेदन के वर्ष में भारत सरकार से २०,५०,००० रुपये का ऋण प्राप्त हुआ और उसे ऊपर उल्लिखित इमारतों के निर्माण के सम्बन्ध में समायोजित किया गया है।

(५) परिवार कल्याण केन्द्र और अन्य कल्याण कार्य-कलाप--पुलिस कल्याण केन्द्रों तथा उनके विभिन्न अंगों जैसे प्रसूति केन्द्रों, बाल विद्यालयों, महिला शिक्षा कक्षाओं, पुलिस कर्मचारियों के परिवार वालों के लिय चिकित्सा सुविधाओं, मनोरंजन कक्षों, बाल क्लबों इत्यादि के द्वारा पूरे वर्ष पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को और अधिक सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था का सतत सफल प्रयास करने का कार्य जारी रहा। पुलिस कर्मचारियों के परिवार वालों के सांस्कृतिक शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओरभी ध्यान दिया गया। १९५९ में २,५५,००० रुपये का राजकीय अनुदान अपत्रित कर्मचारियों तथा उनके परिवार वालों की सुविधा के लिये पूर्णरूपेण उपयोग किया गया। अम्बर चरखा जैसी योजनाओं, दस्तकारी दर्जी- गीरी, बढ़ईगीरी, कढ़ाई आदि में प्रशिक्षण द्वारा पुलिस कर्मचारियों के परिवारों के लिये स्वस्थ व्यवसाय की व्यवस्था की गयी और उन्हें अतिरिक्त आय का साधन भी उपलब्ध हो गया राजपत्रित अधिकारियों की पत्नियों ने कल्याण-कार्य की देखभाल में बड़ी दिलचस्पी ली और समस्त कल्याणकेन्द्रों में पुलिस कर्मचारियों के परिवारों के लिये चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की गयी। पुलिस कल्याण केन्द्रों की इस योजना से केवल पुलिस कर्मचारियों के परिवारों और बच्चों को ही लाभ नहीं पहुंचा है, परन्तु उसने राजपत्रित कर्मचारियों को एक अधिकारियों और अन्य श्रेणियों के दूसरे के निकट सम्पर्क में लाकर पुलिस फोर्स में सुहृदय संघ भावना को और अधिक विकसित करने में भी सफलता प्राप्त की है। कानपुर शहर में रिजर्व पुलिस लाइनों, पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों में १४ बाल क्लब कार्य कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य पुलिस को जनता के और निकट लाने और तरुण बच्चों के खेल-कूद और मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करना है। मेरठ जिले में एक "बाल बैन्ड" भी बनाया गया है।

इस राज्य को मई, १९५९ में नैनीताल में अखिल भारत कल्याण तथा सांस्कृतिक बैठक संगठित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें बहुत से राज्यों ने भाग लिया। यह बैठक बहुत सफल रही (Seminar) गोष्ठी और कल्याण कार्य-कलापों के सम्बन्ध में आयोजित एक विचार में केवल इस राज्य को ही नहीं वरन् अन्य राज्यों में भी कल्याण कार्यकलापों को और अधिक विकसित करने पर बड़ा जोर दिया गया। इस राज्य ने सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में २८ पुरस्कार और कला एवं शिल्प प्रदर्शनी में १६२ पुरस्कार प्राप्त किये।

पुलिस इमारतों में श्रमदान करके तथा छोटी इमारतों पार्कों, सड़कों आदि का निर्माणकर के सरकारी रुपयों को बचाने में पुलिस कर्मचारी सराहनीय कार्य करते रहे। पुलिस कर्मचारियों ने वन महोत्सव को भी बड़े उत्साह से मनाया और पुलिस इमारतों के हाते में बड़ी संख्या में वृक्ष लगाये गये। "अल्प बचत योजना" में पुलिस कर्मचारियों ने संतोषजनक सहायता देना जारी रखा।

(६) पुलिस लाइनों को सुधारने के प्रयत्न--सभी जिलों के यूनिटों में पुलिस इमारतों के निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण का अच्छा कार्य पुनः स्वैच्छिक श्रमदान द्वारा किया गया। इस वर्ष वन-महोत्सव समारोह में व्यापक रूप से वृक्षारोपण भी किया गया और बहुत से फलों और सजावट के वृक्ष लगाये गये।

(७) खेलकूद--खेलकूद के क्षेत्र में अधिकारियों और सिपाहियों ने अधिक दिलचस्पी लेना जारी रखा और उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसने अखिल भारतीय सम्मेलन में बड़ी संख्या में विजयोपहार और पुरस्कार जीते, सफलतायें बहुत संतोषप्रद थीं।

यह गर्व का विषय है कि कांस्टेबुल विक्रम सिंह ने हैमर थ्रो में एक नवीन अखिल भारतीय पुलिस रेकार्ड स्थापित किया। प्लेटून नायक लक्ष्मीकान्त पांडे और हेड

कान्सटेबुल तारकेश्वर पांडे अमृतसर में हुये राष्ट्रीय प्रजेता प्रतियोगिता में क्रमशः भारी एवं हल्के भार की राष्ट्रीय कुश्ती में प्रजेता हुये ।

३७--पड़ोसी राज्यों से सम्बन्ध--पूर्वी पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश और बिहार के पड़ोसी राज्यों तथा सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न नैपाल राज्य से भी मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। चम्बल घाटी के डाकुओं और बदमाशों के गिरोहों के विरुद्ध मोर्चा लेने में मध्य प्रदेश और राजस्थान की पुलिस ने हमारी पुलिस के साथ-साथ सफलतापूर्वक कार्य किया।

भाग ५

३८–सुधार तथा आवश्यकतायें––पुलिस दल की कार्यदक्षता को बढ़ाने तथा उसके कार्यों के प्रकार में सुधार करने के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकतायें, जो अत्यावश्यक हैं, इस प्रकार हैं :––

(१) विभिन्न स्तरों पर, विशेषकर अपत्रित पदों में दल की संख्या में वृद्धि करना।

(२) दल की गतिशीलता बढ़ाने के लिये दल की विभिन्न शाखाओं में हल्की और भारी मोटर गाड़ियों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करना (२) पुलिस थानों तथा चौकियों पर तैनात किये गये हेड कांस्टेबुलों तथा कांस्टेबुलों के लिये बाइसिकिलों की व्यवस्था करना।

(३) थानों में टेलीफोन कनेक्शन लगाकर संचार–साधनों के लिये और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(४) अभियोजन शाखा के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना।

(५) राज्य के सभी बड़े शहरों और महत्वपूर्ण नगरों में सूचना कक्षों तथा द्रुतगामी दलों (Flying Squads) की स्थापना करना।

(६) अनुसंधान की वैज्ञानिक सहायता सम्बन्धी और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करके तथा राज्य के अपराध अनुसंधान विभाग के मुख्यालय में शोध प्रयोगशालायें स्थापित करके अपराधों की जांच करने तथा पता लगाने में सुधार करना।

(७) आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग पर दल का पुनस्संगठन करना। पुलिस कार्य की विभिन्न शाखाओं में, विशेषकर अपराधों का पता लगाने तथा उनके अनुसंधान के सम्बन्ध में विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिये पुलिस कर्मचारियों को अवसर देना।

(८) राज्य के बड़े शहरों में अनुसंधान कर्मचारिवर्ग को शांति तथा व्यवस्था सम्बन्धी कर्मचारिवर्ग से पृथक् करना।

(९) थानों के लिये भवनों का निर्माण करके तथा उपयुक्त आवासिक स्थान की व्यवस्था करके पुलिस कर्मचारियों की कार्यप्रणाली तथा रहन–सहन की स्थिति में सुधार करना।

३९––उपसंहार––संक्षेप में पुलिस ने अनेक कठिनाइयों तथा अन्य विविध कार्यों में व्यस्त रहने पर भी अपराध तथा अपराधियों का सामना करने और साथ ही रचनात्मक कार्यों में काफी सफलता प्राप्त की। पुलिस की कई ऐसी सफल मुठभेड़ें हुईं जिनमें बहुत से डाकुओं के गिरोहों का सफाया किया गया। कई प्रमुख तथा कुख्यात डाकू मारे गये और बहुत से डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वर्ष की विशेष सफलताओं में एक सफलता यह मिली की कुख्यात डाकू दरयाव सिंह तथा जेहान सिंह गोली से मार दिये गये। चम्बल घाटी के डाकुओं का सामना करने में भी अच्छी सफलता मिली। रूपा तथा लाखन सिंह के गिरोह, उनके कुछ प्रमुख सदस्यों का सफाया हो जाने से काफी अशक्त कर दिये गये हैं। रूपा स्वयं मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पुलिस दलों द्वारा डाका डाले जाने पर गोली से मार दिया गया। अब लाखन सिंह को पकड़ना रह गया है। उसके गिरोह के विरुद्ध विशेष कार्यवाहियां जारी हैं और आशा है शीघ्र ही वह भी पकड़ में आ जायगा। जनता से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिये जोरदार प्रयत्न किये गये पुलिस दल में विद्यमान भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिये सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

यह सन्तोष की बात है कि पुलिस ने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुये समस्त कई कार्य–क्षेत्रों में दक्षता का उच्च स्तर बनाये रखा। वर्ष में पुलिस दल का नैतिक स्तर तथा

अनुशासन उच्च रहा और उसने अपने उत्तरदायित्वों तथा कर्तव्यों का निर्वहन बड़ी लगन और प्रसन्नता के साथ किया और एक बार फिर अनुशासन तथा कर्तव्यपरायणता की अपनी उच्च भावना का परिचय दिया।

वर्ष में १ डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, ३ सब-इंस्पेक्टर, १ हेड कान्सटेबुल तथा ११ कांस्टेबुल अपने कर्तव्यों का पालन करते हुये मारे गये। अधिकारियों तथा सिपाहियों की संख्या, जिनको अपने कर्तव्यों का सम्पादन करते समय चोट पहुंची, सैकड़ों तक पहुंचती है। दल के लिये यह गौरव की बात है कि हताहतों की संख्या इतनी अधिक होने पर भी, उनके मनोबल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पुलिस दल को आधुनिक आवश्यकताओं के अधिक उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से, उसके विभिन्न पहलुओं और राज्य में उसके प्रशासन की जांच करने के लिये राज्य सरकार द्वारा श्री ए० पी० जैन, एम० पी० की अध्यक्षता में पुलिस आयोग स्थापित करने के फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि समस्त पुलिस दल का ठोस आधार पर फिर से संगठन हो जायगा।

APPENDIX

विवरण

पुलिस के हस्तक्षेप

भाग १-

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दंड विधान की धाराएं—	
१	११५, ११७, ११८, ११९, ..	पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराध करने के लिये प्रोत्साहन देना
१-क	१२०-ख (१) ..	पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराधिक षड़यंत्र
		योग ..
		वर्ग १—राज्य, सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय के विरुद्ध अपराध—
२	१३१ से १३६, १३८ ..	सेना तथा नौसेना से संबंधित अपराध ..
३	२३१ से २५४ ..	मुद्रा संबंधी अपराध ..
४	२५५ से २६३-क ..	स्टाम्प संबंधी अपराध ..
५	४६७ तथा ४७१ ..	गवर्नमेंट प्रामिसरी नोट संबंधी अपराध ..
६	४८९-क से ४८९-ख ..	करेंसी नोट्स और बैंक नोट संबंधी अपराध ..
७	२१२ और २१६, २१६-क	अपराधी को आश्रय देना ..
८	२१३, २१५, २२४, २२५, २२५-ख और २२६ ..	सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अन्य अपराध ..
९	१४३ से १५३, १५७, १५८, १५९	दंगा या गैर कानूनी सभा करना
१०	१४०, १७०, १७१ ..	सरकारी कर्मचारी या सैनिक का भेष धारण करना
१०-क	२९५, २९६ और २९७ ..	धर्म विरोध अपराध ..
		योग ..

पत्र 'क'

योग्य अपराधों की सूची, १९५९ ई०

मामलों की सूची

उन अपराधों की संख्या, जो गत वर्ष से विचाराधीन थे	वर्ष में रिपोर्ट किये गये अपराधों की संख्या	वर्ष में रिपोर्ट किये गये अपराधों की संख्या	उन अपराधों की संख्या, जिनमें जांच अस्वीकार की गई	उन अपराधों की संख्या, जिनमें जांच होना शेष है (स्तम्भ ४+५−६)	उन अपराधों की संख्या, जो असत्य सिद्ध हुये या जिन्हें असत्य घोषित किया गया	विधि या तथ्य में गलती अथवा पुलिस के न हस्तक्षेप करने योग्य घोषित मुकदमों की संख्या
४–क	४–ख	५	६	७	८	९
२	२०	१	...	३	...	...
...	४	...	...	...	...	...
२	२४	१	...	३	...	...
...	..	३	..	३	..	..
११	२९	२२	..	३३	..	..
१	२	१०	..	११	..	..
१३	२३	४२	१	५४	...	२
५	१५	२१	..	२६	१	...
..	९	१०	..	१०	..	...
१५	४२	७२	१	८६	..	१
१७१	१,३१७	२,९००	५७०	२,५०१	२३	३
६	२७	७९	...	८५	..	...
२	१३	१३	..	१५	..	...
२२४	१,५५४	३,१७२	५७२	२,८२४	२४	६

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप

भाग १--

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दंड विधान की धाराएं--	
१	११५, ११७, ११८, ११९,	पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराध करने के लिये प्रोत्साहन देना
१-क	१२०-ख (१)	पुलिस के हस्तक्षेप योग्य आपराधिक षड्यंत्र
		योग ...
		वर्ग १--राज्य, सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय के विरुद्ध अपराध--
२	१३१ से १३६, १३८ ...	सेना तथा नौसेना से संबंधित अपराध .
३	२३१ से २५४ ..	मुद्रा सम्बन्धी अपराध ..
४	२५५ से २६३-क ...	स्टाम्प सम्बन्धी अपराध .
५	४६७ तथा ४७१ ..	गवर्नमेंट प्रामिसरी नोट सम्बन्धी अपराध .
६	४८९-क से ४८९-ब	करेंसी नोटस और बैंक नोट संबंधी अपराध
७	२१२ और २१६, २१६-क ..	अपराधी को आश्रय देना .
८	२१३, २१५, २२४, २२५, २२५-ख और २२६ ..	सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अन्य अपराध .
९	१४३ से १५३, १५७, १५८, १५९	दंगा या गैर कानूनी सभा करना ..
१०	१४०, १७०, १७१ ..	सरकारी कर्मचारी या सैनिक का भेष धारण करना
१०-क	२९५, २९६ और २९७ ..	धर्म विरोध अपराध .
		योग

पत्र 'क'—(असमाप्त)

योग्य अपराधों की सूची, १९५९ ई०

मामलों की सूची

वर्ष के अन्त में विचाराधीन मुकदमों की संख्या, जो पुलिस के तफतीश में है	वर्ष के अन्त में उन मुकदमों की संख्या, जो जेर तजबीज अदालत हैं	जिनमें अपराधी दंडित हुये	दोषमुक्त मुकदमे छोड़े या रिहा किये गये	मुकदमे, जिसमें सुलह हो गई	जिनमें अपराधियों का पता न लगा या गिरफ्तार न हुये	वास्तविक मामलों का योग (स्तम्भ ११ + १२-क + १२-ख + १३)
१०-क	१०-ख	११	१२-क	१२-ख	१३	१४
..	२	५	१३	..	३	२१
...	१	२	१	..	..	३
.	३	७	१४	..	३	२४
१	२	..	..	..	...	..
७	१८	२३	९	...	२	३४
५	७	१	....	..	..	१
२२	२८	१०	५	..	१०	२६
..	२१	११	४	..	४	११
१	६	२	६	..	१	१
१०	५१	३४	२१	१	१०	६७
२०७	१,४६८	८१६	९३५	...	४४३	२,७६७
५	३७	४५	१४	१	१०	७०
२	४	१०	७	१	४	२२
२६०	१,६४५	९५५	१,००१	३	४८४	३,०१५

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप

भाग १—

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दंड विधान की धारायें—	
१	११५, ११७, ११८ ११९, ...	पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराध करने के लिये प्रोत्साहन देना
१—क	१२०—ख (१) ...	पुलिस के हस्तक्षेप योग्य आपराधिक षडयंत्र
		योग ...
		वर्ग १—राज्य, सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय के विरुद्ध अपराध—
२	१३१ से १३६, १३८ ...	सेना तथा नौसेना से संबंधित अपराध ...
३	२३१ से २५४ ...	मुद्रा संबंधी अपराध ...
४	२५५ से २६३—क ...	स्टाम्प संबंधी अपराध ...
५	४६७ तथा ४७१ ...	गवर्नमेन्ट प्रामिसरी नोट संबंधी अपराध ...
६	४८९—क से ४८९—ख ...	करेंसी नोट्स और बैंक नोट संबंधी अपराध ...
७	२१२ और २१६, २१६—क	अपराधी को आश्रय देना ...
८	२१३, २१५, २२४, २२५, २२५—ख और २२६ ...	सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अन्य अपराध ...
९	१४३ से १५३, १५७, १५८, १५९ ...	दंगा या गैर कानूनी सभा करना ...
१०	१४०, १७०, १७१ ...	सरकारी कर्मचारी या सैनिक का वेष धारण करना ...
१०—क	२९५, २९६ और २९७ ...	धर्म विरोध अपराध ...

पत्र 'क'—(असमाप्त)

योग्य अपराधों की सूची, १९५९ ई०

मामलों की सूची

मैजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णीत वास्तविक मामलों का योग	मैजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णीत ऐसे मामलों का योग, जिनमें अपराधी दंडित हुए	वास्तविक मामलों का कुल योग (स्तम्भ १४+१५)	विशेष विवरण
१५	१६	१७	१८
५	२	२६	...
२	..	५	...
७	२	३१	...
..	..	..	...
२	२	३६	...
..	..	१	...
६	..	३२	...
...	..	११	...
...	..	८	...
६०	११	१२७	...
२,३०५	३०२	५,०७२	...
६	..	७६	...
१५	..	३७	...
२,३९४	३१५	५,४०६	...

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षे

भाग १-

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दण्ड विधान की धाराएं—	वर्ग २—शरीर के विरुद्ध गम्भीर अपराध
११	३०२, ३०३ ..	हत्या ..
१२	३०७ ..	हत्या करने के प्रयत्न ..
१३	३०४, ३०८ ..	आपराधिक हत्या ..
१४	३७६ ..	पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष द्वारा बलात्का
१५	३७७ ..	अप्राकृतिक अपराध .
१६	३१७, ३१८ ..	शिशुओं को बाहर फेंकना या शिशु-जन्म छिपाना ..
१७	३०५, ३०६, ३०६ ..	आत्महत्या करने के प्रयत्न और उसे प्रोत्साहन देना
१८	३२५, ३२६, ३२९, ३३१, ३३३, ३३५	संघातिक चोट .
१९	३२८ ..	चोट पहुंचाने के उद्देश्य से सम्मोहक जड़ी-बूटियां देना ..
२०	३२४, ३२७, ३३० ..	चोट ..
२१	३६३ से ३६९ और ३७१ से ३७३ तक ..	वेश्या-वृत्ति के लिये भगा ले जाना या अपहरण करना या दासों को बेचना ..
२२	३४६ से ३४८ ..	छिपाने अथवा बलात ग्रहण के लिये अवैध बन्दी करना और गुप्त रूप से रोक रखना
२२-क	३३२, ३५३ ..	किसी सरकारी कर्मचारी को अपने कर्त्तव्य-पालन से विमुख करने के लिये चोट पहुंचाना तथा उस पर आक्रमण करना

पत्र 'क'—(असमाप्त)

योग्य अपराधों की सूची, १९५९ ई०

मामलों की सूची

उन अपराधों की संख्या, जो गत वर्ष से विचाराधीन थे	वर्ष में रिपोर्ट किये गये अपराधों की संख्या	वर्ष में रिपोर्ट किये गये अपराधों की संख्या	उन अपराधों की संख्या, जिनमें जांच अस्वीकार की गई	उन अपराधों की संख्या, जिनमें जांच होना शेष है (स्तम्भ ४+५–६)	उन अपराधों की संख्या, जो असत्य सिद्ध हुये या जिन्हें असत्य घोषित किया गया	विधि या तथ्य में गलती अथवा पुलिस के न हस्तक्षेप करने योग्य घोषित मुकदमों की संख्या
४–क	४–ख	५	६	७	८	९
२४३	७३८	१,६९४	..	१,९३७	६	..
६५	४४९	७१२	..	७७७	३	...
६६	६८०	९३१	१	९९६	६	४
४३	१६०	२३९	१	२८१	६	..
७	३२	६५	...	७२	२	१
११	१४	१९७	२	२०६	१	..
४	४३	२०२	..	२०६	३	२
९०	८५७	२,९३८	१,०७८	१,९५०	१३	२
६	१९	५२	२	५६	२	...
६०	२९३	२,७७६	१,६६२	११.७४	१७	६
१४१	५२०	८५९	२	९९८	२४	...
...	४	१६	...	१६	..	..
४४	३६७	६५६	२	६९८	१४	४

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दण्ड विधान की धाराएं—	वर्ग २—शरीर के विरुद्ध गंभीर अपराध
११	३०२, ३०३ ...	हत्या ...
१२	३०७ ...	हत्या करने के प्रयत्न ..
१३	३०४, ३०८ ..	आपराधिक हत्या ..
१४	३७६ ...	पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष द्वारा बलात्कार
१५	३७७ ...	अप्राकृतिक अपराध ...
१६	३१७, ३१८ ...	शिशुओं को बाहर फेंकना या शिशु-जन्म छिपाना ..
१७	३०५, ३०६, ३०९ ..	आत्महत्या करने के प्रयत्न और उसे प्रोत्साहन देना
१८	३२५, ३२६, ३२६, ३३१, ३३३, ३३५ ..	संघातिक चोट ..
१९	३२८ ...	चोट पहुंचाने के उद्देश्य से सम्मोहक जड़ी-बूटियां देना ..
२०	३२४, ३२७, ३३० ..	चोट ..
२१	३६३ से ३६९ और ३७१ से ३७३ तक ...	वेश्या-वृत्ति के लिये भगा ले जाना या अपहरण करना या दासों को बेचना
२२	३४६ से ३४८ ..	छिपाने अथवा बलात ग्रहण के लिये अवैध बन्दी करना और गुप्त रूप से रोक रखना
२२-क	३३२, ३५३ ..	किसी सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्य-पालन से विमुख करने के लिये चोट पहुंचाना तथा उस पर आक्रमण करना

पत्र 'क'—(असमाप्त)

योग्य अपराधों की सूची, १९५९ ई०

मामलों की सूची

वर्ष के अन्त में विचाराधीन मुकद्दमों की संख्या, जो पुलिस के तफतीश में हैं	वर्ष के अन्त में उन मुकद्दमों की संख्या, जो जेर तजवीज अदालत में हैं	जिनमें अपराधी दंडित हुये	दोषमुक्त मुकद्दमे छोड़े या रिहा किये गये	मुकद्दमे जिनमें सुलह हो गई	जिनमें अपराधियों का पता न लगा या गिरफ्तार न हुये	वास्तविक मामलों का योग (स्तम्भ ११+१२-क+१२-ख+१३)
१०—क	१०—ख	११	१२—क	१२—ख	१३	१४
१८९	७९५	४८२	७४१	..	४६१	१,६८५
७४	४५६	२३६	२५१	५	२०१	६९३
६५	६३१	३११	४०८	७	१३५	९४२
२५	१६६	९४	९७	...	५३	२४५
४	३९	१९	१८	१	२०	५८
७	१७	२६	१५	..	१५४	१९७
६	६३	१२८	२२	..	२४	१७५
९३	१,०१६	७३७	४४१	२६८	२३६	२,७६१
९	२२	१०	६	..	२६	४४
५८	५४४	३१४	२०७	२५४	१९७	२,६०४
१५१	५४७	२०७	२९६	..	२९३	७९८
३	१०	४	,१	..	२	७
४२	३५४	३२०	२१४	७	११०	६५३

विवरण

पुलिस के हस्तक्षेप

भाग १--

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दण्ड विधान की धाराएं--	वर्ग २--शरीर के विरुद्ध गम्भीर अपराध
११	३०२ और ३०३ ...	हत्या ...
१२	३०७ ...	हत्या करने के प्रयत्न ...
१३	३०४, ३०८ ...	आपराधिक हत्या ...
१४	३७६ ...	पतिके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष द्वारा बलात्कार
१५	३७७ ...	अप्राकृतिक अपराध ...
१६	३१७ और ३१८ ...	शिशुओं को बाहर फेंकना या शिशु-जन्म छिपाना ...
१७	३०५, ३०६, ३०९ ...	आत्महत्या करने के प्रयत्न और उसे प्रोत्साहन देना ...
१८	३२५, ३२६, ३२९, ३३१, ३३३, ३३५	संघातिक चोट ...
१९	३२८ ...	चोट पहुंचाने के उद्देश्य से सम्मोहक जड़ी-बूटियां देना ...
२०	३२४, ३२७, ३३० ...	चोट ...
२१	३६३ से ३६९ और ३७१ से ३७३ तक	वेश्यावृत्ति के लिये भगा ले जाना या अपहरण करना या दासों को बेचना ...
२२	३४६ से ३४८ ...	छिपाने अथवा बलात ग्रहण के लिये अवैध बन्दी करना और गुप्त रूप से रोक रखना
२२-क	३३२, ३५३ ...	किसी सरकारी कर्मचारी को अपने कर्त्तव्य-पालन से विमुख करने के लिये चोट पहुंचाना तथा उस पर आक्रमण करना

पत्र 'क'--(असमाप्त)

योग्य अपराधों की सूची, १९५९ ई०

मामलों की सूची

मॅजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णीत वास्तविक मामलों का योग	मॅजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णीत ऐसे मामलों का योग, जिनमें अपराधी दंडित हुए	वास्तविक मामलों का कुल योग (स्तम्भ १४ + १५)	विशेष विवरण
१५	१६	१७	१८
६१	२२	१,७४६	१ मरे
१४३	१५	८३६	...
४०	८	९८२	...
६१	१८	३०६	...
८	...	६६	...
३	११	२००	...
१	१	१७६	१ मरे
२,६०३	३४७	५,३६४	...
४	...	४८	...
३५५	७१	२,९५९	...
३४६	२३	१,१४४	...
५०	३	५७	...
३३	४	६८६	..

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दण्ड विधान की धाराएं—	वर्ग २—शरीर के विरुद्ध गंभीर अपराध
२३	३५४, ३५६, ३५७ ..	सरकारी कर्मचारी या महिलाओं के प्रति आपराधिक बल का प्रयोग या चोरी करने के लिये अनुचित रूप से बंद कर रखने का प्रयत्न करना
२४	३०४-क, ३३८ ..	जल्दबाजी या असावधानी का ऐसा कार्य, जिससे मृत्यु हो जाये या सख्त चोट पहुंचे
		योग ..
		वर्ग ३—शरीर और सम्पत्ति के विरुद्ध या केवल सम्पत्ति के विरुद्ध गम्भीर अपराध
२५	३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९ और ४०२	डकैती और डकैती के लिये तैयार करना और एकत्र होना
२५-अ	३९६ ..	हत्या के साथ डकैती ...
२६	३९२, ३९३, ३९४, ३९७, ३९८	राहजनी ... ...
२७	२७०, २८१, २८२, ४३० से ४३३, ४३५ से ४४०	गंभीर दुष्टता तथा तत्संबंधी अपराध ...
२८	४२८, ४२९ ...	किसी पशु का वध करके, विष देकर या उसको अंग-भंग करके दुष्टता करना ...
२९	४४९ से ४५२, ४५४, ४५५, ४५७ से ४६०	अपराध करने के उद्देश्य से छिप कर अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना या सेंध लगाना या अपराध करने के विचार से चोट पहुंचाने और अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करने की तैयारी करना या चोट पहुंचाने के लिये तैयारी करना

पत्र 'क' —(प न प्राप्त)

योग्य अपराधों की सूची, १९५९ ई०

मामलों की सूची

उन अपराधों की संख्या, जो गत वर्ष से विचाराधीन थे	वर्ष में रिपोर्ट किये गये अपराधों की संख्या	वर्ष में रिपोर्ट किये गये अपराधों की संख्या	उन अपराधों की संख्या, जिनमें जांच अस्वीकार की गई	उन अपराधों की संख्या, जिनमें जांच होना शेष है (स्तम्भ (४+५—६)	उन अपराधों की संख्या, जो असत्य सिद्ध हुए या जिन्हें असत्य घोषित किया गया	विधि या तथ्य में गलती अथवा पुलिस के न हस्तक्षेप करने योग्य घोषित मुकदमे की संख्या
४—क	४—ख	५	६	७	८	९
६	११३	४९३	२६७	२३२	१	..
७६	३८४	९१०	..	९८६	२१	४
८६२	४,७७३	१२,७४०	३,०१७	१०,५८५	१२७	२३
१२६	६०५	७१९	..	८४५	८	...
२२	६७	१३०	..	१५२	..	..
५२	२५५	५०४	...	५५६	८	..
२२	१६५	११५	४	५३३	५	१
२१	१६५	३८८	५	५१२	६	१
१,०६५	२,६६२	१५,३१५	२०	१६,३६०	१२५	७

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप

भाग १—

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दण्ड विधान की धाराएं—	वर्ग २—शरीर के विरुद्ध गंभीर अपराध
२३	३५४, ३५६, ३५७ ..	सरकारी कर्मचारी या महिलाओं के प्रति आपराधिक बल का प्रयोग या चोरी करने के लिये अनुचित रूप से बंद कर रखने का प्रयत्न करना
२४	३०४-क ३३८ ..	जल्दबाजी या असावधानी का ऐसा कार्य, जिससे मृत्यु हो जाये या सख्त चोट पहुंचे
		योग ..
		वर्ग ३—शरीर और सम्पत्ति के विरुद्ध या केवल सम्पत्ति के विरुद्ध गम्भीर अपराध
२५	३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९ और ४०२	डकैती और डकैती के लिये तैयारी करना और एकत्र होना ...
२५-अ	३९६, ..	हत्या के साथ डकैती ...
२६	३९२, ३९३, ३९४, ३९७, ३९८	राहजनी ..
२७	२७०, २८१, २८२, ४३० से ४३३, ४३५ से ४४०	गंभीर दुष्टता तथा तत्सम्बन्धी अपराध ...
२८	४२८, ४२९ ..	किसी पशु का वध करके, विष देकर या उसको अंग-भंग करके दुष्टता करना ...
२९	४४९ से ४५२, ४५४, ४५५, ४५७ से ४६०	अपराध करने के उद्देश्य से छिप कर अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना या सेंध लगाना या अपराध करने के विचार से चोट पहुंचाने और अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करने की तैयारी करना या चोट पहुंचाने के लिये तैयारी करना ...

पत्र 'क'—(असमाप्त)

योग्य अपराधों की सूची, १९५९ ई०

मामलों की सूची

वर्ष के अन्त में विचाराधीन मामलों की संख्या, जो पुलिस के तफतीश में है	वर्ष के अन्त में उन मुकदमों की संख्या, जो जेर तजवीज अदालत है	जिनमें अपराधी दंडित हुए	दोष मुक्त मुकदमे छोड़े या रिहा किये गये	मुकदमे जिसमें सुलह हो गई	जिनमें अपराधियों का पता न लगा या गिरफ्तार न हुए	वास्तविक मामलों का योग (स्तम्भ ६+११+१२क+१२ख+१३)
१०-क	१०-ख	११	१२-क	१२-ख	१३	१४
९	१०५	११७	७४	१	३८	४९७
८३	४१२	३५५	२१५	२२	२५०	८४२
८?७	५,२०७	३,४४०	३,००६	५६६	२,१७०	१२,२०१
१२९	५२३	३८४	३३७	...	६८	७९०
२५	७५	६०	५४	..	५	११९
८६	२५०	१६१	१६७	...	१०८	४६७
३३	१६९	८७	१५५	२	२४६	४९४
२६	१४५	१२१	८८	४१	१४९	४०४
९७७	२,३६२	३,०७३	१,५७४	...	१०,८९३	१५,५६१

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप

भाग १--

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दंड विधान की धाराएं--	वर्ग २--शरीर के विरुद्ध गंभीर अपराध
२३	३५४, ३५६, ३५७ ...	सरकारी कर्मचारी या महिलाओं के प्रति आपराधिक बल का प्रयोग या चोरी करने के लिये अनुचित रूप से बंद कर रखने का प्रयत्न करना
२४	३०४-क, ३३८ ...	जल्दबाजी या असावधानी का ऐसा कार्य जिससे मृत्यु हो जाये या सख्त चोट पहुंचे ...
		योग ...
		वर्ग ३--शरीर और सम्पत्ति के विरुद्ध या केवल सम्पत्ति के विरुद्ध गम्भीर अपराध
२५	३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९ और ४०२	डकैती या डकैती के लिये तैयार करना और एकत्र होना
२५-अ	३९६ ...	हत्या के साथ डकैती ...
२६	३९२, ३९३, ३९४, ३९७, ३९८	राहजनी ...
२७	२७०, २८१, २८२, ४३० से ४३३, ४३५ से ४४०	गम्भीर दुष्टता तथा तत्सम्बन्धी अपराध ...
२८	४२८, ४२९ ...	किसी पशु का बध करके, विष देकर या उसको अंग-भंग करके दुष्टता करना ...
२९	४४९ से ४५२, ४५४, ४५५, ४५७ से ४६०	अपराध करने के उद्देश्य से छिपकर अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना या सेंध लगना या अपराध करने के विचार से चोट पहुंचाने और अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करने की तैयारी करना या चोट पहुंचाने के लिये तैयारी करना

पत्र क'—(असमाप्त)

योग्य अपराधों की सूची, १९५९ ई०

मामलों की सूची

मैजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णीत वास्तविक मामलों का योग	मैजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णीत ऐसे मामलों का योग, जिनमें अपराधी दंडित हुये	वास्तविक मामलों का कुल योग (स्तम्भ १४+१५)	विशेष विवरण
१५	१६	१७	१८
		६३९	
१४२	३९		...
		८८०	
३८	२१		...
३,८८८	५८३	१६,०८९	२ मरे
२५२	११	१,०४२	१ मरे ...
..	..	११९	...
१६३	१५	६६०	१ मरे ...
१३२	७	६२६	...
२५	११	४२६	...
६०९	९६	१६,१७०	१ मरे ...

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप

भाग १-

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दण्ड विधान की धाराएं--	
३०	३११, ४००, ४०१ ..	ठगों, डकैतों, लुटेरों और चोरों के गिरोह का सदस्य होना
		योग ...
		वर्ग ४--शरीर के विरुद्ध छोटे अपराध--
३१	३४१-३४४ ..	अनुचित रूप से प्रतिरोध (Restraint) और बन्द कर रखना
३२	३३६, ३३७ ..	जल्दबाजी का ऐसा कार्य, जिससे चोट या जीवन को संकट पहुंचे
		योग ...
		वर्ग ५--संपत्ति के विरुद्ध छोटे अपराध--
३३	३७९, ३८२ ..	चोरी .. { मवेशियों की ...
		साधारण ...
३४	४०६, ४०९ ..	आपराधिक विश्वासघात ...
३५	४११, ४१४ ..	चुराई गई संपत्ति प्राप्त करना ...
३६	४१९, ४२० ..	धोखा देना ...
३७	४४७,४४८, ४५३ और ४५६ ..	आपराधिक या अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना और छिपकर अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना या सेंध लगाना
३८	४६१, ४६२ ..	बन्द बर्तनों को तोड़ना ...
		योग ...
		संपूर्ण योग ...

पत्र 'क'—(अनुमान)

योग्य अपराधों की सूची, १९५९ ई०

मामलों की सूची

उन अपराधों की संख्या, जो गत वर्ष से विचाराधीन थे	वर्ष में रिपोर्ट किये गये अपराधों की संख्या	वर्ष में रिपोर्ट किये गये अपराधों की संख्या	उन अपराधों की संख्या, जिनमें जांच अस्वीकार की गई	उन अपराधों की संख्या, जिनमें जांच होना शेष है (स्तम्भ ४+५-६)	उन अपराधों की संख्या, जो असत्य सिद्ध हुए या जिन्हें असत्य घोषित किया गया	विधि या तथ्य में गलती अथवा पुलिस के न हस्तक्षेप करने योग्य घोषित मुकदमे की संख्या
४-क	४-ख	५	६	७	८	९
..	...	२	..	२	१	..
१,३१६	३,९०९	१७,५७३	२१	१८,८६०	१५३	९
११	५६	१९४	३९	१६६	२	१
५२	२१७	७०२	६	७४८	८	...
६३	२७३	८९६	४५	९१४	१०	१
२८१	१,३८२	३,३५१	२	३,६३०	२६	१
१,२६२	३,७८७	२२,८६२	१,९३८	२२,१८६	१०४	११
३८०	७६९	२,२८१	१,१७८	१,४८३	१२	६
६	२६	१०३	..	१०९	..	..
२५९	४५०	१,००५	१८४	१,०८०	१५	११
१७	११०	२५५	५८	२१४	१	..
२	५	३३	२	३३	...	..
२,२०७	६,५४२	२९,८९०	३,३६२	२८,७३५	१५८	१९
४,६७४	१७,०७५	६४,२७२	७,०२५	६१,९२१	४७२	५८

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप

भाग १-

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दण्ड विधान की धाराएं—	
३०	३११, ४००, ४०१ ..	ठगों, डकैतों, लुटेरों और चोरों के गिरोह का सदस्य होना
		योग ..
		वर्ग ४—शरीर के विरुद्ध छोटे अपराध—
३१	३४१–३४४ ..	अनुचित रूप से प्रतिरोध (Restraint) और बन्द कर रखना ..
३२	३३६, ३३७ ..	जल्दबाजी का ऐसा कार्य, जिससे चोट या जीवन को संकट पहुंचे ...
		योग ..
		वर्ग ५—सम्पत्ति के विरुद्ध छोटे अपराध—
३३	३७९, ३८२ ..	चोरी ... { मवेशियों की ..
		साधारण ..
३४	४०६, ४०९ ..	आपराधिक विश्वासघात ...
३५	४११, ४१४ ..	चुराई गई सम्पत्ति प्राप्त करना ..
३६	४१९, ४२० ..	धोखा देना .. ...
३७	४४७, ४४८, ४५३ और ४५६	आपराधिक या अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना और छिपकर अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना या सेंध लगाना
३८	४६१, ४६२ ..	बन्द बर्तनों को तोड़ना ..
		योग ..
		संपूर्ण योग ..

पत्र 'क' —(असमाप्त)

योग्य अपराधों की सूची, १९५९ ई०

मामलों की सूची

वर्ष के अन्त में विचाराधीन मामलों की संख्या, जो पुलिस के तफतीश में हैं	वर्ष के अन्त में उन मुकदमों की संख्या, जो जेरे तजवीज अदालत हैं	जिनमें अपराधी दंडित हुये	दोषमुक्त मुकदमें छोड़ या रिहा किये गये	मुकदमें जिसमें, सुलह हो गई	जिनमें अपराधियों का पता न लगा या गिरफ्तार न हुये	वास्तविक मामलों का योग (स्तम्भ ५+११+१२+१२—क+१२—ख+१३)
१०-क	१०-ख	११	१२-क	१२-ख	१३	१४
..	..	...	१	..	...	१
१,२७६	३,५२४	३,११६	२,३७६	४३	११,४६९	१७,८३६
११	७९	२९	४१	१६	४३	१६८
६२	२५९	२९९	९३	४३	२०१	६४२
७३	३३८	३२८	१३४	५९	२४४	८१०
२१०	१,२६९	१,४५०	५२७	८३	१,४४५	३,५०८
१,१६०	३,६४२	१,२०८	१,७७४	४३२	१३,६४२	२२,९९४
४०४	८१४	४१४	२०५	४३	२५४	२,१६४
१५	५६	४६	१८	६	७	७७
२८३	४४७	३००	१६५	४३	२७६	९६८
१२	८८	९१	८५	...	४७	२८१
४	४	७	२	..	२१	३२
२,०८८	६,३२०	७,५१६	२,७७६	६०७	१५,७५२	३०,०५४
४,५१४	१७,०३७	१६,१६२	९,३०७	१,२७८	३०,१६२	६३,९४०

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षे

भाग—१

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दण्ड विधान की धाराएं—	
३०	३११, ४००, ४०१ ...	ठगों, डकैतों, लुटेरों और चोरों से गिरोह का सदस्य होना ...
		योग ...
		वर्ग ४—शरीर के विरुद्ध छोटे अपराध—
३१	३४१, ३४४ ...	अनुचित रूप से प्रतिरोध (Restraint) और बन्द कर रखना
३२	३३६, ३३७ ...	जल्दबाजी का ऐसा कार्य, जिससे चोट या जीवन को संकट पहुंचे
		योग ...
		वर्ग ५—सम्पत्ति के विरुद्ध छोटे अपराध—
३३	३७९, ३८२ ...	चोरी ... { मवेशियों की .. / साधारण ..
३४	४०६, ४०९ ...	आपराधिक विश्वासघात
३५	४११, ४१४ ...	चुराई गई सम्पत्ति प्राप्त करना,
३६	४१९, ४२० ...	धोखा देना
३७	४४७, ४४८, ४५३ ओर ४५६ ...	आपराधिक या अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना और छिपकर अनधिकार रूप से घर म प्रवेश करना या सेंध लगान
३८	४६१, ४६२ ...	बन्द बर्तनों को तोड़ना
		योग ...
		सम्पूर्ण योगा...

पत्र 'क'--(समाप्त)

अपराधों की सूची, १९५९ ई०

मामलों की सूची

मैजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णीत वास्तविक मामलों का योग	मैजिस्ट्रेटों द्वारा निर्णीत ऐसे मामलों का योग, जिनमें अपराधी दंडित हुए	वास्तविक मामलों का कुल योग (स्तम्भ १४+१५)	विशेष विवरण
१५	१६	१७	१८
..	..	१	...
१,२११	१४०	१९,०४७	३ मरे ...
१३१	९	३०७	...
२४	६	६६६	...
१६३	१५	९७३	...
१३४	३९	३,६४२	१ मरे ...
२,९८८	८३३	२५,९८२	...
७४०	१३७	२,९३४	...
२२७	३५	३०४	...
९३६	११०	१,९०४	...
७११	६२	९९२	...
९४	२	१२६	...
५,८३०	१,२२०	३५,८८४	१ मरे
१३,४९३	२,२७५	७७,४३३	६ मरे

विवरण

पुलिस के हस्तक्षेप-योग्य

भाग २--मामलों से

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दंड विधान की धाराएं--	
१	११५, ११७, ११८ ११९ १२०-ख (१)	पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराध करने के लिये प्रोत्साहन देना पुलिस के हस्तक्षेप योग्य आपराधिक षड्यंत्र
		योग ..
		वर्ग १--राज्य, सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय के विरुद्ध अपराध
२	१३१ से १३६, १३८	सेना तथा नौसेना संबंधी अपराध
३	२३१ से २५४ ...	मुद्रा सम्बन्धी अपराध
४	२५५ से २६८-ए	स्टाम्प सम्बन्धी अपराध
५	४८९-क से ४८९-घ तक	करेंसी नोट और बैंक नोट सम्बन्धी अपराध
६	.. ..	.. ..
७	२१२, २१६ तथा २१६-क	अपराधियों को शरण देना
८	२१३, २१५, २२४, २२५, २२५-क, और २२६	सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अन्य अपराध

पत्र 'क'—(असमाप्त)

अपराधों की सूची, १९५९ ई०

सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची

वर्ष के आरम्भ में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनकी पुलिस में रिपोर्ट की गई थी	ऐसे मामलों के संबंध में जो पुलिस द्वारा हाथ में लिये गये मामलो पर जांच होने तक हिरासत में थे या जो जाव्ता फौजदारी (दंड विधि संहिता की धारा १७०) के अधीन जमानत पर छोड़ गये थे	वर्ष में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जाव्ता फौजदारी (दंड विधि संहिता) की धारा १६९ के अधीन छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या	सुनवाई होने के पूर्व मैजिस्ट्रेटों की आज्ञा द्वारा छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जिन पर विचार हो रहा था	उन व्यक्तियों की संख्या, जो दंडित हुये
४—अ	४—ब	५	६	७	८	९
२	५९	२	७	..	५२	२३
...	१२	...	...	..	७	६
२	७१	२	७	..	५९	२९
...	...	३	...	...	..	..
१४	४९	२९	१	...	५८	४६
१	४	११	...	...	१	१
५	५१	५९	५	...	३०	२०
३	२६	१९	...	३	१९	१४
...	१३	१५	२	...	१२	२
२७	९६	१४३	१७	..	१२८	६३

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप-योग्य

भाग २--मामलों से

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दंड विधान की धाराएं	
१	११५, ११७, ११८, ११९	पुलिस के हस्तक्षेप योग्य अपराध करने लिये प्रोत्साहन देना
	१२०-ख(१)	पुलिस के हस्तक्षेप योग्य आपराधिक षडयंत्र
		योग ...
		वर्ग १--राज्य, सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा तथा न्याय के विरुद्ध अपराध
२	१३१ से १३६, १३८	सेना तथा नौसेना संबन्धी अपराध
३	२३१ से २५४ ...	मुद्रा संबन्धी अपराध
४	२५५ से २६८-क	स्टाम्प संबन्धी अपराध
५	४६७ तथा ४७१ ...	करेंसी नोट और बैंक नोट संबन्धी अपराध
६	..	.. ..
७	२१२, २१६ तथा २१६-क	अपराधियों को शरण देना
८	२१३, २१५, २२४, २२५, २२५-ब और २२६	सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अन्य अपराध

पत्र 'क'—(असमाप्त)

अपराधों की सूची, १९५९ ई०

सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची

उन व्यक्तियों की सं०, जो निरपराध सिद्ध हुये या छोड़ दिये गये		उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में अपने को गिरफ्तार होने से बचा रहे थे	उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में सुनवाई होने या जांच होने तक हिरासत में थे या जमानत पर थे		उन व्यक्तियों की संख्या, जो मैजिस्ट्रेटों के मामलों से सम्बन्धित थे			विशेष विवरण
रिहा हुए	सुलह हो गये		मनुष्यों की संख्या, जो पुलिस की हिरासत में जांच होने तक थे	मनुष्यों की संख्या जो साल के अन्त में अदालत के विचाराधीन थे	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	दंडित व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जो छोड़ दिये गये या निरपराध सिद्ध हुए	
१०-अ	१०-ब	११	१२-अ	१२-ब	१३	१४	१५	१६
२९	...	...	...	४	६१	५८	३	..
१	...	...	...	५	७	...	७	...
३०	...	...	...	९	६८	५८	१०	...
...	...	...	...	३	...	...	..	..
११	१	...	८	२५	२	२	...	..
...	...	...	६	९	...	...	...	..
१०	...	...	२६	५४	४	...	३	...
५	...	...	...	२६	१	...	..	...
१०	...	..	२	१२	...	...	..	..
६५	..	८	१९	१०२	१५७	११	८७	...

विवरण

पुलिस के हस्तक्षेप-योग्य

भाग २--मामलों से

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
९	१४३से १५३, १५७, १५८ और १५९	दंगा या गैर कानूनी सभा करना
१०	१४०, १७०, १७१	सरकारी कर्मचारी या सैनिक का वेष धारण करना
१०-क	२९५, २९६, २९७ —	धर्म विरोधी अपराध ...
		योग ..
		वर्ग २--शरीर के विरुद्ध गम्भीर अपराध--
११	३०२, ३०३ ..	हत्या ..
१२	३०७ ..	हत्या करने के प्रयत्न ..
१३	३०४, ३०८ ..	आपराधिक हत्या ..
१४	३७६ ..	पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष द्वारा बलात्कार ..
१५	३७७ ..	अप्राकृतिक अपराध ..
१६	३१७, ३१८ ..	शिशुओं को बाहर फेंकना या शिशु-जन्म को छिपाना ...
१७	३०५, ३०६, ३०९ ..	आत्महत्या करने के प्रयत्न और उसे प्रोत्साहन देना
१८	३२५, ३२६, ३२९, ३३१, ३३३, ३३५	सख्त चोट .
१९	३२८ ..	चोट पहुंचाने के उद्देश्य से सम्मोहक जड़ी-बूटियां देना ...

पत्र 'क'--(असमाप्त)

अपराधों की सूची, १९५९ ई०

संबंधित व्यक्तियों की सूची

वर्ष के आरम्भ में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो उन मामलों के संबन्ध में, जिनकी पुलिस में रिपोर्ट की गई थी	ऐसे मामलों के संबंध में जो पुलिस द्वारा हाथ में लिये गये मामलों पर जांच होने तक हिरासत में थे या जो जाब्ता फौजदारी (दंड विधि संहिता की धारा १७०) के अधीन जमानत पर छोड़ गये थे	वर्ष में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	जाब्ता फौजदारी (दण्ड विधि संहिता) की धारा १६९ के अधीन छोड़ गये व्यक्तियों की संख्या	सुनवाई होने के पूर्व मैजिस्ट्रेटों की आज्ञा द्वारा छोड़ गये व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जिन पर विचार हो रहा था	उन व्यक्तियों की संख्या, जो दंडित हुये
४—अ	४—ब	५	६	७	८	९
१,१६८	१४,६०२	२०,८२८	१,४५८	११५	१,८०३२	७,१४८
३	४१	९०	१०	...	७८	४८
५	५३	१६	१	...	६४	२२
१,२२६	१४,९३५	२१,२१३	१,४९४	११८	१८,४२२	७,३६४
३७४	३,११६	५,०५८	३०१	५०	४,९०७	१,६६७
११४	१,२५८	१,३८१	८८	५	१,३७४	५४५
११३	२,१६७	२,४६३	७०	२०	२,६००	९८३
४९	२८२	३९०	३८	११	३३१	१२१
९	४३	६५	१३	१	४९	२३
१४	२५	६९	१३	८	६९	३३
३	४९	११७	१४	२	१५६	१३१
११४	२,५८९	४,८४७	१७५	१०	४,१५८	१,११५
	२९	३०	३	...	२६	१७

विवरण-

पुलिस हस्तक्षेप-योग्य

भाग २--मामलों से

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
९	१४३ से १५३, १५७, १५८ और १५९	दंगा या गैर कानूनी सभा करना
१०	१४०, १७०, १७१	सरकारी कर्मचारी या सैनिक का वेष धारण करना
१०-क	२९५, २९६ और २९७ ...	धर्म विरोधी अपराध ...
		योग ..
		वर्ग २--शरीर के विरुद्ध गंभीर अपराध—
११	३०२, ३०३ ..	हत्या ..
१२	३०७ ..	हत्या करने के प्रयत्न ...
१३	३०४, ३०८ ..	आपराधिक हत्या ...
१४	३७६ ..	पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष द्वारा बलात्कार
१५	३७७ ..	अप्राकृतिक अपराध ..
१६	३१७, ३१८	शिशुओं को बाहर फेंकना या शिशु-जन्म को छिपाना
१७	३०५, ३०६ ३०९ ..	आत्महत्या करने के प्रयत्न और उसे प्रोत्साहन देना
१८	३२५, ३२६, ३२९, ३३१, ३३३, ३३५	सख्त चोट
१९	३२८	चोट पहुंचाने के उद्देश्य से सम्मोहक जड़ी-बुटियां देना

पत्र 'क'--(असमाप्त)

अपराधों की सूची, १९५९ ई०

सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची

उन व्यक्तियों की संख्या, जो निरपराध सिद्ध हुये या छोड़ दिये गये			उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में सुनवाई होने या जांच होने तक हिरासत में थे या जमानत पर थे		उन व्यक्तियों की संख्या जो मैजिस्ट्रेटों के मामलों से सम्बन्धित थे			
रिहा हुये	मुक्त हो गये	उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में अपने को गिरफ्तार होने से बचा रहे थे	मनुष्यों की संख्या, जो पुलिस की हिरासत में जांच होने तक थे	मनुष्यों की संख्या, जो साल के अन्त में अदालत के विचाराधीन थे	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	दंडित व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जो छोड़ दिये गये या निरपराध सिद्ध हुये	विशेष विवरण
१०-अ	१०-ब	११	१२-अ	१२-ब	१३	१४	१५	१६
१०,८८४	...	२००	१,१९३	१५,३९३	१४४८६	१४७२	११,४९०	७मरे
२८	२	१	८	३८	२१	...	१०	..
४०	२	...	५	४	८२	..	८२	..
११,०५३	५	२०१	१,६६७	१५,६६६	१४७५२	१४८५	११,६७२	७ मरे
३,२४०	..	१५०	३०९	२,९७५	२५४	४३	१२०	६ मरे
८१७	१२	३१	८०	१,२०८	४६१	५९	३३१	२ मरे
१,५९२	२५	१३	८५	१,११७	८५	२२	५३	३ मरे
२१०	...	३	४२	२११	१२३	२२	८३	...
२६	...	...	६	४८	६	...	३	...
३६	...	...	३	११	३	२	१	..
२५	...	...	५	६९	१	१	..	३मरे
१,३३०	८३३	१९	१६०	३,०४७	४६०७	७३२	३,५००	..
९	...	१	११	२३	१०	...	१०	...

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप-योग्य

भाग २—मामलों से

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
२०	३२४, ३२७, ३३०	चोट
२१	३६३ से ३६९ और ३७१ से ३७३	वेश्या-वृत्ति के लिये भगा ले जाना या अपहरण, दासों का बेचना
२२	३४६ से ३४८ ...	गुप्तरूप से या बलात ग्रहण के प्रयोजनार्थ अनुचित रूप से बन्द करके रखना और प्रतिरोध
२२—क	३३२, ३५३ ...	किसी कर्मचारी को अपने कर्त्तव्य—पालन से विमुख करने के लिए चोट पहुंचाना तथा उस पर आक्रमण करना
२३	३५४, ३५६, ३५७	सरकारी कर्मचारी या महिलाओं के प्रति आपराधिक बल का प्रयोग या अनुचित रूप से बन्द कर रखने का प्रयत्न करना
२४	३०४—क, ३३८ ..	जल्दबाजी या असावधानी का ऐसा कार्य, जिससे मृत्यु हो जाये या सख्त चोट पहुंचे
		योग ...

पत्र 'क'--(असमाप्त)

अपराधों की सूची, १९५९ ई०

संबन्धित व्यक्तियों की सूची

वर्ष के आरम्भ में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो उन मामलों के संबन्ध में, जिनकी पुलिस में रिपोर्ट की गई थी	ऐसे मामलों के संबन्ध में, जो पुलिस द्वारा हाथ में लिये गये मामलों पर जांच तक हिरासत में थे या जो जाब्ता फौजदारी (दंड विधि संहिता) की धारा १७० के अधीन जमानत पर छोड़ गये थे	वर्ष में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	जाब्ता फौजदारी (दंड विधि संहिता) की धारा १६९ के अधीन छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या	सुनवाई होने के पूर्व मजिस्ट्रेटों की आज्ञा द्वारा छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जिन पर विचार हो रहा था	उन व्यक्तियों की संख्या, जो दंडित हुये
४-क	४-ख	५	६	७	८	९
८०	१,१५७	२,६११	१२५	६	३,१६२	७८८
३६५	२,००४	२,५८३	३८५	५७	१,१४०	५७२
२	१६	३८	..	...	१५	११
[illegible]	१,०६१	१,४४४	१०१	१०	१,४२५	७२८
१०	१५७	२८६	२५	३	२६२	१५२
५२	४३१	७४१	६७	६	६७२	३८०
१,३८९	१४,४३०	२२,२११	१,४१७	१८५	२,१४६	८,१४६

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप-योग्य

भाग २—मामलों से

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
२०	३२४, ३२७, ३३०	चोट
२१	३६३ से ३६९ और ३७१ से ३७३	वेश्या-वृत्ति के लिए भगा ले जाना या अपहरण, दासों को बेचना आदि
२२	३४६ से ३४८ ...	गुप्त रूप से या बलात ग्रहण के प्रयोजनार्थ अनुचित रूप से बन्द करके रखना और प्रतिरोध
२२-क	३३२, ३५३ ...	किसी कर्मचारी को अपने कर्त्तव्य-पालन से विमुख करने के लिये चोट पहुंचाना तथा उस पर आक्रमण करना
२३	३५४, ३५६, ३५७	सरकारी कर्मचारी या महिलाओं के प्रति आपराधिक बल का प्रयोग या अनुचित रूप से बन्द कर रखने का प्रयत्न करना
२४	३०४-क, ३३८	जलदबाजी या असावधानी का ऐसा कार्य, जिससे मृत्यु हो जाये या सख्त चोट पहुंचे
		योग ...

पत्र 'क'—(असमाप्त)

अपराधों की सूची, १९५९ ई०

सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची

उन व्यक्तियों की सं०, जो निरपराध सिद्ध हुये या छोड़ दिये गए		उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में अपने को गिरफ्तार होने से बचा रहे थे	उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में सुनवाई होने या जांच होने तक हिरासत में थे या जमानत पर थे		उन व्यक्तियों की संख्या, जो मैजिस्ट्रेटों के मामले से संबंधित थे			
रिहा हुए	सुलह हो गये		मनुष्यों की संख्या, जो पुलिस की हिरासत में जांच होने तक थे	मनुष्यों की संख्या, जो साल के अन्त में अदालत के विचाराधीन थे	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	दंडित व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जो छोड़ दिये गये या निरपराध सिद्ध हुये	विशेष विवरण
१०–अ	१०–ब	११	१२–अ	१२–ब	१३	१४	१५	१६
६७८	६९६	१७	६९	१,४९४	११००	१६१	८०८	..
१३६८	...	५९	२८४	२,२८४	१०३८	४१	८९८	२ मरे
४	...	...	३	३५	१६७	१८	११२	...
१७६	२१	६	१०३	९६०	७६	७	५८	...
१०९	१	१	१२	१५१	३१७	५५	२५१	...
२७१	२१	८	५२	४३५	४६	२१	२४	..
१०३९१	१,६०९	३१६	१,२२४	१५,०४४	८३०२	११९२	६,२५२	१४ [illegible]

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप-योग्य

भाग २—मामलों से

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
		वर्ग ३—शरीर और सम्पत्ति के विरुद्ध या केवल सम्पत्ति के विरुद्ध गम्भीर अपराध—
२५	३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४०२	डकैती और डकैती के लिये तैयारी करना और एकत्र होना
२५-क	३९६ आई० पी० सी०	हत्या के साथ डकैती ...
२६	३९२, ३९३, ३९४, ३९७, ३९८	राहजनी ...
२७	२७०, २८१, २८२, ४३० से ४३३, ४३५ सें ४४०	गंभीर दुष्टता तथा तत्संबंधी अपराध ...
२८	४२८, ४२९	किसी पशु का वध करके, विष देकर या उसको अंग-भंग करके दुष्टता करना
२९	४४९ से ४५२, ४५४, ४५५, ४५७ से ४६०	अपराध करने के उद्देश्य से छिपकर अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना या सेंध लगाना या अपराध करने के विचार से चोट पहुंचाने और अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करने की तैयारी करना या चोट पहुंचाने के लिये तैयार करना
३०	३११, ४००, ४०१	ठगों, डकैतों, लुटेरों और चोरों के गिरोह का सदस्य होना
		योग ...

पत्र 'क'—(असमाप्त)

अपराधों की सूची, १९५९ ई०

संबन्धित व्यक्तियों की सूची

वर्ष के आरम्भ में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनकी पुलिस में रिपोर्ट की गई थी	ऐसे मामलों के सम्बन्ध में, जो पुलिस द्वारा हाथ में लिये गये मामलों पर जांच होने तक हिरासत में थे या जो जाब्ता फौजदारी (दण्ड विधि संहिता) की धारा १७० के अधीन जमानत पर छोड़े गये थे	वर्ष में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	जाब्ता फौजदारी (दण्ड विधि संहिता) की धारा १६९ के अधीन छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या	सुनवाई होने के पूर्व मैजिस्ट्रेटों की आज्ञा द्वारा छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जिन पर विचार हो रहा था	उन व्यक्तियों की संख्या, जो दंडित हुये
४–अ	४–ब	५	६	७	८	९
४३५	४,४७३	६,१९६	१३५७	१५६	४२२८	१८२३
८६	४६४	१,१२०	२१९	२१	८३०	२८०
७२	५९८	१,०४३	१०५	९	८४२	३९२
२५	६३१	१,१४१	९२	६	८८५	२९०
२०	३२३	४८२	४४	३	४८२	२११
६४७	७,१४६	१००३९	६०४	३४	९८४९	५,४४०
...	...	४	...	...	४	...
१,२८५	१२,६३५	२०,०२५	२,४२१	२३७	१८१२०	८,४३६

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप-योग्य

भाग २—मामलों से

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
		वर्ग ३—शरीर और सम्पत्ति के विरुद्ध या केवल सम्पत्ति के विरुद्ध गम्भीर अपराध—
२५	३९५, ३९६ ३९७, ३९८, ३९९, ४०२	डकैती और डकैती के लिए तैयारी करना और एकत्र होना
२५-क	३९६ आई० पी० सी० ...	हत्या के साथ डकैती ...
२६	३९२, ३९३, ३९४, ३९७, ३९८	राहजनी ... ...
२७	२७०, २८१, २८२, ४३० से ४३३, ४३५ से ४४०	गम्भीर दुष्टता तथा तत्संबंधी अपराध ...
२८	४२८, ४२९ ...	किसी पशु का वध करके, विष देकर या उसको अंग-भंग करके दुष्टता करना
२९	४४९ से ४५२, ४५४, ४५५, ४५७ से ४६०	अपराध करने के उद्देश्य से छिपकर अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना या सेंध लगाना या अपराध करने के विचार से चोट पहुंचाने और अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करने की तैयारी करना या चोट पहुंचाने के लिए तैयार करना
३०	३११, ४००, ४०१	ठगों, डकैतों, लुटेरों और चोरों के गिरोह का सदस्य होना
		योग ...

पत्र 'क'—(असमाप्त)

अपराधों की सूची, १९५९ ई०

सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची

उन व्यक्तियों की संख्या, जो निरपराध सिद्ध हुये या छोड़ दिये गये		उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में अपने को गिरफ्तार होने से बचा रहे थे	उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में सुनवाई होने या जांच होने तक पुलिस हिरासत में थे अथवा जमानत पर थे		उन व्यक्तियों की संख्या, जो मैजिस्ट्रेटों के मामलों से संबंधित थे			विशेष विवरण
रिहा हुये	सुलह हो गये		उन मनुष्यों की संख्या, जो पुलिस की हिरासत में जांच होने तक थे	मनुष्यों की संख्या, जो साल के अन्त में अदालत के विचाराधीन थे	गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों की संख्या	दंडित व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जो छोड़ दिये गये या निरपराध सिद्ध हुए	
१०—क	१०—ख	११	१२—क	१२—ख	१३	१४	१५	१६
३,४०५	...	२६८	६३३	३,७१९	१,४५५	५२	१,२४६	११ मरे
५५०	...	४४	१०२	४८९	...	...	...	१ मरे
४५०	...	११	१३१	६२५	६८४	४७	५८७	१ मरे
५९०	५	५	३५	७७७	४९८	३४	४५२	२ मरे
१९०	८१	७	२३	२७३	४६	१३	३३	...
४,४०१	..	११९	६०२	५,७३२	१,७४४	३२४	१,२५५	११ म
४	...	...	...	...	....	...	...	..
९,५९८	८६	४५४	१,५२६	११,६१५	४,४२७	४७०	३,५७३	२६ मरे

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप-योग्य

भाग २—मामलों से

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
		वर्ग ४—शरीर के विरुद्ध छोटे अपराध
३१	३४१ से ३४४	अनुचित रूप से प्रतिरोध और बन्द कर रखना ..
३२	३३६, ३३७	जल्दबाजी का ऐसा कार्य, जिससे चोट या जीवन को संकट पहुंचे ...
		योग ...
		वर्ग ५—सम्पत्ति के विरुद्ध छोटे अपराध
३३	३७९ से ३८१	चोरी—मवेशियों की ..
		चोरी—साधारण ...
३४	४०६ से ४०९	आपराधिक विश्वासघात ...
३५	४११ से ४१४	चुराई गई सम्पत्ति प्राप्त करना ...
३६	४१९ से ४२०	धोखा देना ..
३७	४४७,४४८,४५३ और ४५६	आपराधिक या अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना और छिपकर अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना या सेंध लगाना
३८	४६१, ४६२	बंद बर्तनों को तोड़ना ...
		योग ...
		संपूर्ण योग ...

पत्र 'क'--(असमाप्त)

अपराधों की सूची, १९५९ ई०

संबंधित व्यक्तियों की सूची

वर्ष के आरम्भ में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो उन मामलों के सम्बन्ध में, जिनकी पुलिस में रिपोर्ट की गई थी	ऐसे मामलों के सम्बन्ध में, जो पुलिस द्वारा हाथ में लिये गये मामलों पर जांच होने तक हिरासत में थ या जो जाब्ता फौजदारी (दंड विधि संहिता की धारा १७०) के अधीन जमानत पर छोड़ गये थे	वर्ष में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	जाब्ता फौजदारी (दंड विधि संहिता) की धारा १६९ के अधीन छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या	सुनवाई होने के पूर्व मजिस्ट्रेटों की आज्ञा द्वारा छोड़े गये व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जिन पर विचार हो रहा था	उन व्यक्तियों की संख्या, जो दंडित हुये
४-अ	४-ब	५	६	७	८	९
२४	१७६	५४२	३२	...	३३९	१०३
२०	२३९	५८२	३४	८	४७४	३१९
४४	४१५	१,१२४	६६	८	८१३	४२२
३३७	२,४०१	३,७३६	२११	५	३,५७३	२,२४५
७७१	८,१४२	१४,३४१	७९३	५८	१४०६८	८,१०९
२३२	९१७	६८८	१०३	११	८२४	४९४
९	६१	१४९	८	१	९८	६५
२४३	७८०	१,०३३	१०९	१२	८८०	४६९
२२	५०७	३१६	२०	१	५६७	२३८
...	८	१४	१	....	११	९
१,५१४	१२,८१९	२०,५८०	१,२४५	८८	२००२१	१ ६२९
५,४६०	५५,३०२	८५,१५५	६,६५०	६३६	७७५८१	६०२६

विवरण-

पुलिस के हस्तक्षेप-योग्य

भाग २—मामलों से

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
		वर्ग ४—शरीर के विरुद्ध छोटे अपराध
३१	३४१ से ३४४	अनुचित रूप से प्रतिरोध और बन्द कर रखना
३२	३३६, ३३७	जल्दबाजी का ऐसा कार्य, जिससे चोट या जीवन को संकट पहुंचे
		योग ...
		वर्ग ५—सम्पत्ति के विरुद्ध छोटे अपराध
३३	३७९ से ३८२	चोरी—मवेशियों की ...
		चोरी—साधारण ...
३४	४०६ से ४०९	आपराधिक विश्वासघात ...
३५	४११ से ४१४	चुराई गई संपत्ति प्राप्त करना ...
३६	४१९, ४२०	धोखा देना
३७ ३	४४७,४४८, ४५३ और ४५६	आपराधिक या अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना और छिपकर अनधिकार रूप से घर में प्रवेश करना या सेंध लगाना
३८	४६१, ४६२	बंद बर्तनों को तोड़ना ...
		योग ...
		संपूर्ण योग ...

पत्र 'क'—(समाप्त)

अपराधों की सूची, १९५९ ई०

सम्बन्धित व्यक्तियों की सूची

उन व्यक्तियों की संख्या, जो निरपराध सिद्ध हुये या छोड़ दिये गये		उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में अपने को गिरफ्तार होने से बचा रहे थे	उन व्यक्तियों की सं०, जो वर्ष के अंत में सुनवाई होने या जांच होने तक पुलिस हिरासत में थे अथवा जमानत पर थे		उन व्यक्तियों की संख्या, जो मैजिस्ट्रेटों के मामलों से संबंधित थे			विशेष विवरण
रिहा हुए	मुक्त हो गये		उन मनुष्यों की संख्या, जो पुलिस हिरासत में जांच होने तक थे	मनुष्यों की संख्या जो साल के अन्त में अदालत के विचाराधीन थे	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	दंडित व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जो छोड़ दिये गये या निरपराध सिद्ध हुये	
१० (अ)	१० (ब)	११	१२ (अ)	१२ (ब)	१३	१४	१५	१६
१३९	९७	...	२	३६८	४०६	३२	३५१	१ मरे
११२	४३	९	२९	२९६	२४	६	१३	
२५१	१४०	९	३१	६६४	४३०	३८	३६४	१ मरे
१,१४४	१८४	३२	२०३	२,३८२	२०३	५९	१२९	३ मरे
४,६७८	९८१	९६	६४७	७,६८७	८,१३४	१४२९	५,९०७	१ मरे
२८१	४९	४२	२३४	९६२	१,२८०	१८६	८७६	३ मरे
२४	९	...	११	९३	३१३	२५	२७२	..
३५०	६१	१३	२७५	७७९	१,७५८	२८७	१,२९८	१ मरे
३२९	...	...	८	२४९	१,९७४	१४८	१,६७०	...
२	...	...	१	९	११४	४	११०	...
७,१०८	१,२८४	१८३	१,३८७	१२,१६१	१३,७७६	२१३८	१०,२६१	८ मरे
३८,४३१	३,१२४	११७१	५,८३५	५५,१५९	४१,७५५	५३८१	३२,१३२	५६ मरे

विवरण-

हस्तक्षेप्य अपराधों का

भाग १---मामलों का

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	उन मामलों की संख्या, जो गत वर्ष विचाराधीन थे	
			गत वर्ष के वे मामले, जिनमें अनुसन्धान होना शेष था	गत वर्ष के वे मामले, जो न्यायालय के विचाराधीन थे
१	२	३	४ (क)	४ (ख)
	भारतीय दंड संहिता (इंडियन पेनल कोड) की धाराएं वर्ग ६---ऐसे अन्य अपराध, जो विवरण-पत्र 'क', भाग १ में निर्दिष्ट नहीं हैं.			
१	१६१ से १६५ (क) २६९, २७७, २७६, २८० २८३, २८५, २८६, २८६, २६१ से २६४ आई० पी० सी० १८६१ ई० के ऐक्ट सं० ५ की धारा ३४ और १६४७ के ऐक्ट संख्या २ तथा स्थानीय विधियों के अधीन दंडनीय सार्वजनिक अनुत्रास (पब्लिक न्यूसेन्सेज)	घूसखोरी तथा सार्वजनिक अनुत्रास	३०	१,९२४
२	"	विशेषतया स्थानीय विधियों के अधीन ऐसे अपराध, जो हस्तक्षेप्य घोषित किये गये हों	७८	१,५६२
२-क	"	आर्म्स ऐक्ट	१०३	३१५
२-ख	"	ओपियम ऐक्ट		

पत्र 'क क'

प्रविवरण, १९५९ ई०

प्रविवरण

वर्ष में प्रतिवेदित (रिपोर्ट) किये गये अपराधों की संख्या	उन मामलों की संख्या, जिनमें अनुसन्धान अस्वीकार किया गया हो	उन मामलों की संख्या, जिनमें अनुसन्धान होना शेष है	उन मामलों की संख्या, जो असत्य सिद्ध हुये या जिन्हें असत्य घोषित किया गया	उन मामलों की संख्या, जो विधि या तथ्य(fact)संबंधी गलतियों के कारण हुये या अहस्तक्षेप्य घोषित किये जाने के कारण हुए	उन मामलों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में विचाराधीन थे (४—क+४)ख+५)—(६+८+९+११+१२—क+१२—ख+१३)	
					उन मामलों की संख्या, जिनमें अनुसन्धान होना शेष है	उन मामलों की संख्या, जो न्यायालय के विचाराधीन हैं
५	६	७	८	९	१०(क)	१०(ख)
३०,३४८	..	३०,३७८	१०	१	६३	२,५८२
३,१३२	...	३,२१०	६	२	७१	१,६६६
८५२	...	९५५	१	१	१४	४५१

विवरण-

हस्तक्षेप्य अपराधों का

भाग १——मामलों का

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	वास्तविक	
			जिनमें अपराधी अभिशस्त ठहराये गये	जिनमें अपराधी उन्मुक्त या दोषमुक्त किये गये
१	२	३	११	१२ (क)
	भारतीय दंड संहिता (इंडियन पेनल कोड) की धाराएं			
	वर्ग ६——ऐसे अन्य अपराध, जो विवरण-पत्र 'क', भाग १ में निर्दिष्ट नहीं हैं			
१	१६१ से १६५ (क) २६९, २७७, २७९, २८०, २८३, २८५, २८६, २८९, २९१ से २९४ आई० पी० सी० १८६१ ई० के ऐक्ट सं० ५ की धारा ३४ और १९४७ के ऐक्ट नं० २ तथा स्थानीय विधियों के अधीन दंडनीय सार्वजनिक अनुत्रास (पब्लिक न्यूसेन्सेज)	घूसखोरी तथा सार्वजनिक अनुत्रास	२८,८२०	६५९
२	"	विशेषतया स्थानीय विधियों के अधीन ऐसे अपराध, जो हस्तक्षेप्य घोषित किये गये हों		
२-क	"	आर्म्स ऐक्ट	१,८२६	८४४
२-ख	"	ओपियम ऐक्ट	५८५	११५

पत्र 'क क'—(क्रमशः)

प्रविवरण, १९५९ ई०

प्रविवरण

मामले						
जिनमें सुलहनामा हो गया	जिनमें अपराधियों का पता न लगा या गिरफ्तार न हुये	निस्तारित वास्तविक मामलों का योग (स्तंभ ६+११+१२-क+१२-ख+१३)	मैजिस्ट्रेट के सामने सीधे प्रस्तुत किये गये वास्तविक मामलों का योग (१७—१४)	मैजिस्ट्रेट के सामने सीधे प्रस्तुत किये गये ऐसे वास्तविक मामलों का योग, जिनमें अपराधी अभिशस्त ठहराये गये	वास्तविक मामलों का कुल योग (१४+१५)	अभ्युक्ति
१२ (ख)	१३	१४	१५	१६	१७	१८
					..	
४५	१२२	२९,६४६	७,३७९	७,१४०	३७,०२५	२ मरे
३	४४	२,७१९	२१५	११२	२,९४४	१ मरे
३	१२	७१५	५०१	४२१	१,२१६	

विवरण-

हस्तक्षेप्य अपराधों का
भाग १---मामलों का

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	उन मामलों की संख्या, जो गत वर्ष विचाराधीन थे	
			गत वर्ष के वे मामले, जिनमें अनुसंधान होना शेष था	गत वर्ष के वे मामले, जो न्यायालय के विचाराधीन थे
१	२	३	४ (क)	४ (ख)
	भारतीय दंड संहिता (इंडियन पेनल कोड) की धाराएं वर्ग ६---ऐसे अन्य अपराध, जो विवरण-पत्र 'क', भाग १ में निर्दिष्ट नहीं हैं			
२-ग	१६१ से १६५ (क) २६९, २७७, २७९, २८०, २८३, २८५, २८६, २८९, २९१ से २९४ आई० पी० सी० १८६१ ई० के ऐक्ट संख्या ५ की धारा ३४ और १९४७ का ऐक्ट नं० २ तथा स्थानीय विधियों के अधीन दंडनीय सार्वजनिक अनुत्रास (पब्लिक न्युसेंसेज)	गैम्बलिंग ऐक्ट ...	४२	२,३६८
२-घ	"	इक्साइज ऐक्ट ..	४१९	३,०००
२-ङ	"	एक्सप्लोजिव्स ऐक्ट तथा एक्सप्लोजिव्स सब्सटेन्सेज ऐक्ट	३	१५
२-च	"	विशेष तथा स्थानीय विधियों के अधीन ऐसे अपराध, जो हस्तक्षेप्य घोषित किये गये हों, लेकिन उपर्युक्त में सम्मिलित न हो	२२४	२,७०५
		योग ...	९१९	११,८८

पत्र 'क क'—(क्रमशः)

प्रविवरण, १९५९ ई०

प्रविवरण

वर्ष में प्रतिवेदित (रिपोर्ट) किये गये मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या, जिनमें अनुसन्धान अस्वीकार किया गया हो	उन मामलों की संख्या, जिनमें अनुसंधान होना शेष है	उन मामलों की संख्या, जो असत्य सिद्ध हुये या जिन्हें असत्य घोषित किया गया	उन मामलों की संख्या, जो विधि या तथ्य (fact) संबंधी गलतियों के कारण हुये या अहस्तक्षेप्य घोषित किये जाने के कारण हुए	उन मामलों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में विचाराधीन थे (४क+४ख+५)-(६+८+९+११+१२-क+१२-ख+१३)	
					उन मामलों की संख्या जिनमें अनुसन्धान होना शेष है	उन मामलों की संख्या, जो न्यायालय के विचाराधीन हैं
५	६	७	८	९	१० (क)	१० (ख)
५,३०८	...	५,३५०	...	...	६४	२,६३४
८,०६२	१	८,४८०	२०	...	४०२	३,४३४
२२	...	२५	...	...	१	१७
९,४२१	८	९,६५७	३०	९	२१९	२,७५४
५७,१४५	९	५८,०५५	७६	१३	९२१	१३,८३८

विवरण-
हस्तक्षेप्य अपराधों का
भाग १—मामलों का

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	वास्तविक — जिनमें अपराधी अभिशस्त ठहराये गये	वास्तविक — जिनमें अपराधी उन्मुक्त या दोष मुक्त किये गये
१	२	३	११	१२(क)
	भारतीय दंड संहिता (इन्डियन पेनल कोड) की धाराएं वर्ग ६—ऐसे अन्य अपराध, जो विवरण-पत्र 'क', भाग १ में निर्दिष्ट नहीं हैं			
२-ग	१६१ से १६५(क), २६६, २७७, २७९, २८०, २८३, २८५, २८६, २८९, २९१ से २९४ आई० पी० सी० १८६१ ई० के ऐक्ट सं० ५ की धारा ३४ और १९४७ के ऐक्ट सं० २ तथा स्थानीय विधियों के अधीन दंडनीय सार्वजनिक अनुत्रास (पब्लिक न्यूसेंसेज)	गैम्बलिंग ऐक्ट ..	४,४१७	५८८
२-घ	,,	इक्साइज ऐक्ट ...	६,६७२	८५२
२-ङ	,,	एक्सप्लोजिव्स ऐक्ट तथा एक्सप्लोजिव्स सब्सटेन्सेज ऐक्ट ...	१६	१
२-च	,,	विशेष तथा स्थानीय विधियों के अधीन ऐसे अपराध, जो हस्तक्षेप्य घोषित किये गये हों, लेकिन उपर्युक्त में सम्मिलित न हों	८,१३३	८८२
		योग ..	५०,४६९	३,६४१

जांच का सिद्धांत (४-क+४-ख+५)-(८+९+१०)=६+११+१२-क+१२-ख+१३

पत्र 'क क'—(समाप्त)

प्रविवरण, १९५९ ई०

प्रविवरण

मामले						
जिनमें सुलहनामा हो गया	जिनमें अपराधियों का पता न लगा या गिरफ्तार न हुए	निस्तारित वास्तविक मामलों का योग (स्तंभ ६+११+१२—क+१२—ख+१३)	मैजिस्ट्रेट के सामने सीधे प्रस्तुत किये गये वास्तविक मामलों का योग (१७—१४)	मैजिस्ट्रेट के सामने सीधे प्रस्तुत किये गये ऐसे वास्तविक मामलों का योग, जिनमें अपराधी अभियुक्त ठहराये गये	वास्तविक मामलों का कुल योग (१४+१५)	अभ्युक्ति
१२(ख)	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१	१४	५,०२०	१,६७५	१:५५९	६,६९५	...
१	९९	७,६२६	४,६२३	३,९०७	१२,२४९	१ मरे
...	४	२१	६	६	२७	...
१०२	२३३	९,३५८	९,७६९	८,८२७	१९,१२७	...
१५५	५२८	५५,१०५	२४,१६८	२१,९७२	७९,२७३	३ मरे

विवरण-

हस्तक्षेप्य अपराधों का

भाग २—मामलों से सम्बन्धित

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दंड संहिता (इंडियन पेनल कोड) की धारायें	
	वर्ग ६—ऐसे अपराध, जो विवरण-पत्र 'क' भाग २ में निर्दिष्ट नहीं हैं :—	
१	१६१ से १६५ (क), २६६, २७७, २७६, २८०, २८३, २८५, २८६, २८६, २९१ से २९४ आई० पी० सी० १८६१ ई० के ऐक्ट संख्या ५ की धारा ३४ और १९४७ के ऐक्ट संख्या २ तथा स्थानीय विधियों के अधीन दंडनीय सार्वजनिक अनुत्रास (पब्लिक न्यूसेन्सेज)	घूसखोरी तथा सार्वजनिक अनुत्रास
२	"	विशेष तथा स्थानीय विधियों के अधीन ऐसे अपराध, जो हस्तक्षेप्य घोषित किये गये हों ...
२—क	"	आर्म्स ऐक्ट .. ...
२—ख	"	ओपियम ऐक्ट ... ...
२—ग	"	गैम्बलिंग ऐक्ट ... ...
२—घ	"	इक्साइज ऐक्ट .. ...
२—ङ	"	एक्सप्लोजिव्स ऐक्ट तथा इक्सप्लोजिव्स सब्सटेन्सेज ऐक्ट
२—च	"	विशेषतया स्थानीय विधियों के अधीन ऐसे अपराध, जो हस्तक्षेप्य घोषित किये हों लेकिन उपर्युक्त में शामिल न हों
		योग ...

पत्र 'क क'

प्रविवरण, १९५९ ई०

व्यक्तियों का प्रविवरण

वर्ष के आरम्भ में ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो अन्वीक्षा या अनुसन्धान होने तक अभिरक्षा में थे या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (दंड विधि संहिता) की धारा १७० के अधीन लग्नक (जमानत) पर थे और ऐसे मामलों से सम्बन्धित थे, जिनका प्रतिवेदन पुलिस में किया गया या जिन्हें पुलिस ने अपने हाथ में लिया		वर्ष में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जोकि क्रि० प्रो० कोड (दंड विधि संहिता) की धारा १६९ के अधीन छोड़ दिये गये	ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो अन्वीक्षा होने के पूर्व मैजिस्ट्रेट की आज्ञा से छोड़ दिये गये
उन व्यक्तियों की संख्या, जो अनुसंधान होने तक अभिरक्षा में थे या जो अनुसन्धान की अवधि में लग्नक (जमानत) पर थे	उन व्यक्तियों की संख्या, जो अन्वीक्षा होने तक अभिरक्षा में थे या अन्वीक्षा की अवधि में लग्नक (जमानत) पर थे			
४-क	४-ख	५	६	७
३२	२,२२४	३२,३२६	५६	२५
६४	१,६०४	३,२०७	४४	११
१२१	३५१	९०७	२८	—
२३८	१४,४६२	२४,९२२	५६	—
४२७	३,५५४	८,८९४	९५	५
१	१७	२५	३	..
२९२	४,७९२	१४,१०६	२५०	४४
१,१७५	२७,००४	८४,३८७	५३२	८५

विवरण-

हस्तक्षेप्य अपराधों का

भाग २—मामलों से सम्बन्धित

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दंड संहिता (इंडियन पेनल कोड) की धारायें	
	वर्ग ६—ऐसे अपराध, जो विवरण-पत्र 'क' भाग २ में निर्दिष्ट नहीं हैं :—	
१	१६१ से १६५ (क), २६६, २७७, २७६, २८०, २८३, २८५, २८६, २८६, २९१ से २९४ आई० पी० सी० १८६१ ई० के ऐक्ट संख्या ५ की धारा ३४ और १६४७ के ऐक्ट संख्या २ तथा स्थानीय विधियों के अधीन दंडनीय सार्वजनिक अनुत्रास (पब्लिक न्यूसेन्सेज)	घूसखोरी तथा सार्वजनिक अनुत्रास
२	,,	विशेष तथा स्थानीय विधियों के अधीन ऐसे अपराध, जो हस्तक्षेप्य घोषित किये गये हों
२-क	,,	आर्म्स ऐक्ट ... ..
२-ख	,,	ओपियम ऐक्ट ... ..
२-ग	,,	गैम्बलिंग ऐक्ट .. ..
२-घ	,,	इक्साइज ऐक्ट ..
२-ङ	,,	एक्सप्लोजिव्स ऐक्ट तथा इक्सप्लोजिव्स सब्सटेन्सेज ऐक्ट
१-च	,,	विशेषतया स्थानीय विधियों के अधीन ऐसे अपराध, जो हस्तक्षेप्य घोषित किये गये हों, लेकिन उपर्युक्त में शामिल न हों।
		योग .. ...

पत्र 'क क'--(असमाप्त)

प्रविवरण, १९५९ ई०

व्यक्तियों का प्रविवरण

उन व्यक्तियों की संख्या, जिन पर मुकद्दमा चला (९+१०-क+१०-ख)	उन व्यक्तियों की संख्या, जो अभि-शस्त ठहराये गये (८—१०)	उन व्यक्तियों की संख्या, जो दोषमुक्त या उन्मुक्त किये गये		उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में अपने को गिरफ्तार होने से बचा रहे थे
		ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो दोषमुक्त या उन्मुक्त किये गये	उन मामलों से सम्बन्धित व्यक्तियों की संख्या, जिनमें सुलहनामा हो गया	
८	९	१०—क	१०—ख	११
३१,२८७	३०,३४८	७७८	१६१	४
..	...	..	...	...
२,७३०	१,८६४	८६६	..	६
७६५	६२७	१३८	...	२
२४,५५६	२१,३१०	३,२३९	७	५३
८,३८४	७,१८७	१,१८६	११	५
१९	१६	३	..	...
१३,६७४	११,४५६	१,७७८	७४०	२१
८१,७१५	७२,८०८	७,९८८	९१९	९१

विवरण-

हस्तक्षेप्य अपराधों का

भाग २---मामलों से सम्बन्धित

क्रम-संख्या	विधि	अपराध
१	२	३
	भारतीय दंड संहिता (इंडियन पेनल कोड) की धारायें	
	वर्ग ६---ऐसे अपराध, जो विवरण-पत्र 'क' भाग २ में निर्दिष्ट नहीं हैं :---	
१	१६१ से १६५ (क), २६९, २७७, २७९, २८०, २८३, २८५, २८६, २८९, २९१ से २९४ आई० पी० सी० १८६१ ई० के ऐक्ट संख्या ५ की धारा ३४ और १९४७ के ऐक्ट संख्या २ तथा स्थानीय विधियों के अधीन दंडनीय सार्वजनिक अनुत्रास (पब्लिक न्यूसेन्सेज)	घूसखोरी तथा सार्वजनिक अनुत्रास
२	,,	विशेष तथा स्थानीय विधियों के अधीन ऐसे अपराध, जो हस्तक्षेप्य घोषित किये गये हों
२-क	,,	आर्म्स ऐक्ट ... ...
२-ख	,,	ओपियम ऐक्ट ... ...
२-ग	,,	गैम्बलिंग ऐक्ट ... ...
२-घ	,,	इक्साइज ऐक्ट ... ...
२-ङ	,,	इक्सप्लोजिव्स ऐक्ट तथा इक्सप्लोजिव्स सब्सटेन्सेज ऐक्ट
२-च	,,	विशेष तथा स्थानीय विधियों के अधीन ऐसे अपराध, जो हस्तक्षेप्य घोषित किये गये हों, लेकिन उपर्युक्त में शामिल न हों
		योग ...

पत्र 'कक'—(समाप्त)

प्रविवरण, १९५९ ई०

व्यक्तियों का प्रविवरण

उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में अन्वीक्षा या अनुसंधान होने तक अभिरक्षा में थे या लग्नक (जमानत) पर थे		उन व्यक्तियों की संख्या, जो मैजिस्ट्रेटों के मामलों से सम्बन्धित थे			
उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में अनुसंधान होने तक अभिरक्षा में थे या अनुसंधान की अवधि में लग्नक (जमानत) पर थे	उन व्यक्तियों की संख्या, जो वर्ष के अन्त में अन्वीक्षा होने तक अभिरक्षा में थे या अन्वीक्षा की अवधि में लग्नक (जमानत) पर थे	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	अभिशस्त व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या, जो दोषमुक्त या उन्मुक्त किये गये	अभ्युक्ति
१२-क	१२-ख	१३	१४	१५	१६
५५	३,१५९	७,२१९	७,०५८	१४४	...
८०	२,००४	१७३	१०३	५४	६ मरे
८९	४९७	६८८	५४८	११३	...
३२३	१४,६८५	२,६३६	२,२५६	२९२	२ मरे
४२८	३,९५८	५,०७८	४,२८०	५५६	५ मरे
१	२०	६	६	...	..
३०५	४,६१५	१०,६०२	८,९१४	१,३८६	२ मरे
१,२८१	२८,९३८	२६,४०२	२३,१६५	२,५४५	१५ मरे

विवरण-

आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य

भाग १—

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	वर्ष के प्रारंभ में विचाराधीन मुकदमों की संख्या	वर्ष में रिपोर्ट किये गये मामले
१	२	३	४	५
१	११५ ..	आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध जो किये नहीं गये, उसमें प्रोत्साहन दिया जाना इत्यादि ...	...	...
	११७ ..	आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध के करने में जनता इत्यादि का प्रोत्साहन ...	...	...
	११८, ११९ ..	आरक्षक के हस्तक्षेप न करने के योग्य अपराध के छिपाने का इरादा ...	...	...
	१२०—बी (१) १२०—बी (२)	आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य आपराधिक षड्यंत्र ...	६	१
		योग ...	६	१
		वर्ग १—राज्य, सार्वजनिक शान्ति के विरुद्ध अपराध इत्यादि—		
२	१२१ से १३०, ५०५	राज्य के विरुद्ध अपराध ..	...	...
३	१३७ ..	जहाज के स्वामी द्वारा सेना से भागे हुए सैनिकों को शरण देने का अपराध ...	७	१५
४	१७२ से १९०, २०१ से २०४, २१४, २२५—ए, २२७ से २२९ ..	सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध ...	५९	६३४
५	१६१ से १६६, २१७ से २२३	सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये अपराध ...	६०	१३७

त्र 'ख'

पराधों का सन् १९५९ का नक्शा

कद्दमों का नक्शा

निर्णयाधीन मुकद्दमों का योग (स्तम्भ ४ और ५)	सुनवाई किए बिना ही खारिज किये गये मुकद्दमों की संख्या	मुकद्दमें, जिनकी सुनवाई के दौरान में अभियुक्त मर गया, भाग गया या पागल हो गया या जिनमें अभियोगों का परित्याग कर दिया गया, राजीनामा हो गया या वे वापस ले लिये गये। (दंड विधि संग्रह की धारायें २४७, २४८, २४९, ३३३, ३४५ और ४९४)	मुकद्दमों की संख्या, जिनमें निर्णय दिये गये और जिनमें अभियुक्त		वर्ष के अन्त में विचाराधीन मुकद्दमों की संख्या,	मुकद्दमों की संख्या, जिनमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि उनका कोई आधार ही नहीं है या उनमें विधि या तथ्य की गलती है	मुकद्दमों की संख्या, जिनमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षक के हस्तक्षेप करने योग्य अपराध किया गया था	मुकद्दमें, जिन्हें अपील या पुनर्निरीक्षण में विपर्यस्त कर दिया गया
			रिहा या दोषमुक्त किये गये	अभिशस्त हुये				
६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
....	..	...	...	..	..	..	..	..
...	..	...	...	...	...	..	..	..
..	..	...	...	..	..	..	..	..
७	..	...	५	१	१	..	..	..
७	..	...	५	१	१	..	..	..
...	...	...	...	..	...	..	..	..
२२	...	...	१२	१०	..	..	..	..
६१३	६७	४३	२५५	२०५	१२३	..	...	..
११७	२९	...	९०	३३	४५	..	..	..

विवरण-

आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य

भाग १—

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	वर्ष के प्रारम्भ में विचाराधीन मुकद्दमों की संख्या	वर्ष में रिपोर्ट किये गये मामले
१	२	३	४	५
६	१९३ से २००, २०५ से २११, ४२१ से ४२५	झूठी गवाही, झूठी शिकायतें तथा दावे और छलपूर्ण लेख-पत्र तथा संपत्ति का क्रय-विक्रय ..	४९	१७३
७	४६५ से ४७७-ए	जालसाजी या ऐसे जाली लेख-पत्रों का छलपूर्ण प्रयोग, जो कि सरकारी प्रामिसरी नोट न हो तथा लेख में जालसाजी ..	१०	६१
	२६४ से २६७	नाप तथा बाट संबंधी अपराध ...	४	५
९	४८२ से ४८९	झूठे व्यापारिक चिह्न बनाना तथा प्रयोग करना ...	८	१५
१०	१४९, १५३-ए से १५६, १६०	दंगे, गैर कानूनी रूप से एकत्र होना, छोटे-मोटे झगड़े ...	८९	९७७
		योग ..	२८६	२,०१७
		वर्ग २—शरीर के विरुद्ध गंभीर अपराध—		
११	३१२ से ३१६	गर्भपात करना ..	..	६
		योग ..	...	६
		वर्ग ३—संपत्ति के विरुद्ध गंभीर अपराध—		
१२	३८४ से ३८९	धन अपहरण ..	१९	१४४
		योग ..	१९	१४४

पत्र 'ख'—(क्रमशः)

अपराधों का १९५९ का नक्शा

मुकद्दमों का नक्शा

निर्णयाधीन मुकद्दमों का योग (स्तम्भ ४ और ५)	सुनवाई किए बिना ही खारिज किये गये मुकद्दमों की संख्या	मुकद्दमें, जिनकी सुनवाई के दौरान में अभियुक्त मर गया, भाग गया या पागल हो गया या जिनमें अभियोगों का परित्याग कर दिया गया, राजीनामा हो गया या वे विधि वापस ले लिया गया (दंड संग्रह की धारायें २४७, २४८, २५९, ३३३, ३४५ और ४९४)	मुकद्दमों की संख्या, जिनमें निर्णय दिये गये और जिनमें अभियुक्त — रिहा या दोषमुक्त किये गए	प्रभिशस्त हुए	वर्ष के अन्त में विचाराधीन मुकद्दमों की संख्या	मुकद्दमों की संख्या, जिनमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि उनका कोई आधार हो नहीं है या उनमें विधि या तथ्य की गलती है	मुकद्दमों की संख्या, जिनमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षक के हस्तक्षेप करने योग्य अपराध किया गया था	मुकद्दमें, जिन्हें अपील या पुनर्निरीक्षण में विपर्यस्त कर दिया गया
६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
२२२	२१	११	६८	७५	४७	...	...	...
७१	१३	५	३२	१०	११	...	..	...
९	..	...	४	३	२	...	..	..
२३	२	...	४	५	१२	...	...	..
१,०६६	८९	६	१७१	७०१	९९	..	...	..
२,३०३	२२१	६५	६३४	१०४२	३३६	...	...	...
६	१	...	४	...	१	...	...	...
६	१	...	४	..	१	...	...	...
१६३	२१	५	८०	३९	१८	...	...	...
१६३	२१	५	८०	३९	१८	.	...	..

विवरण-

आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य

भाग १—

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	वर्ष के प्रारम्भ में विचाराधीन मुकद्दमों की संख्या	वर्ष में रिपोर्ट किये गये मामले
१	२	३	४	५
		वर्ग ४—शरीर के विरुद्ध छोटे अपराध—		
१३	३४५ ..	दोषयुक्त बन्दीकरण .	८	१२२
१४	३५२, ३५५, ३५८ ..	आपराधिक बल प्रयोग .	१२६	७१२
१५	३३४ ..	चोट पहुंचाना और गंभीर या अचानक उत्तेजना दिलाना ..	४	३३
१६	३२३ .. .	जानबूझ कर चोट पहुंचाना ..	१,६७०	८,६३०
१७	३७४	अनिवार्य श्रम	१२	११४
		योग ..	१,८२०	९,६११
		वर्ग ५—संपत्ति के विरुद्ध छोटे अपराध—		
१८	४१७ से ४१८ ..	धोखा देना	४०	३६६
१९	४०३ से ४०५ ..	संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग ..	२७	१५२
२०	४२६, ४२७, ४३४ ..	दुष्टता (साधारण)	४७५	१,७५५
		योग ..	५४२	२,२७३
		वर्ग ६—अन्य अपराध, जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं किये गये हैं		
२१	२९५-क २९८ ..	धर्म विरुद्ध अपराध ..	१२	९५
२२	४९० से ४९२ ..	नौकरी के संविदा का आपराधिक उल्लंघन	२४	९९
२३	४९३ से ४९८ ..	विवाह संबंधी अपराध ..	४२२	३,५५२
२४	५०० से ५०२ ..	मानहानि	१९४	९९५

पत्र 'ख'—(क्रमशः)

अपराधों का सन् १९५९ का नक्शा

मुकद्दमों का नक्शा

निर्णयाधीन मुकद्दमों का योग (स्तम्भ ४ और ५)	सुनवाई किये बिना ही खारिज किये गये मुकद्दमों की संख्या	मुकद्दमें जिनकी सुनवाई के दौरान में अभियुक्त मर गया, भाग गया या पागल हो गया या जिनमें अभियोगों का परित्याग कर दिया गया, राजीनामा हो गया या वे विधि वापस ले लिये गये। (दंड विधि संग्रह की धारायें २४७, २४८, २५९, ३३३, ३४५ और ४९४)	मुकद्दमों की संख्या, जिनमें निर्णय दिये गये और जिनमें अभियुक्त		वर्ष के अन्त में विचाराधीन मुकद्दमों की संख्या	मुकद्दमों की संख्या, जिनमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि उनका कोई आधार ही नहीं है या उनमें विधि या तथ्य की गलती है	मुकद्दमों की संख्या, जिनमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षक के हस्तक्षेप करने योग्य अपराध किया गया था	मुकद्दमें, जिन्हें अपील या पुनर्निरीक्षण में विपर्यस्त कर दिया गया
			रिहा या दोषमुक्त किये गए	अभिशस्त हुये				
६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
१३०	५२	..	४५	११	२२	...	...	...
३३८	२०३	९५	३०५	१४	१४१	...	..	..
३७	...	६	१५	८	८	..	...	...
१०,३००	२,२४२	१,१७४	४,२००	१,१०६	१,५७२	६	..	...
१२६	१६	५	५८	१०	३९	..	..	...
११,४३१	२,५१३	१,२८०	४,६२३	१,२२९	१,७८०	६	...	..
४०६	९८	७	१९१	५१	५१	...	...	...
१७९	२०	१७	७९	३७	२६	..	..	...
२,२३०	४६४	२२१	९२९	२०३	४१३	..	..	...
२,८१५	५८२	२४५	१,२०७	२९१	४९०	..	..	...
१०७	१०	१७	४९	७	२४	...	.	...
१२३	५१	११	३९	१२	१०	...	..	...
३,९७४	१,६७१	४१३	१,३२०	१५९	४०८		..	...
८५९	२९१	९७	३५६	७१	१३४	...	..	...

विवरण-

आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य

भाग १--

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	वर्ष के प्रारम्भ में विचाराधीन मुकद्दमों की संख्या	वर्ष में रिपोर्ट किये गये मामले
१	२	३	४	५
२५	५०४, ५०६ से ५१०	धमकी, अपराध और छेड़खानी ..	२१६	१,५३७
२६	२७१ से २७६, २७८, २८४, २८७, २८८,	सार्वजनिक या स्थानीय कष्टदायक कार्य ...	३०	२२०
२७	२९० २९४-क	लाटरी कार्यालय चलाना	९	०६
२८	सी०पी० सी०के अध्याय ८-क, तथा सेक्शन १०६, सी० आर० पी० सी० के अधीन मामले	दंडित होने के पश्चात् शान्तिमय रहने का मुचलका	१७	२४
२९	सी० पी० सी०के अध्याय १० के मुकद्दमे	सार्वजनिक कष्टदायक कार्य ..	२४०	१,२१
३०	सी० पी०सी० के अध्याय १२ के मुकदमें	अचल संपत्ति संबंधी झगड़े ..	८३५	३,५२६
३१	सी० पी० सी० के सेक्शन २५० के अधीन मुकदमें	अनर्थक, ओछे साम्प्रदायिक आरोप लगाना	२३	१७६
३२	सी० पी० सी० के सेक्शन ५१४ के अधीन मुकदमें	बाण्डों को जब्त करना	४२०	६,६१८
३२-अ	...		२	१२
		योग ..	२,४४४	१८,०४२
३३	...	अन्य विशेष या स्थानीय कानूनों के अधीन अपराध, जो पुलिस के हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं	४,२२१	६०,०४८
३४-अ	१०७सी०आर०पी०सी०	शान्ति तथा अच्छे चाल-चलन का मुचलका	४,७३९	१७,०३८
३४-ब	१०९ ,, ,, ,,	,,	२,१३७	९,७२३
३४-स	११० ,, ,, ,,	,,	७६९	२,१२६
		योग ..	११,८६६	८८,९३५
		वृहत् योग ..	१६,९८३	१,२१,०२९

पत्र 'ख'—(समाप्त)

अपराधों का सन् १९५९ का नक्शा।

[मु]कद्दमों का नक्शा।

(स्तम्भ ४ और ५)	सुनवाई किये बिना ही खारिज किये गये मुकद्दमों की संख्या	मुकद्दमों जिनकी सुनवाई के दौरान में अभियुक्त मर गया, भाग गया या पागल हो गया या जिनमें अभियोगों का परित्याग कर दिया गया, राजीनामा हो गया या वे वापस ले लिये गये। (दंड विधि संग्रह की धारायें २४७, २४८, २५९, ३३३, ३४५ और ४९४)	मुकद्दमों की संख्या जिनमें निर्णय दिये गये और जिनमें अभियुक्त		वर्ष के अन्त में विचाराधीन मुकद्दमों की संख्या	मुकद्दमों की संख्या, जिनमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि उनका कोई आधार ही नहीं है या उनमें विधि या तथ्य की गलती है	मुकद्दमों की संख्या, जिनमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षक के हस्तक्षेप करने योग्य अपराध किया गया था	मुकद्दमें जिन्हें अपील। पुनर्निरीक्षण में विपर्यस्त किया गया
			रिहा या दोषमुक्त किये गए	अभिशस्त				
६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
७५३	४६८	२५१	५४५	२४८	२४१	..	..	...
२५०	१६	८	८७	११२	२७	..	..	...
१५	२	..	४	८	१	..	..	...
२५७	८८	३	१०२	४२	२२	..	..	...
५३६	२०२	३२	६०९	४१३	२८०	..	..	...
३६१	७१०	१०९	१,८६०	१,०८४	५९७	.	..	एक मामला सेशन के सुपुर्द किया गया
१४४	२६	३४	५१	५७	३१	...	..	...
०३८	१७५	३१	१,१४५	५,३९०	२९७	..	.	...
१४	..	...	१०	१	३	..	.	...
४८६	३,६२५	१,००६	६,१७७	७,६०२	२,०७५	..	..	...
२६१	५,४२२	३,०४५	१२२५७	३९५७३	३९३२	...	.	...
७७७	१,०६२	४,९६२	५,११४	५,२२०	५४१८	..	..	६ काट दिये गये
८६०	५०	३८	१,३४६	८,६६२	१,७५७	..	..	१ उ ा लिया
८९५	६	३	३४५	१,९९०	५५१	...	..	...
०८७१	६,५४०	८,०४८	१९१०२	५५४४५	११६५९	...	...	...
,०१२	१३५०३	१०,६४९	३१८३४	६५६४९	१६३६३	६	...	६ काट दिये १ उठा लिया १ सेशन सुपुर्द

विवरण—

आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य
भाग २—मुकदमों से सम्बन्धित

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	वर्ष के प्रारम्भ में मुकदमें से संबंधित ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनके मुकदमों की सुनवाई हो रही है या जिनके विरुद्ध आदेशिका जारी कर दी गई है
१	२	३	४
१	११५ ..	आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध, जो किये नहीं गये, उसमें प्रोत्साहन दिया जाना इत्यादि	..
	११७ ..	आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध के करने में जनता इत्यादि का प्रोत्साहन	..
	११८, ११९ ..	आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध के छिपाने का इरादा	..
	१२०—बी (१), १२०—बी (२)	आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराधिक षड़यंत्र	२४
		योग ..	२४
		वर्ग १—राज्य, सार्वजनिक शान्ति के विरुद्ध अपराध इत्यादि	
२	१२१ से १३०, ५०५	राज्य के विरुद्ध अपराध ..	...
३	१३७ ..	जहाज के स्वामी द्वारा सेना से भागे हुए सैनिकों को शरण देने का अपराध	७३
४	१७२ से १९०, २०१ से २०४, २१४, २२५—ए, २२७ से २२९ ..	सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध...	१८९
५	१६१ से १६९, २१७ से २२३	सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये अपराध	९४

पत्र 'ख'—(असमाप्त)

अपराधों का १९५९ ई० का नक्शा

व्यक्तियों का नक्शा

व्यक्ति, जिनके विरुद्ध आदेशिका जारी की गई हो		व्यक्ति जो इस कारण गिरफ्तार नहीं किये गये कि वे वर्ष के दौरान में फरार हो गये या सम्मनों से बचते रहे या उनका पालन नहीं किया और ऐसे व्यक्ति, जिनके विरुद्ध वर्ष के अन्त में आदेशिका का अनुपालन होना शेष था	व्यक्ति, जो न्यायालय-पृ के समक्ष उपस्थित हुए	व्यक्ति, जिन्हें उपस्थित होने पर मुकदमा चलाये बिना ही रिहा कर दिया गया	व्यक्ति, जिनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया	
अभियोग लगाये जाने पर	स्वयं मैजिस्ट्रेट के प्रस्ताव पर आरक्षक से सूचना मिलने पर				दोषमुक्त	अभिशस्त
५	६	७	८	९	१०	११
...	..	..	..	..	...	..
...	...	..	..	..	...	..
..	..	..	..	..	..	..
५	...	..	२९	..	२७	..
५	...	..	२९	...	२७	..
...	...	..	...	...	...	...
६	२४	..	१०३	४	९२	७
२,११०	४६८	..	२,७६७	५३	१५५१	५०७
२४८	३२	...	३७४	३५	२२४	४२

विवरण

आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य

भाग २—मुकदमों से सम्बन्धित

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	अभियुक्त व्यक्तियों का उन व्यक्तियों की तुलना में जिनके विरुद्ध आदेशिका जारी की गई थी, दंडित व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत (स्तम्भ ५ और ६)
१	२	३	१२
१	११५ ..	आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध, जो किये नहीं गये, उसमें प्रोत्साहन दिया जाना इत्यादि	..
	११७ ..	आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध के करने में जनता इत्यादि का प्रोत्साहन	...
	११८, ११९ ..	आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध के छिपाने का इरादा	..
	१२०-बी (१) और, १२०-बी (२)	आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य आपराधिक षड्यन्त्र	..
		योग ..	...
		वर्ग १—राज्य, सार्वजनिक शान्ति के विरुद्ध अपराध इत्यादि—	
२	१२१ से १३०, ५०५	राज्य के विरुद्ध अपराध ..	...
३	१३७ ..	जहाज़ के स्वामी द्वारा सेना से भागे हुए सैनिकों को शरण देने का अपराध	...
४	१७२ से १९०, २०१ से २०४, २१४, २२५-ए, २२७ से २२९	सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध	...
५	१६१ से १६९, २१७ से २२३ ..	सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये अपराध ..	...

पत्र 'ख'—(असमाप्त)

अपराधों का १९५९ ई० का नक्शा

व्यक्तियों का नक्शा

व्यक्ति, जिनके विरुद्ध वर्ष के अन्त में मुकदमे चल रहे थे	ऐसे संबंधित व्यक्तियों की संख्या, जिनका परित्याग कर दिया गया या जिनमें राजीनामा हो गया या जो वापस ले लिया गया और ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो मुकदमे के दौरान में मर गये या भाग गये या पागल हो गये	स्तम्भ ११ के ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो आरक्षक के हस्तक्षेप योग्य अपराधों के सम्बन्ध में अभिग्रस्त हुए	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो उपस्थित होने के पहिले ही मर गये या भाग गये या स्थानान्तरित कर दिये गये
१३	१४-अ	१४-ब	१४-स
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
२	...	...	...
[illegible]	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
६५६	...	...	...
७३	...	...	...

विवरण-

आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य

भाग २--मुकदमों से सम्बन्धित

क्र० संख्या	विधि	अपराध	वर्ष के प्रारम्भ में मुकद्दमों से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनके मुकदमों की सुनवाई हो रही है या जिनके विरुद्ध आदेशिका जारी कर दी गई है।
१	२	३	४
६	१९३ से २००, २०५ से २११, ४२१ से ४२४	झूठी गवाही, झूठी शिकायतें तथा दावे और छलपूर्ण लेख-पत्र तथा संपत्ति का क्रय विक्रय ...	६३
७	४६५ से ४७७-ए ..	जालसाजी या ऐसे जाली लेख-पत्रों का छलपूर्ण प्रयोग, जो सरकारी प्रामिसरी नोट्स न हों तथा लेख में जालसाजी ...	१२
८	२६५ से २६७ ..	नाप तथा बाट संबंधी अपराध ..	२
९	४८२ से ४८९ ..	झूठे व्यापारिक चिह्न का बनाना तथा प्रयोग करना ...	२१
१०	१४९, १५३-ए से १५६, १६०	दंगे, गैर कानूनी रूप से एकत्र होना, छोटे-मोटे झगड़े	२४३
		योग ..	६९७
		वर्ग २--शरीर के विरुद्ध गम्भीर अपराध--	
११	३१२, ३१६ ..	गर्भपात करना ..	..
		योग ..	..
		वर्ग ३--संपत्ति के विरुद्ध गम्भीर अपराध--	
१२	३८४ से ३८९ ..	धन-अपहरण ..	६०
		योग ..	६०
		वर्ग ४--शरीर के विरुद्ध छोटे अपराध--	
१३	३४५ ..	दोषयुक्त बन्दीकरण ..	७

पत्र 'ख'—(असमाप्त)

अपराधों का १९५९ ई० का नक्शा

व्यक्तियों का नक्शा

व्यक्ति, जिनके विरुद्ध आदेशिका जारी की गई हो		व्यक्ति जो इस कारण गिरफ्तार नहीं किये गये कि वे वर्ष के दौरान में फरार हो गये या सम्मनों से बचते रहे या उनका पालन नहीं किया और ऐसे व्यक्ति, जिनके विरुद्ध वर्ष के अन्त में आदेशिका का अनुपालन होना शेष था	व्यक्ति, जो न्यायालय—ए के समक्ष उपस्थित हुए	व्यक्ति, जिन्हें उपस्थित होने पर मुकदमा चलाये बिना ही रिहा कर दिया गया	व्यक्ति, जिनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया	
अभियोग लगाये जाने पर	स्वयं मैजिस्ट्रेट के प्रस्ताव पर आरक्षक से सूचना मिलने पर				दोषमुक्त	अभिशस्त
५	६	७	८	९	१०	११
२३५	३५	..	३३३	१४	१२८	८७
५३	६९	...	१३४	३४	५०	२८
४	१	...	७	...	२	३
२३	१	..	४५	१२	१०	८
२,३८५	७३५	५	३,३५८	२६२	९६६	१,७५९
५,०६४	१,३६५	५	७,१२१	४१४	३,०२३	२,४४१
१	३	..	१२	...	९	१
१	३	..	१२	...	९	१
३९६	६	....	४६२	३१	२७६	१०४
३९६	६	...	४६२	३१	२७६	१०४
३११	...	..	३१८	९३	११८	२७

विवरण-

आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य

भाग २—मुकदमों से सम्बन्धित

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	अभिशस्त व्यक्तियों का उन व्यक्तियों की तुलना में जिनके विरुद्ध आदेशिका जारी की गई थी, दंडित व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत (स्तम्भ ५ और ६)
१	२	३	१२
६	१९३, २००, २०५ से २११, ४७१ से ४२४	झूठी गवाही, झूठी शिकायतें तथा दावे और छलपूर्ण लेख-पत्र तथा संपत्ति का क्रय विक्रय	...
७	४६५ से ४७७-ए ..	जालसाजी या ऐसे जाली लेख-पत्रों का छलपूर्ण प्रयोग, जो सरकारी प्रामिसरी नोट्स न हों तथा लेख में जालसाजी ..	...
८	२६५ से २६७ ..	नाप तथा बाट सम्बन्धी अपराध ..	...
९	४८२ से ४८९ ..	झूठे व्यापारिक चिह्न का बनाना तथा प्रयोग करना ..	...
१०	१४९, १५३-ए से १५६, १६०	दंगे, ग़ैर कानूनी रूप से एकत्र होना, छोटे-मोटे झगड़े ...	...
		योग ..	...
		वर्ग २—शरीर के विरुद्ध गम्भीर अपराध—	
११	३१२, ३१६ ..	गर्भपात करना ..	...
		योग ..	...
		वर्ग ३—संपत्ति के विरुद्ध गंभीर अपराध—	
१२	३८४ से ३८९ ..	धन-अपहरण ..	...
		योग ...	...
		वर्ग ४—शरीर के विरुद्ध छोटे अपराध	
१३	३४५ .	दोषयुक्त बन्दीकरण ..	...

पत्र 'ख'--(असमाप्त)

अपराधों का १९५९ ई० का नक्शा

व्यक्तियों का नक्शा

व्यक्ति, जिनके विरुद्ध वर्ष के अंत में मुकदमें चल रहे थे	ऐसे संबंधित व्यक्तियों की संख्या, जिनका परित्याग कर दिया गया या जिनमें राजीनामा हो गया या जो वापस ले लिया गया और ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो मुकदमे के दौरान में मर गये या भाग गये या पागल हो गये	स्तम्भ ११ के ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो आरक्षक के हस्तक्षेप योग्य अपराधों के सम्बन्ध में अभिग्रस्त हुए	ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो उपस्थित होने के पहिले मर गये या भाग गये या स्थानान्तरित कर दिये गये
१३	१४-अ	१४-ब	१४-स
५८	४६	...	...
२२	...	..	...
२	...	...	...
१५	...	...	...
३३०	४१	...	...
१,१५६	८७	...	...
२	...	...	...
२	...	...	...
४०	११	...	...
४०	११	...	...
८०	...	..	...

विवरण-

आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य

भाग २—मुकदमों से सम्बन्धित

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	वर्ष के प्रारम्भ में मुकदमों से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनके मुकदमों की सुनवाई हो रही है या जिनके विरुद्ध आदेशिका जारी कर दी गई है
१	२	३	४
१४	३५२, ३५५, ३५८ ..	आपराधिक बल प्रयोग ..	३९५
१५	३३४ ..	चोट पहुंचाना और गंभीर या अचानक उत्तेजना दिलाना ..	७
१६	३२३ ..	जानबूझ कर चोट पहुंचाना ..	५,७८८
१७	३७४ ..	अनिवार्य श्रम ..	३९
		योग ..	६६,२३६
		वर्ग ५—संपत्ति के विरुद्ध छोटे अपराध—	
१८	४१७, ४१८ ..	धोखा देना ..	५२
१९	४०३, ४०५ ..	संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग ..	४४
२०	४२६, ४२७, ४३४ ..	दुष्टता (साधारण) ..	१,४४७
		योग ..	१,५४३
		वर्ग ६—अन्य अपराध, जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं किये गये हैं—	
२१	२९५-क, २९८ ..	धर्म विरुद्ध अपराध ..	३८
२२	४९० से ४९२ ..	नौकरी से संविदा का आपराधिक उल्लंघन ..	५३
२३	४९३ से ४९८ ..	विवाह संबंधी अपराध ..	१,१११
२४	५०० से ५०३ ..	मानहानि ..	३९२
२५	५०४, से ५०६, ५१० ..	धमकी, अपमान और छेड़खानी ..	६१०
२६	२७१ से २७६, २७८, २८४, २८७, २८८, २९०	सार्वजनिक या स्थानीय कष्टदायक कार्य ..	३४

पत्र 'ख'—(असमाप्त)

अपराधों का १९५९ ई० का नक्शा

व्यक्तियों का नक्शा

व्यक्ति, जिनके विरुद्ध आदेशिका जारी की गई हो		व्यक्ति जो इस कारण गिरफ्तार नहीं किये गये कि वे वर्ष के दौरान में फरार हो गये या सम्मनों से बचते रहे या उनका पालन नहीं किया और ऐसे व्यक्ति, जिनके विरुद्ध वर्ष के अन्त में आदेशिका का अनुपालन होना शेष था	व्यक्ति, जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए	व्यक्ति, जिन्हें उपस्थित होने पर मुकदमा चलाये बिना ही रिहा कर दिया गया	व्यक्ति, जिनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया	
अभियोग लगाये जानेपर	स्वयं मॅजिस्ट्रेट के प्रस्ताव पर आरक्षक से सूचना मिलने पर				दोषमुक्त	अभिशस्त
५	६	७	८	९	१०	११
१,७४५	१०७	२२	२,२२५	२७२	१,०६५	२१२
१०१	...	...	१०८	५	६०	१७
२२,८२६	१,३२८	२४७	२९,६९५	५,७७९	१४,१७६	३,२८६
४९९	...	३	५३५	२	३३३	२१
२५,४८२	१,४३५	२७२	३२,८८१	६,१५१	१५,७५२	३,५६३
४८८	६०	१४	५८६	६८	३४६	७०
२५५	६	५	३००	३५	१६८	३०
५,२०८	१०६	३१	६,७३०	९३३	३,१४१	६३८
५,९५१	१७२	५०	७,६१६	१,०३६	३,६५५	७३८
३९२	८	...	४३८	८	१५५	४१
२४९	...	...	३०२	...	२६०	२५
४,६५६	४७५	६७	६,१७५	१,३९३	३,०४३	२९३
१,३१६	८१	२७	१,७६२	३६४	८२६	१४८
३,४१२	६१	१०२	३,९८१	८२८	१,८७७	५०८
२७०	७७	३	३७८	१३	१५१	१३६

विवरण.

आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य

भाग २—मुकदमों से सम्बन्धित

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	अभिशस्त व्यक्तियों का उन व्यक्तियों की तुलना में जिनके विरुद्ध आदेशिका जारी की गई थी, दंडित व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत (स्तम्भ ५ और ६)
१	२	३	१२
१४	३५२, ३५५, ३५८ ..	आपराधिक बल प्रयोग ..	...
१५	३३४ .	चोट पहुंचाना और गंभीर या अचानक उत्तेजना दिलाना ...	...
१६	३२३ ..	जानबूझ कर चोट पहुंचाना ..	...
१७	३७४ ..	अनिवार्य श्रम ...	...
		योग ..	...
		वर्ग ५—संपत्ति के विरुद्ध छोटे अपराध—	
१८	४१७, ४१८ ..	धोखा देना	...
१९	४०३, ४०५ ..	संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग ..	...
२०	४२६, ४२७, ४३४ ..	दुष्टता (साधारण) ..	...
		योग ..	...
		वर्ग ६—अन्य अपराध, जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं किये गये हैं—	
२१	२९५-क, २९८ ..	धर्म विरुद्ध अपराध .	...
२२	४९० से ४९२ ..	नौकरी से संविदा का आपराधिक उल्लंघन ...	...
२३	४९३ से ४९८ ..	विवाह संबन्धी अपराध ..	...
२४	५०० से ५०३ ..	मानहानि ..	...
२५	५०४ से ५०६, ५१० ..	धमकी, अपमान और छेड़खानी ..	...
२६	२७१ से २७६, २७८, २८४, २८७, २८८, २९०	सार्वजनिक या स्थानीय कष्टदायक कार्य ...	...

पत्र 'ख'—(असमाप्त)

अपराधों का १९५९ ई० का नक्शा

व्यक्तियों का नक्शा

व्यक्ति, जिनके विरुद्ध वर्ष के अंत में मुकदमे चल रहे थे	ऐसे संबन्धित व्यक्तियों की संख्या जिनका परित्याग कर दिया गया या जिनमें राजीनामा हो गया या जो वापस ले लिया गया और ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो मुकदमे के दौरान में मर गये या भाग गये या पागल हो गये	स्तम्भ ११ के ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो आरक्षक के हस्तक्षेप योग्य अपराधों के सम्बन्ध में अभिशस्त हुये	ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो उपस्थित होने के पहले ही मर गये या भाग गये या स्थानान्तरित कर दिये गये
१३	१४–अ	१४–ब	१४–स
४२७	२४९	..	..
२६	...	...	..
४,५४६	१,९०८	...	..
१७९	...	...	..
५,२५८	२,१५७	..	..
६७	५	..	..
५२	१५	..	...
१,२५४	७३४	..	...
१,४०३	७८४	...	...
१७९	५५	..	...
१७	...	..	..
७७८	६६८	...	...
२६१	१६३	..	१ मर गया
४८६	२८२	..	...
५७	२१	...	

विवरण-

आरक्षकों के हस्तक्षेप न करने योग्य

भाग २--मुकदमों से सम्बन्धित

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	वर्ष के प्रारम्भ में मुकदमे सम्बन्धित ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनके मुकदमों की सुनवाई हो रही है या जिनके विरुद्ध आदेशिका जारी कर दी गई है
१	२	३	४
२७	२९४-क ...	लाटरी कार्यालय चलाना ..	९
२८	सी०पी०सी०केअध्याय८क तथा सेक्शन १०६ सी० आर० पी० सी० के अधीन मामले	दंडित होने के पश्चात् शान्तिमय रहने का मुचलका ...	५६
२९	सी०पी०सी० के अध्याय १० के मुकद्दमे	सार्वजनिक कष्टदायक कार्य ..	३८४
३०	सी०पी०सी० अध्याय १२ के मुकदमे	अचल संपत्ति संबंधी झगड़े ..	२,२२६
३१	सी०पी०सी० के सेक्शन २५० के अधीन मुकदमे	अनर्थक, ओछे, सन्तापदायक आरोप लगाना	१८
३२	सी०पी०सी० के सेक्शन ५१४ के अधीन मुकदमे	बान्डों का जब्त करना ..	५०९
३२-अ			२
		योग ..	५,४४२
३३		अन्य विशेष या स्थानीय कानूनों के अधीन अपराध, जो आरक्षक के हस्तक्षेप योग्य नहीं है	३,०३३
३४-अ	१०७ सी०आर०पी०सी०	शांति तथा अच्छे चाल-चलन का मुचलका	३०,४४८
३४ब	१०९ सी० आर० पी०सी०	...	२,०७६
३४-स	११० सी०आर०पी०सी०		७६५
		योग ..	३६,३२२
		बृहद् योग ..	५०,३२४

पत्र 'ख'—(असमाप्त)

अपराधों का १९५९ ई० का नक्शा

व्यक्तियों का नक्शा

व्यक्ति, जिनके विरुद्ध आदेशिका जारी की गई हो		व्यक्ति जो इस कारण गिरफ्तार नहीं किये गये कि वे वर्ष के दौरान में फरार हो गये या सम्मनों से बचते रहे या उनका पालन नहीं किया और ऐसे व्यक्ति, जिनके विरुद्ध वर्ष के अन्त में आदेशिका का अनुपालन होना शेष था	व्यक्ति, जो न्यायालय-ए के समक्ष उपस्थित हुए	व्यक्ति, जिन्हें उपस्थित होने पर मुकद्दमा चलाये बिना रिहा कर दिया गया	व्यक्ति, जिनके विरुद्ध मुकद्दमा चलाया गया	
अभियोग लगाये जाने पर	स्वयं मजिस्ट्रेट के प्रस्ताव पर आरक्षक से सूचना मिलने पर				दोषमुक्त	अभिशस्त
५	६	७	८	९	१०	११
६	...	..	१५	२	४	८
१,०२७	९२	...	१,१७५	१४	८३०	१९४
२,०११	३६८	६	२,७५७	२९४	१,११८	७१३
८,१३६	१,७२६	...	१२,०८८	१,१४३	५,२०९	३,८०३
२४६	६	...	२७०	११	१४३	६३
७,८८८	१४८	१	८,५४४	९८७	५७७	६,३६२
१३	...	..	१५	...	११	१
२१,६२२	३,०४२	२०६	३७,९००	५,०५७	१४,२०४	१२,२९५
६२,८१४	३,४५०	१९५	६९,१०२	३,७८१	१५,८२९	४४,४५९
७६,७७७	३३,३१८	१४०	१,४०,४०३	९,२२९	३१,३५५	३२,३२९
६,०३०	३,९२१	२	१२,०२५	८७	१,३४५	८,७१९
१,३२५	८०६	..	२,८९६	१३	३३१	१,९६३
१,४६,९४६	४१,४२५	३३७	२,२४,४२६	१३,११०	४८,८६०	८७,५००
२,१३,४७५	४७,५१८	८७०	३,१०,४७७	२५,७९९	८५,८००	१,०६,६४२

विवरण-

आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य

भाग २—मुकदमों से सम्बन्धित

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	अभियुक्त व्यक्तियों का उन व्यक्तियों की तुलना में जिनके विरुद्ध आदेशिका जारी की गई थी, दंडित व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत (स्तम्भ ५ और ६)
१	२	३	१२
२७	२९४–क ..	लॉटरी कार्यालय चलाना ..	...
२८	सी०पी०सी०के अध्याय ८क तथा सेक्शन १०६ सी० आर० पी० सी० के अधीन मामले	दंडित होने के पश्चात् शान्तिमय रहने का मुचलका ...	...
२९	सी० पी० सी० के अध्याय १० के अधीन मुकदमे	सार्वजनिक कष्टदायक कार्य ..	...
३०	सी० पी० सी० के अध्याय १२ के मुकदमे	अचल संपत्ति संबंधी झगड़े ..	...
३१	सी० पी० सी० के सेक्शन २५० के अधीन मुकदमे	अनर्थक, ओछे सन्तापदायक आरोप लगाना ...	...
३२	सी० पी० सी० के सेक्शन ५१४ के अधीन मुकदमे	बान्डों का जब्त करना ...	...
३२–अ			...
		योग ..	...
३३		अन्य विशेष या स्थानीय कानूनों के अधीन अपराध, जो आरक्षक के हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ...	...
३४-अ	१०७ सी०आर० पी० सी०	शांति तथा अच्छे चाल चलन का मुचलका	...
३४-ब	१०९ सी० आर० पी० सी०	...	...
३४-स	११० सी० आर० पी० सी०	...	...
		योग ...	...
		वृहद योग ..	

पत्र 'ख'—(समाप्त)

अपराधों का १९५९ ई० का नक्शा

व्यक्तियों का नक्शा

व्यक्ति, जिनके विरुद्ध वर्ष के अन्त में मुकदमें चल रहे थे	ऐसे संबंधित व्यक्तियों की संख्या जिनका परित्याग कर दिया गया या जिनमें राजीनामा हो गया या जो वापस ले लिया गया और ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो मुकदमें के दौरान में मर गये या भाग गये या पागल हो गये	स्तम्भ ११ के ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जो आरक्षक के हस्तक्षेप योग्य अपराधों के सम्बन्ध में अभिशस्त हुए	ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो उपस्थित होने के पहिले मर गये या भाग गये या स्थानान्तरितकर दिये गये
१३	१४–अ	१४–ब	१४–स
१	...	...	..
४७	९०	..	...
५७३	५९	..	..
१,५८६	३४३	..	४ मामले अदालत दीवानी के सुपुर्द
४९	४	...	..
५१४	१०४	...	..
८	..	...	...
४,५५१	१,७८९	...	४
३,३८८	१,५७०	...	७५
३६,१०९	३१,३८१	...	६ मामले काट दिये गये १ मामला उठा लिया गया
१,८४६	२१	...	...
५५६	३	...	...
४१,८९९	३२,९७५	...	८२
५४,३११	[illegible]		

विवरण-

वर्ष १९५९ में कितनी चुराई हुई सम्पत्ति बरामद

क्रम-संख्या	अपराध	ऐसे मामलों की संख्या, जिसमें सम्पत्ति चुराई गई	ऐसे मामलों की संख्या, जिसमें सम्पत्ति बरामद की गई
१	२	३	४
	क—आरक्षक के हस्तक्षेप करने योग्य अपराध		
१	चोरी—		
	(अ) अपराधिक अतिक्रमण करना या सेंध लगाना ..	१२,४६०	२,४१५
	(ब) चुराई हुई सम्पत्ति प्राप्त करके ..	१,२४९	३६६
	(स) अन्य चोरियां ..	२२,६११	७,९१०
२	राहजनी—		
	(क) डकैती ..	५००	२५१
	(ख) अन्य राहजनियां ..	४१४	१४९
३	आपराधिक विश्वासघात ..	१,२८९	१३६
४	सरकारी कर्मचारियों द्वारा या बैंकर व्यापारी अथवा अभिकर्ता द्वारा आपराधिक विश्वासघात ..	६३४	६३
	योग ..	३९,१५७	११,२९६
	ख—आरक्षक के हस्तक्षेप न करने योग्य अपराध		
५	निष्कर्षण ..	६३०	१४८
६	आपराधिक अपयोजन	४८६	१४८
	योग ..	१,११६	२९६

पत्र 'ग'

की गई, सन् १९५९ ई०

ऐसे मामलों की प्रतिशत, जिसमें सम्पत्ति बरामद की गई स्तम्भ सं० ३ के आंकड़ों का स्तम्भ सं० २ के आंकड़ों से	चुराई हुई सम्पत्ति का मूल्य	बरामद की गई सम्पत्ति का मूल्य	बरामद की गई सम्पत्ति का प्रतिशत स्तम्भ सं० ६ के आंकड़ों का स्तम्भ ५ के आंकड़ों से
५	६	७	८
१९.३	६०,४१,५५१	४,८९,४९६	८१·०
२९·५	५,१०,२९३	८३,३८६	१०·५
३४·९	८४,४०,४९६	१३,३५,३२९	१५·७
५०·२	१४,०८,४२४	५०,५४१	३.५८
३५·९	४,८९,४६५	२,८२,७१८	५७·६
१०·७	६,७३,५२३	६,८५,७८	१०·८
९·९	६,१७,८०८	५६,७२१	९·१८
२८·७	१,८१,८१,५६०	२३,६६,७६६	१३·०२
२३·४९	३,७४,५८७	४२,८१०	११,०४
३०.४	१,१५,१३५	२०,२२१	१७.५
२६·५	[illegible]	[illegible]	[illegible]

विवरण-

चोरियों तथा राहजनी द्वारा सम्पत्तियों

क्रम-संख्या	अपराध	ऐसे मामलों की संख्या, जिसमें सम्पत्ति चोरी गई	ऐसे मामलों की संख्या, जिसमें सम्पत्ति बरामद की गई
१	२	३	४
१	ताम्र तारों की चोरियां	५८४	१३१
२	पशुओं की चोरी	३,३००	२,०३५
३	साइकिलों की चोरियां	४,०८७	५९३
४	मोटरगाड़ियों तथा उसके पुर्जों की चोरियां	३८	१८
५	आग्नेयास्त्रों की चोरियां	२०५	६२
६	विस्फोटक पदार्थों की चोरियां	...	...

पत्र 'ग ग'

के अपहरण का वर्गीकरण सन् १९५९ ई०

उन मामलों की तुलना में जिसमें सम्पत्ति की चोरी हुई थी, बरामद की गई सम्पत्ति के मामलों का प्रतिशत	चोरी हुई सम्पत्ति की धनराशि	बरामद की गई सम्पत्ति की धनराशि	चोरी गई सम्पत्ति के मूल्य का बरामद की गई सम्पत्ति के मूल्य से प्रतिशत
५	६	७	८
	रु०	रु०	
२२.४३	१,०४,४५९	१४,४२१	१३.८
६१.६६	११,१७,८७९	६,८२,५३५	६१.०५
१४.५१	४,३८,६०६	७९,५५३	१८.१
४७.३६	१,९६,६०८	१,४८,६०८	७५.४
३०.२४	८३,२६०	२०,८३४	२५.०
...	...	...	...

पुलिस के कर्मचारियों क

क्रम-संख्या	जिले	इन्सपेक्टर जनरल तथा डिप्टी इन्सपेक्टर जनरलों की संख्या		पुलिस सुपरिन्टेंडेंटों की संख्या		सहायक पुलिस सुपरिन्टेंडेंटों की संख्या		उप पुलिस सुपरिन्टेंडेंटों की संख्या		इन्सपेक्टरों की संख्या	
१	२	३		४		५		६		७	
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
१	मेरठ ...	..	...	२	...	१	...	४	१	६	...
२	बुलन्दशहर ..	..	...	१	...	१	...	२	१	४	...
३	मुजफ्फरनगर ...	..	...	१	...	..	...	२	१	३	१
४	सहारनपुर ..	..	...	१	...	१	...	२	१	६	...
५	देहरादून ...	..	...	१	...	...	...	२	...	३	...
६	टेहरी-गढ़वाल...	..	...	१	...	..	...	...	...	२	१
	मेरठ क्षेत्र का योग	..	...	७	...	३	...	१२	४	२४	२
७	वाराणसी ...	.	...	२	...	..	..	४	१	६	...
८	मिर्जापुर ...	..	...	१	...	..	..	...	१	४	...
९	गाजीपुर ..	..	...	१	...	...	..	१	१	३	...
१०	जौनपुर ...	...	...	१	...	...	...	१	१	३	...
११	बलिया ..	..	...	१	...	..	...	१	१	४	...
१२	आजमगढ़ ...	..	...	१	...	..	...	१	२	५	...
	वाराणसी क्षेत्र का योग	..	...	७	...	८	...	८	७	२५	...
१३	लखनऊ	..	...	२	...	१	...	३	१	७	...
१४	सीतापुर ..	..	...	१	...	...	...	२	१	४	...
१५	हरदोई ...	..	...	१	...	..	...	२	१	४	...
१६	बाराबंकी ...	..	...	१	...	..	...	१	१	४	...
१७	खीरी ...	..	...	१	...	..	...	१	१	३	...
१८	रायबरेली ..	..	...	१	...	...	...	१	१	४	...
१९	उन्नाव ..	..	...	१	...	...	...	१	१	३	...

पत्र 'घ'

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, सन् १९५९ ई०

सब-इन्सपेक्टरों की संख्या		सार्जन्टों की संख्या (रिजर्व सब-इन्सपेक्टर)		असिस्टेंट सब-इन्सपेक्टरों की संख्या		हेड कान्स्टेबुलों की संख्या					
						पैदल		जल-सम्बन्धी		घुड़सवार	
८		९		१०		११		१२		१३	
स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
८७	२४	२	...	...	...	१७१	४	...	...	४	...
४५	२	...	...	...	...	१०७	...	...	...	...	...
३९	३	...	...	..	...	९०	१	...	...	..	...
६६	५	१	...	...	...	१४१	५	...	...	...	...
४०	९	२	...	...	...	११२	२	...	...	...	...
१४	१	...	...	...	...	४०	४	...	...	...	...
२९१	४४	५	...	...	...	६६१	१६	...	...	४	..
८७	३०	२	...	...	...	११९	८	...	...	३	...
४०	७	...	...	...	...	८०	३	...	...	...	...
३५	...	...	...	...	...	७१	६	...	...	...	...
४४	१	...	...	...	...	७५	३	...	...	...	...
३६	३	...	...	...	...	७०	४	...	...	...	...
५०	३	...	..	...	...	९२	४	...	...	...	...
२९५	४४	२	...	...	...	५८७	२८	...	...	३	...
८४	३५	३	..	...	...	२७७	१८	...	...	६	...
५६	...	...	..	...	...	८९	...	...	...	..	...
५२	५	...	..	...	...	८८	१	...	...	...	...
३८	३	...	..	...	...	६८	२	...	...	..	...
४४	२	...	...	...	...	६९	८	...	...	...	...
३७	१	...	...	...	...	६९	१	...	...	...	...
४२	१	...	...	...	...	६९	...	...	...	...	...

विवरण-

पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या	जिले	कान्स्टेबुलों की संख्या					
		पैदल		जल-सम्बन्धी		घुड़सवार	
१	२	१४		१५		१६	
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
१	मेरठ ...	१,२९९	४६	..	...	२०	...
२	बुलन्दशहर ...	७०५	१५	...	..	...	...
३	मुजफ्फरनगर ...	५६८	७	..	..	...	...
४	सहारनपुर ...	९४६	१८	..	...	...	...
५	देहरादून ...	६४५	११	....	...	....	...
६	टेहरी-गढ़वाल...	२१०	१८	....	...	...	...
	मेरठ रज का योग	४,३७६	११५	...	..	२०	...
७	वाराणसी ..	१,४१२	५२	..	...	१५	...
८	मिर्जापुर ..	५८०	२३	...	...	...	...
९	गाज़ीपुर ..	४२३	४३	...	...	...	...
१०	जौनपुर ..	४८०	२०	..	...	...	...
११	बलिया ..	४१८	३६	...	...	...	....
१२	आजमगढ़ ..	६०६	३७	....	...	...	...
	वाराणसी रेंज का योग	३,११९	२११	...	...	१५	...
१३	लखनऊ ...	१,७३७	८०	....	...	३०	...
१४	सीतापुर ...	६११	३	...	...	...	...
१५	हरदोई ...	६१०	६	....	..	...	...
१६	बाराबंकी ...	४२४	१७	....	...	...	...
१७	खीरी ...	४४२	४५	....	..	...	...
१८	रायबरेली ...	४२९	७	....	...	...	...
१९	उन्नाव ...	४३२	२	....	...	...	...

पत्र 'घ'—(असमाप्त)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, सन् १९५९ ई०

योग		कुल व्यय, जिसका भुगतान केन्द्रीय तथा प्रांतीय राजस्व से होता है	कुल व्यय, जिसका केन्द्रीय तथा प्रांतीय राजस्व को छोड़कर अन्य साधनों से होता है	बड़ा योग (कालम १७ और १८)	जिले का क्षेत्रफल वर्गमीलों में
१७		१८	१९	२०	२१
स्थायी	अस्थायी				
१,५९६	७५	६,९४,५४,८००	रिक्त	६,९४,५४,८००	२,३
८६५	१८				१,८
७०३	१३				१,६
१,१६७	२९				२,१
८०५	२२				१,१
२६७	२४				४,५
५,४०३	१८१				१३,७
१,७३०	९१				१,९
७०५	३४				४,३
५३४	५०				१,३
६०४	२५				१,५
५३३	४४				१,१८
७५५	४६				२,२१
४,८६१	२९०				१२,५९
२,१५०	१३४				९७
७६३	४				२,२०
७५७	१३				२,४१
५३६	२३				१,७२
५६०	५६				२,९७
५४१	१०				१,७६
५४८	४				१,७६

पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या	जिले	जिलों की जन-संख्या	जिलों की शहरी जन-संख्या	पुलिस थानों की संख्या	पुलिस चौकियों की संख्या
१	२	२२	२३	२४	२५
१	मेरठ ..	२२,८[illegible],२१७	४,११,६७६	२३	४४
२	बुलन्दशहर ..	१४,११,८८४	२,३३,४३६	१६	२७
३	मुजफ्फरनगर ..	१२,२१,७६८	२,०५,२१६	१३	१६
४	सहारनपुर ..	१३,५३,६३९	३,३७,५५१	१८	३४
५	देहरादून .	३,६२,००५	१,७१,५११	९	२८
६	टेहरी-गढ़वाल...	४,१२,०४७	७,१५०	४	५
	मेरठ क्षेत्र का योग	७१,३०,५५७	१४,५४,६२८	८३	१५४
७	वाराणसी ...	१९,७८,६३४	४,१५,५४७	२६	३६
८	मिर्जापुर ...	१,०१७,२८९	१,१४,२५५	११	८
९	गाजीपुर ...	११,४१,२७८	१,२५,००६	१३	१२
१०	जौनपुर ...	१५,१७,१७३	८४,१९१	१५	११
११	बलिया ...	११,९४,६५७	१,११,०४८	१२	११
१२	आजमगढ़ ...	२१,०२,४२३	१,०८,१३२	२१	१२
	वाराणसी क्षेत्र का योग	८९,५१,४५४	९,५८,१७९	१०६	९०
१३	लखनऊ ...	११,२८,१०१	५,२०,५२४	१६	४९
१४	सीतापुर ...	१३,८०,४७२	१,०४,२६२	१६	१२
१५	हरदोई ...	१३,६१,५६२	१,२२,६५२	१५	१७
१६	बाराबंकी ...	१२,६४,२०४	८३,०१९	१३	१०
१७	खीरी ...	१०,५८,३४३	७७,२६२	१४	७
१८	रायबरेली ...	११,५६,७०४	५०,४५३	१३	५
१९	उन्नाव ...	१०,६७,०५५	५६,५८१	१४	५

पत्र 'घ'—(असमाप्त)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, सन् १९५९ ई०

पुलिस का अनुपात		(विवरण-पत्र 'क' और 'कक' के भाग १ के स्तम्भ ७—१०) पुलिस द्वारा हस्तक्षेप योग्य अपराधों की कुल संख्या, जिनकी तफतीश की गई	पुलिस द्वारा हस्तक्षेप योग्य तफतीश किये गये अपराधों का पुलिस दल से अनुपात (स्तम्भ २७ ÷ १६)
क्षेत्रफल के विचार से	जन-संख्या के विचार से		
२६	२७	२८	२९
१.३९	११३५.६५	६,७०८	४.०१
२.१	१७१२.१	१,७८०	२.०१
२.२८	१७०८.७५	१,९३४	२.७०
१.७६	१२५७.२	२,७५२	२.३०
१.४३	४३७.०	१,७९५	२.१७
.०६४	.००७	८८	.३०
९.०२४	६२५०.७००७	१५,०५७	२.६९६
.९८	११२२.३	४,७२२	२.५९
५.८४	११९४.५	१,८५८	२.५१
.४०२	.०००४८	८२२	१.४०
२.४७	२४१२.०३	१,४६२	२.३२
१.४६	.००४८	८९३	१.५४
२.५	२६२४.५७	१,३१२	१.६३
१३.६५२	७३५३.४०५२८	११,०६९	२.१४८
.४३२	४९२.८६	९,२०८	४.०३
२.९३	१७९९.८	१,९२३	२.५३
३.०६	१८२५.०	१,७०६	२.२१
३.१	२२६१.५४	२,०३९	३.६४
४.९	१०३७.०	१,६८३	२.७३
.३०९	.०००४	१,४५५	२.६४
३.३	११७१.७	१,६८१	३.०४

पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या	जिले	इन्सपेक्टर जनरल तथा डिप्टी इन्सपेक्टर जनरलों की संख्या		पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टों की संख्या		असिस्टेंट पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टों की संख्या		डिप्टी पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टों की संख्या		इन्सपेक्टरों की संख्या	
१	२	३		४		५		६		७	
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
२०	प्रतापगढ़ ..	...	...	१	...	...	...	१	...	३	...
	लखनऊ क्षेत्र का योग	...	...	९	...	१	...	१२	७	३२	...
२१	कानपुर ..	...	....	३	..	१	...	६	१	८	१
२२	फतेहपुर ..	...	...	१	...	...	...	१	१	३	..
२३	इलाहाबाद ..	...	...	२	...	१	...	१०	१	८	...
२४	बांदा ...	...	...	१	...	...	...	१	१	४	...
२५	हमीरपुर ...	...	..	१	...	...	...	१	१	४	...
२६	जालौन ...	...	...	१	...	...	...	१	१	३	...
२७	झांसी ..	...	...	१	...	१	...	२	१	५	...
	कानपुर क्षेत्र का योग	...	...	१०	...	३	...	२२	७	३५	१
२८	बरेली ...	...	...	१	...	१	...	४	१	५	...
२९	बिजनौर ..	...	...	१	...	...	...	१	१	४	...
३०	पौड़ी-गढ़वाल ...	...	...	१	...	...	...	...	...	...	३
३१	बदायूं ...	...	...	१	...	...	...	२	१	४	...
३२	नैनीताल ...	...	...	१	...	१	...	१	२	४	१
३३	अल्मोड़ा ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	..
३४	मुरादाबाद ...	...	...	१	...	१	...	३	१	४	...
३५	पीलीभीत ...	...	...	१	...	...	...	१	...	३	...
३६	शाहजहांपुर ...	...	...	१	...	१	...	२	१	४	...
३७	रामपुर ..	...	...	१	...	१	...	१	१	४	...
	बरेली क्षेत्र का योग	...	...	९	...	५	...	१५	८	३२	४

पत्र 'घ'—(असमाप्त)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, सन् १९५९ ई०

सब-इंसपेक्टरों की संख्या		सार्जेन्टों (रिजर्व सब-इंसपेक्टर) की संख्या		असिस्टेंट सब-इंसपेक्टरों की संख्या		हेड कान्स्टेबुलों की संख्या					
						पैदल		जल-सम्बन्धी		घुड़सवार	
८		९		१०		११		१२		१३	
स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
३४	१	...	..	...	...	५८	...	...	...	...	...
३८७	४८	३	...	...	...	७८७	३०	...	...	६	...
१२५	५६	३	...	...	...	३११	४	...	...	५	...
३४	..	...	...	...	...	६५	१	...	...	...	...
१०४	२७	२	..	...	...	२१७	५	...	...	५	...
३८	१	...	...	...	...	८१	१	...	...	...	...
३६	१	...	...	...	...	८१	२	...	...	...	...
२६	१	...	...	...	...	७८	२	..	..	...	...
६६	९	१	...	...	...	१८४	४	...	...	...	...
४२९	९५	६	..	...	...	१०१७	१९	...	...	१०	...
५७	२०	१	...	...	...	१४९	४	...	...	...	...
३८	९	...	...	...	...	९२	...	...	...	...	...
१५	२	...	...	...	...	४०	४	...	...	...	...
५०	५	...	...	...	...	६४	३	...	...	...	...
४०	१२	१	...	..	...	१३३	२७	...	...	...	...
...	...	...	..	...	...	...	...	...	...	...	...
५१	...	१	...	...	...	१६४	...	...	...	...	...
२५	६	...	...	...	...	६१	३	...	...	...	...
५२	७	२	...	...	...	११६	२	...	...	...	...
३८	५	..	...	...	...	९७	८	...	...	...	...
३७४	७५	५	...	...	...	९४६	५१	...	...	...	...

पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या	जिले	कान्स्टेबुलों की संख्या					
		पैदल		जल-सम्बन्धी		घुड़सवार	
१	२	१४		१५		१६	
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
२०	प्रतापगढ़ ...	३४८	१४	...	...	...	...
	लखनऊ क्षेत्र का योग	५,०२६	१७४	...	...	३०	...
२१	कानपुर ...	२,२१०	४८	...	...	२५	...
२२	फतेहपुर ...	४०७	११	...	...	...	...
२३	इलाहाबाद ...	१,५२१	५६	...	...	२५	...
२४	बांदा ..	५२७	७	...	...	...	...
२५	हमीरपुर ...	५१२	१६	...	...	...	...
२६	जालौन ...	४५३	७	...	...	...	...
२७	झांसी	१,१६५	११	...	...	...	...
	कानपुर क्षेत्र का योग	६,७९५	१५६	...	...	५०	...
२८	बरेली ...	९९३	२५	...	...	...	...
२९	बिजनौर ...	६५२	२	...	...	...	...
३०	पौड़ी-गढ़वाल	२२८	१६	...	...	...	...
३१	बदायूं ...	६६९	८	...	...	...	...
३२	नैनीताल ...	७५३	१९६	...	...	...	...
३३	अल्मोड़ा ...	...	...	...	...	...	...
३४	मुरादाबाद ...	१,१४८	१५	...	...	...	...
३५	पीलीभीत ...	३६९	१०	...	...	...	...
३६	शाहजहांपुर ...	७६६	४	...	...	...	...
३७	रामपुर ...	५४७	६५	...	...	...	...
	बरेली क्षेत्र का योग	६,१२५	३४१	...	...	...	...

पत्र 'घ'—(असमाप्त)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, सन् १९५९ ई०

योग		कुल व्यय, जिसका भुगतान केन्द्रीय तथा प्रांतीय राजस्व से होता है	कुल व्यय, जिसका केन्द्रीय तथा प्रांतीय राजस्व को छोड़कर, अन्य साधनों से होता है	बड़ा योग (का० स्तम्भ १७ और १८)	जिले का क्षेत्रफल वर्गमीलों में
१७		१८	१९	२०	२१
स्थायी	अस्थायी				
४३८	१५				१,४५७
६,२९३	२५९				१५,२७९
२,६९७	१०				२,३७२
५११	१३				१,६२१
१,८९५	८९				२,७९५
६५२	१०				२,९६५
६३५	२०				२,७४४
५६२	११				१,७६२
१,४२५	२५				३,९०५
८,३७७	२७८	रु० ६,१४,५४,८००	रिक्त	रु० ६,१४,५४,८००	१८,१६४
१,२११	५०				१,५११
७८८	१२				१,८६७
२८४	२५				५,६२१
८२०	१७				१,११६
९३४	२३८				२,६३२
...	...				५,४९५
१,३८१	२५				२,२८९
४६०	११				१,३५३
९४४	१४				१,७०१
६८९	७६				९००
७,५११	४७९				२५,४६१

पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या	जिले	जिलों की जन-संख्या	जिलों की शहरी जन-संख्या	पुलिस थानों की संख्या	पुलिस चौकियों की संख्या
१	२	२२	२३	२४	२५
२०	प्रतापगढ़ ...	११,१०,७३४	२६,४१७	११	४
	लखनऊ क्षेत्र का योग	९५,२७,१७५	१०,४१,२५०	११२	१०९
२१	कानपुर ..	१९,३९,८६७	७,१९,३८५	२९	४४
२२	फतेहपुर ..	९,०८,९८५	४७,६३७	१३	५
२३	इलाहाबाद ...	२०,४८,२५०	३,६६,१२७	३०	३२
२४	बांदा ..	७,९०,२४७	५८,८०२	१९	११
२५	हमीरपुर ..	६,६५,४२९	७४,६९८	१९	८
२६	जालौन ..	५,५५,२३९	८८,४४२	११	२१
२७	झांसी ...	८,७७,६०७	२,१३,२५२	३०	४३
	कानपुर क्षेत्र का योग	७७,८५,६२४	१५,६८,३४३	१५१	१६४
२८	बरेली ...	१२,६१,२३३	२,८०,२४७	२०	१८
२९	बिजनौर ...	९,८४,१९६	२,३६,६६१	१७	१३
३०	गढ़वाल (पौड़ी)	६,३९,६२५	१७,९४३	८	११
३१	बदायूं ...	१२,५४,१५२	१,४५,३४४	१६	१९
३२	नैनीताल ...	३,३५,४१४	७३,९९९	१५	३०
३३	अल्मोड़ा ...	७,७२,८९६	२३,५३८	..	...
३४	मुरादाबाद ...	१६,६०,९५५	३,९६,३६०	१९	३३
३५	पीलीभीत ...	५,०४,४२८	७५,१३९	९	६
३६	शाहजहांपुर ...	१०,०४,३७८	१,५०,४००	१७	२१
३७	रामपुर ...	५,४३,३२४	१,७४,३४२	११	१७
	बरेली क्षेत्र का योग	८९,६८,६०१	१५,७३,९७३	१३२	१७२

पत्र 'घ'—(असमाप्त)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, सन् १९५९ ई०

पुलिस का अनुपात		(विवरण-पत्र 'क' और 'कक' के भाग १ के स्तम्भ ७—१०) पुलिस द्वारा हस्तक्षेप योग्य अपराधों की कुल संख्या, जिनकी तफतीश की गई	पुलिस द्वारा हस्तक्षेप योग्य तफतीश किये गये अपराधों का पुलिस दल से अनुपात (स्तम्भ २७/२६)
क्षेत्रफल के विचार से	जन-संख्या के विचार से		
२६	२७	२८	२९
३१.३	.०४	१,३९०	३.०७
४९.३३१	१०८७.९४०४	२१,०८५	२.३८२
.८४	६९०.७५	७,९६७	.७०
३.१३	१७३४.७	१.३२५	२.५२
१.४३	१०३५.०	४,२३२	२.१३
४.४२	१०८४.०	८५४	१.२९
४.३९	१०२८.५	१,०९८	१.७०
३.०३	६६६.०	७७४	१.३१
२.४९	६०६.०८२	१,३५७	.०९३
१९.७७	६८४८.०३२	१७,६०७	२.४९६
१.२३०७	१००६.९८४	५,०५३	४.००७
२.३१	१२४२.६३	१,१६१	१.४५
२०.९४	२३८६.६६	२६७	.८६
२.४	१४९४.८	२,५५१	३.०४
७.५	१०४८.०६	१,२११	१.०३
...	...	...	...
१.६४	११८२.९	३,६३६	२.५८
२.९	११०८.८	६८१	१.४२
१.८४	१०४८.४१	२,१३३	२.२२
१.२५	७४४.०८	१,२०२	१.५६
४२.०४०७	११२६३.३६४	१७,८२५	२.२३१

विवरण-

पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या	जिले	इन्सपेक्टर जनरल तथा डिप्टी इन्स-पेक्टर जनरलों की संख्या		पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टों की संख्या		सहायक पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टों की संख्या		उप पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टों की संख्या		इंसपेक्टरों की संख्या	
१	२	३		४		५		६		७	
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
३८	आगरा ..	..	..	२	..	२	...	६	१	७	१
३९	मथुरा ..	..	..	१	..	...	...	२	१	४	...
४०	एटा ..	..	..	१	..	...	...	२	१	४	...
४१	अलीगढ़ ...	..	..	१	..	...	...	३	१	६	...
४२	मैनपुरी ..	..	..	१	..	...	...	१	१	४	...
४३	इटावा ..	..	..	१	..	...	...	२	१	४	...
४४	फतेहगढ़ ..	..	..	१	..	...	...	२	१	४	...
	आगरा क्षेत्र का योग	..	..	८	..	२	...	१८	७	३३	१
४५	गोरखपुर ...	..	..	१	..	१	...	१	१	५	...
४६	बस्ती ...	..	..	१	..	...	...	१	२	४	१
४७	गोंडा ...	..	..	१	..	...	...	१	१	४	...
४८	बहराइच ...	..	..	१	..	...	...	१	१	४	...
४९	देवरिया ...	..	..	१	...	...	...	२	१	४	...
५०	फैजाबाद ...	..	...	१	..	१	...	१	१	४	...
५१	सुल्तानपुर ..	..	..	१	..	...	..	१	१	३	...
	गोरखपुर क्षेत्र का योग	..	..	७	..	२	...	८	८	२८	१
	उत्तर प्रदेश का योग	...	..	५७	...	१६	...	९५	४८	२०९	९
५२	पुलिस मुख्यालय	७	३	२	...	...	१	२	..	..	...
५३	सी० आई० डी०	१	१	४	४	१	...	२६	१८	४७	१४
५४	पी० टी० सी०	..	१	..	..	५	...	१०	..	९	२
५५	जी० आर० पी०	..	...	१	..	...	...	५	...	७	...

पत्र 'घ'—(असमाप्त)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, सन् १९५९ ई०

सब-इंसपेक्टरों की संख्या		सार्जेन्टों (रिजर्व सब-इंसपेक्टर) की संख्या		असिस्टेंट सब-इंसपेक्टरों की संख्या		हेड कान्स्टेबुलों की संख्या					
						पैदल		जल—सम्बन्धी		घुड़सवार	
८		९		१०		११		१२		१३	
स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
८७	३७	२	..	...	..	१९४	९	...	...	४	...
४१	१	...	..	..	..	१०१	१	...	...	...	...
४२	३	...	..	...	...	८२	२	...	...	...	...
६१	४	..	...	...	...	१३९	२	...	...	...	...
३६	१	...	..	...	...	७६	...	...	...	...	...
४३	६	...	...	...	...	८१	२	...	...	...	...
४९	१०	१	...	..	...	९०	..	...	...	...	...
३५९	६२	३	...	...	...	७६३	१६	...	...	४	...
५४	४	[illegible]	...	...	...	११०	७	...	...	...	...
५०	८	..	..	..	...	८२	१२	...	...	...	...
४५	४	१	...	...	...	९२	४	...	...	...	...
३९	७	...	...	..	...	७४	९	...	...	...	...
३९	२	..	...	...	...	७३	४	...	...	...	...
४१	७	१	..	...	...	१०४	५	...	...	३	...
३६	...	...	...	...	...	५६	२	...	...	...	...
३०४	४२	३	...	...	...	५९१	४३	...	...	३	...
२,४३९	४१०	२७	...	...	...	५,३५२	२ ३	..	...	३०	..
...	...	...	...	...	...	५	१	...	...	...	...
३४	९	...	...	...	...	२५	...	...	...	...	...
११	२	१				२०	४	..		३	१
७४	१९	७	...	...	...	१६३	५५	...	...	...	..

पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या	जिले	कान्स्टेबुलों की संख्या					
		पैदल		जल-सम्बन्धी		घुड़सवार	
१	२	१४		१५		१६	
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
३८	आगरा ...	१,४२७	६७	...	...	२०	...
३९	मथुरा ...	६५६	६	...	...	...	...
४०	एटा ..	५२६	१४	...	...	...	...
४१	अलीगढ़ ..	९१०	१८	...	...	...	...
४२	मैनपुरी ...	४९०	४	...	...	...	...
४३	इटावा ...	५[illegible]२	१५	...	...	...	...
४४	फतेहगढ़ ...	६२५	...	...	...	...	...
	आगरा क्षेत्र का योग	५,१९६	१३१	...	...	२०	...
४५	गोरखपुर ..	७७५	५१	...	...	...	...
४६	बस्ती ..	५९६	८६	...	...	..	...
४७	गोंडा ...	५८७	३०	...	...	...	...
४८	बहराइच ...	५०५	४६	...	...	...	...
४९	देवरिया ..	४८६	२[illegible]	...	...	...	...
५०	फैजाबाद ...	६६२	३१	...	...	१५	...
५१	सुल्तानपुर ...	३४६	१२	...	...	...	...
	गोरखपुर क्षेत्र का योग	३,९५७	२८२	...	...	१५	...
	उत्तर प्रदेश का योग	३५,३९४	१,४१०	...	...	१५०	...
५२	पुलिस मुख्यालय	१८	४	...	...	...	...
५३	सी० आई० डी०	५७	१४	...	...	...	...
५४	पी० टी० सी०	४	...	...	...	१	...
५५	जी० आर० पी०	१,२०५	४६६	...	...	...	...

पत्र 'घ'—(असमाप्त)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, सन् १९५९ ई०

योग		कुल व्यय, जिसका भुगतान केन्द्रीय तथा प्रांतीय राजस्व से होता है	कुल व्यय, जिसका केन्द्रीय तथा प्रांतीय राजस्व को छोड़कर, अन्य साधनों से होता है	बड़ा योग (कालम १७ और १८)	जिले का क्षेत्रफल वर्गमीलों में
१७		१८	१९	२०	२१
स्थायी	अस्थायी				
१,७५१	१५	रु० ६,९४,५६,८००	रिक्त	रु० ६,९४,५४,८००	१,८६०
८०५	९				१,४६७
६५७	२०				१,७१५
१,१२०	२५				१,९४०
६०८	६				१,६८०
६९३	२४				१,६७०
७७२	१८				१,६०७
६,४०६	२१७				११,९३९
९४८	७३				२,४३७
७३४	१०९				२,८२२
७३१	३१				२,८२६
६२४	६३				२,६५४
६०५	३३				२,०८७
८३३	४४				१,७१०
४४३	१५				१,६९९
४,९१८	३[illegible]६				१६,२३५
४३,७६९	२,०८०	६,९४,५४,८००		६,९४,५४,८००	१,१३,४०९
३४	९	९,१०,२००		९,१०,२००	..
१९५	६०	५५,६६,२००		५५,६६,२००	...
६४	१०	४,[illegible]१,४००		४,११,४००	..
१,४७२	५४७	२६,४२,१००		२६,४२,१००	..

पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या	जिले	जिलों की जन-संख्या	जिलों की शहरी जन-संख्या	पुलिस थानों की संख्या	पुलिस चौकियों की संख्या
१	२	२२	२३	२४	२५
३८	आगरा ..	१५,०१,३११	४,१७,८६२	२६	४१
३९	मथुरा ...	९,१२,२६४	१,८४,६७२	१६	१८
४०	एटा ..	११,२४,३५१	१,३८,३४५	१५	९
४१	अलीगढ़ ..	१५,४३,५०६	२,८९,५१८	१८	१८
४२	मैनपुरी ..	९,९३,८९०	७५,२७४	१३	६
४३	इटावा ..	९,७०,६९५	१,०१,१०१	१८	१०
४४	फतेहगढ़ ..	१०,९२,६४१	१,३९,८६५	१५	१४
	आगरा क्षेत्र का योग	८१,३८,७३८	१४,२६,६३७	१२१	११६
४५	गोरखपुर ...	२२,३८,५८८	१,६६,६२८	२०	१६
४६	बस्ती ..	२३,८७,६०३	४५,६७०	१२	९
४७	गोंडा ...	१८,७७,४८४	९१,६८०	१७	१२
४८	बहराइच ...	१३,४३,३३५	७१,५९९	१५	८
४९	देवरिया ...	२१,०२,६२७	७२,८३०	१७	९
५०	फैजाबाद ...	१४,८१,७९६	१,३६,७८६	१५	२२
५१	सुल्तानपुर ...	१२,८२,१६०	१७,४९४	१३	१
	गोरखपुर क्षेत्र का योग	१,२७,१३,५९३	६,०२,६८९	११९	७७
	उत्तर प्रदेश का योग	६,३२,१५,७४२	८६,२५,६९९	८२४	८८२
५२	पुलिस मुख्यालय	...	...	...	...
५३	सा० आई० डी०	..	...	...	..
५४	पी० टी० सी०	...	..	..	..
५५	पी० आर० पी०	...	...	४०	४९

पत्र 'घ'—(असमाप्त)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, सन् १९५९ ई०

पुलिस का अनुपात		(विवरण—पत्र 'क' और 'कक' के भाग १ के स्तम्भ ७—१०) पुलिस द्वारा हस्तक्षेप योग्य अपराधों की कुल संख्या जिनकी तफतीश की गई	पुलिस द्वारा हस्तक्षेप योग्य तफतीश किये गये अपराधों का पुलिस बल से अनुपात (स्तम्भ २७/२९)
क्षेत्रफल के विचार से	जन-संख्या के विचार से		
२६	२७	२८	२९
.९१	७३३.८७	४,७४६	२.५४
१.८	११११६.०८	१,९७५	२.४५
३.०२४	१८४५.८३	२,१०२	३.१४
१.७०	१३४६.८६	२,७७६	२.४२
२.७	१६११८.०	१,४२७	२.३२
४२.४५	.७६	१,९७७	२.७५
२.०	१,४००	३,००८	३.८०
५४.६६४	८०६१.४०	१८,०[illegible]१	२.७११
.४०८	.०००४	२,१८५	२.१४
३.४	२८४२.४	१,०८८	१.२८
३.७	२४३८.५	१,६८४	२.१८
३.७	१८२०.१	१,६६४	२.४२
३.२६	३२१४.६	९३०	१.४५
१.९४	१६११.५४	१,५१८	१.७३
.२६	२४०२.५५	१,२७३	२.७८
१६.६६८	१४४८९.६६०४	१०,३४२	१.९५३
२०५.१४९७	६४३५४.५३२७८	१,११,०६६	२.४२२
.	.	..	..
.	..	..	.
..	....	....	..
.	...	३,४८२	१.७२

विवरण

पुलिस के कर्मचारियों का

क्रम-संख्या	जिले	इन्सपेक्टर जनरल तथा डिप्टी इन्सपेक्टर जनरलों की संख्या		पुलिस सुपरिन्टेंडेन्टों की संख्या		सहायक पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टों की संख्या		उप पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्टों की संख्या		इंसपेक्टरों की संख्या	
१	२	३		४		५		६		७	
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
५६	ए० टी० सी०	...	..	...	...	..	..	...	..	१	...
५७	पी० ए० सी०	१	...	७	५	१	...	२३	१९	६०	४२
५८	रेडियो सेक्शन	..	...	१	...	...	...	३	..	२	८
५९	सेन्ट्रल स्टोर्स	..	..	...	...	...	...	..	...	१	...
६०	फायर सर्विसेस	..	..	..	...	...	...	२	...	१२	...
	योग ..	६	५	१५	६	७	१	७१	३७	१३६	६६
	वृहत् योग ...	९	५	७२	६	२३	१	१६६	८५	३४८	७५

उपरोक्त विवरण—पत्र में निम्नलिखित

क्रम-संख्या	जिला यूनिट			आई० जी० और डी० आई० जी०	
				स्थायी	अस्थायी
१	डेपुटेशन	...	..	१	...
२	छुट्टी	..	...	१	...
३	सेन्ट्रल पी० टी० सी० माउन्ट आबू		...	...	...
४	एम० टी० सेक्शन	..	...	...	...
५	प्रोज्यूक्शन ब्रान्च	...	...	...	....
६	अर्ध कुम्भ मेला	..	...	...	...
७	रिक्त स्थान	...	...	..	...
	योग		..	२	..

पत्र 'च'—(असमाप्त)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, सन् १९५९ ई०

सब-इंसपेक्टरों की संख्या		सार्जेन्टों (रिजर्व सब-इंसपेक्टर) की संख्या		असिस्टेन्ट सब-इंसपेक्टरों की संख्या		हेड कान्स्टेबुलों की संख्या					
						पैदल		जल-सम्बन्धी		घुड़सवार	
८		९		१०		११		१२		१३	
स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
६	...	...	..	..	..	१९	...	..	..	...	...
१८७	१२८	..	..	..	...	१,१६७	८०२	..	..	...	...
५९	८४	..	...	..	..	३८६	...	..	..	...	...
३	१	...	..	..	..	६०	..	..	..	...	...
७	...	..	..	..	..	३५	..	..	..	...	...
३८१	२४३	८	...	१०	७	१,८८०	८६२	..	...	३	१
२,८२०	६५३	३५	..	१०	७	७,२३२	१,०६५	...	..	३३	१

गजटेड पदाधिकारी सम्मिलित नहीं हैं—

सुपरिन्टेन्डेन्ट		असि० सुपरिन्टेन्डेन्ट		डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट		योग	
स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
१९	...	१	..	३६	...	५७	...
१	..	...	...	६	...	८	..
..	...	...	..	...	...	...	...
...	...	...	...	..	१	...	१
..	...	...	..	७	५	७	५
..	२	...	१	...	...	...	३
..	..	..	...	..	...	...	...
२०	२	१	१	४९	६	७२	९

विवरण-

पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या	जिले	कान्स्टेबुलों की संख्या					
		पैदल		जल-सम्बन्धी		घुड़सवार	
१	२	१४		१५		१६	
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
५६	ए० टी० सी०	२	...	..	...	...	...
५७	पी० ए० सी०	५,३२८	३,६११	..	...	...	...
५८	रेडियो सेक्शन	३४६	६७	...	...	...	...
५९	सेन्ट्रल स्टोर्स,	३९	...	..	...	...	..
६०	फायर सर्विस	११२	..	...	...	...	...
	योग ...	७,११४	४,१६२	...	...	१	...
	वृहत् योग, ...	४२,५०८	५,५७२	...	...	१५१	...

उपरोक्त विवरण-पत्र में निम्नलिखित एम० टी० कर्मचारी सम्मिलित नहीं हैं--

नियुक्ति के प्रकार	इन्सपेक्टर	सब-इन्सपेक्टर	हेड कान्स०	कान्स्टेबिल
स्थायी	१	२	८३	३८८
अस्थायी	...	...	..	५८
योग	१	२	८३	४४६

पत्र 'घ'—(असमाप्त)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, सन् १९५१ ई०

योग		कुल व्यय, जिसका भुगतान केन्द्रीय तथा प्रान्तीय राजस्व से होता है	कुल व्यय, जिसका केन्द्रीय तथा प्रान्तीय राजस्व को छोड़कर, अन्य साधनों से होता है	बड़ा योग (स्तम्भ १७ तथा १८)	जिले का क्षेत्रफल वर्गमीलों में
१७		१८	१९	२०	२१
स्थायी	अस्थायी				
२८	...	६९,१००	रिक्त	६९,१००	..
६,७७४	४,६०७	१,५७,५७,०००		१,५७,५७,०००	...
८००	१५९	१९,१४,५००		१९,१४,५००	..
१०३	१	Included in Item ५६		..	..
१६८	...	१०,९४,४००		१०,९४,४००	...
९,६३८	५,३९२	२,८३,६४,९००		२,८३,६४,९००	....
५३,४०७	७,४७३	९,७८,१९,७००		९,७८,१९,७००	१,१३,४०९

उपरोक्त विवरण-पत्र में निम्नलिखित एल० आई० यू० कर्मचारी सम्मिलित हैं—

नियुक्ति के प्रकार	इन्सपेक्टर	सब-इन्स्पेक्टर	हेड कान्स०	कान्सटेबिल
स्थायी	१३	१३७	२२०	३५६
अस्थायी	१	२२	४४	२३४
बृहत् योग	१४	१५९	२६४	५९०

विवरण

पुलिस के कर्मचारियों की

क्रम-संख्या	जिले	जिलों की जन-संख्या	जिलों की शहरी जन-संख्या	पुलिस थानों की संख्या	पुलिस चौकियों की संख्या
१	२	२२	२३	२४	२५
५६	ए० टी० सी०	...	...	..	..
५७	पी० ए० सी०	...	...	...	...
५८	रेडियो सेक्शन	...	...	..	..
५९	सेन्ट्रल स्टोर्स,	...	...	..	..
६०	फायर सर्विस	...	...	..	...
	योग ..	...	...	४०	४१
	वृहत योग	६,३२,१५,७४२	८६,२५,६९९	८६४	९३१

पत्र 'घ'—(समाप्त)

संख्या और उन पर होने वाला व्यय, सन् १९५९ ई०

पुलिस का अनुपात		(विवरण-पत्र 'क' और 'कक' के भाग १ के स्तम्भ ७—१०) पुलिस द्वारा हस्तक्षेप योग्य अपराधों की कुल संख्या जिनकी तफतीश की गई	पुलिस द्वारा हस्तक्षेप योग्य तफतीश किये गये अपराधों का पुलिस दल से अनुपात (स्तम्भ २७/२९)
क्षेत्रफल के विचार से	जन-संख्या के विचार से		
२६	२७	२८	२९
...	..	..	...
...	...	...	..
.	..	...	...
..	..	..	...
..	..	...	...
...	...	३,४८२	..
२०५·१४९७	६४३५४.५३२७०	११४५·४८	१·८८०३

टिप्पणी—आर० पी० पी० कम्पनियां जो १०-१-६० से तोड़ (disleended) दी गई हैं, के सम्बन्ध में किया गया व्यय, उपरोक्त विवरण-पत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। इन दो कम्पनियों का अनुमानित व्यय (anticipated) सन् १९५९-६० वर्षान्तर्गत २,९६,२०० रुपये है।

यू० पी० पुलिस सेन्ट्रल स्टोर्स का व्यय पी० ए० सी० के व्यय में ही सम्मिलित कर दिया गया है। इस यूनिट के व्यय का कोई ब्योरा अलग से नहीं रखा जाता।

विवरण-

विवरण, जिसमें १९५९ ई० में पुलिस दल की सज्जा,

क्रम-संख्या	जिले	स्वीकृत				वास्तविक	
		अधिकारी		पुलिसमैन		अधिकारी	
१	२	३		४		५	
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
१	मेरठ ..	९५	२४	१,४९४	५०	९४	२४
२	बुलन्दशहर ..	४९	२	८१२	१५	४९	१
३	मुजफ्फरनगर ..	४२	४	६५८	८	४३	४
४	सहारनपुर ..	७३	५	१,०९०	२३	६७	३
५	देहरादून ..	४५	९	७५७	१३	४५	९
६	टेहरी-गढ़वाल	१६	२	२५०	२२	१५	२
	मेरठ रेंज का योग	३२०	४६	५,०६१	१३१	३१३	४३
७	वाराणसी ...	९५	३०	१,६२९	६०	९५	३०
८	मिर्जापुर ...	४४	७	६६०	२६	४४	७
९	गाजीपुर ...	३८	...	४९४	४९	३८	..
१०	जौनपुर ...	४७	१	५५५	२३	४७	१
११	आजमगढ़ ..	५५	३	६९८	४१	५५	३
१२	बलिया ...	४३	३	४८८	४०	४३	३
	वाराणसी रेंजका योग	३२२	४४	४,५२४	२३९	३२२	४४
१३	लखनऊ ...	९४	३५	२,१५०	९८	९४	३४
१४	सीतापुर ..	६०	...	७००	३	६०	...
१५	हरदोई ..	५६	५	६९८	७	५६	५
१६	बाराबंकी ...	४२	३	४९२	१९	३८	३
१७	खीरी ...	४७	२	५११	५३	४६	२
१८	रायबरेली ...	४१	१	४९८	८	४१	१

पत्र 'ङ'

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है

पुलिसमैन		दल और अस्त्र						
		ब्रेन गन	स्टेन गन (सी० एम० टी०)	रायफिल		चिकनी सतह वाली बोर की संख्या	रिवाल्वरों की संख्या	वेरी लाइट पिस्तौल
				·२२ बोर	·३०३ बोर			
६		७	८	९-अ	९-ब	१०	११	१२
स्थायी	अस्थायी							
१,४९४	३०	...	८	१८९	..	७०८	७२	२७
८०१	१५	...	६	१४८	...	३७४	४३	२०
६४७	८	...	६	१४३	..	३१९	४०	१७
१,०८०	१७	...	८	१५९	...	४६०	६१	२१
७४४	१३	...	६	१५०	..	३३१	३०	१३
२४६	२२	...	४	१२६	..	१५२	१२	८
५,०१२	१०५	...	३८	९१५	..	२,३४४	२५८	१०६
१,६२९	५३	...	८	२१०	...	४६३	११२	३०
६६०	२६	...	६	१३७	..	३३८	४१	२३
४९४	४९	...	४	१३३	...	२७१	३१	१७
५४६	२३	...	४	१३८	..	३१३	३८	१९
६९८	३७	...	६	१४१	...	३७३	४४	२५
४८८	४०	...	४	१३८	२	२९२	३६	१८
४,५१५	२२८	..	३२	८९७	२	२,०५९	३०२	१३२
२,०५०	३६	...	८	१७९	...	१,०१८	९०	१९
६९७	...	...	६	१४५	...	३५६	४९	२०
६९१	...	...	६	१४४	...	३४९	४४	१९
४८५	१९	...	४	१३६	...	२८३	३७	१७
५११	४४	...	४	१४५	...	३२४	३९	१८
४९५	८	...	४	११३	...	३०८	३३	१७

विवरण-

विवरण, जिसमें १९५९ ई० में पुलिस दल को सज्जा,

क्रम-संख्या	जिले	दण्ड							
		बरखास्त किये गये		बरखास्त से भिन्न अन्य रूप में विभाग द्वारा दंडित किये गये		पुलिस ऐक्ट के अधीन		भारतीय दण्ड विधान की धाराएं ३३०, ३३१, ३४२	
		अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन
१	२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
१	मेरठ ..	...	८	६६	६२	...	...	...	...
२	बुलन्दशहर ..	...	१४	८	१६	...	...	...	...
३	मुजफ्फरनगर ..	...	३	३	९	...	...	...	...
४	सहारनपुर ..	...	१	१३	८७	...	...	...	..
५	देहरादून .	...	३	२०	२५	...	...	...	...
६	टेहरी-गढ़वाल	...	१	२	१	...	...	...	...
	मेरठ रेंज का योग	...	३०	११२	२००	...	...	...	...
७	वाराणसी ...	...	२	४	१२	...	...	...	...
८	मिर्जापुर ..	...	३	१	६	...	...	...	...
९	गाजीपुर ..	...	२	२	२	...	...	...	...
१०	जौनपुर ..	...	३	२	५	...	...	...	...
११	आज़मगढ़ ...	...	२	२	९	...	१	...	...
१२	बलिया ...	...	...	१	३	...	...	...	...
	वाराणसी रेंज का योग	...	१२	१२	३७	...	१	...	...
१३	लखनऊ ...	...	७०	७	१०	..	..	...	...
१४	सीतापुर ...	...	७	६	२१	...	...	...	...
१५	हरदोई ...	...	८	१३	४१	...	...	...	...
१६	बाराबंकी ...	...	५	१	६	...	...	...	...
१७	खीरी ...	...	३	३	२५	..	...	...	...
१८	रायबरेली ..	.	३	३	१५	...	...	...	..

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है

भारतीय दण्ड विधान के अध्याय ९ के अधीन		अन्य अपराध		पुरस्कार				शिक्षा
अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	पदोन्नति देकर	अच्छे आचरण के फीते या धन देकर	वीरता का पदक देकर	असाधारण कार्य के पदक देकर	उन आदमियों की संख्या, जो पढ़ लिख नहीं सकते
२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९
..	..	..	१	..	५३८	...	...	८७
..	...	..	२	..	१,०६३	...	...	...
..	...	..	१	..	१४२	...	...	१२
..	..	...	..	..	१८८	...	..	७०
..	...	..	..	..	३३४	...	...	...
..	...	..	..	..	६९	...	...	...
..	...	...	४	..	३,१३५	...	...	१६९
..	...	..	..	..	१,०६८	..	..	८३
..	..	..	..	..	१०१	...	...	...
..	...	...	..	..	१०६	...	..	...
...	...	..	..	..	१७०	...	...	...
..	...	..	...	..	२२२	..	...	...
..	...	..	१	..	२२५	...	..	२
..	...	..	१	..	१,९६२	...	..	८५
..	...	..	२	..	१,०२५	...	...	२
..	...	..	..	..	२८७	..	...	४६
..	..	..	३	..	२४७	...	...	...
..	...	..	..	..	२१२	...	...	६
..	...	...	..	..	१५१	...	...	२२
..	...	..	..	...	१७५	...	..	...

विवरण, जिसमें १९५९ ई० में पुलिस दल की सज्जा,

क्रम-संख्या	जिले	कांसटेबिलों की संख्या					कांसटेबिलों की संख्या जो दल			
		वर्ष में भर्ती किये गये	१ से ३ साल की नौकरी वाले	३ से १० साल की नौकरी वाले	१० से १७ साल की नौकरी वाले	१७ साल से ऊपर नौकरी वाले	पेन्शन या ग्रेच्युटी प्राप्त करके	बिना किसी पेन्शन पाए ही त्याग-पत्र देकर	बर्खास्तगी द्वारा	पिछले स्तंभों में दी गई बातों के अतिरिक्त तरीके से दल से अलग किये जाने के कारण
१	२	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८
१	मेरठ ...	१६	११९	६४३	३९७	१७०	२२	७	९	२
२	बुलन्दशहर ...	३०	१४९	८५	२७५	१७०	६	८	१४	..
३	मुजफ्फ़रनगर ...	१०	२२	१६४	२२७	१४१	१	६	३	४
४	सहारनपुर ..	१५	३३	३४०	२३५	३३१	५	६	१	१
५	देहरादून ...	१९	११६	२९५	१७१	४२	३	७	३	१
६	टेहरी-गढ़वाल	६	१३	५७	१११	३२	१	१	१	१
	मेरठ रेंज का योग	९६	४५२	१,५८४	१,४२४	८८६	३८	३५	३१	९
७	वाराणसी ...	१८	५५	२५८	७३५	४०६	६	...	२	५
८	मिर्जापुर ...	१२	२९	२३४	२००	१२८	७	..	१	१
९	गाजीपुर ...	९	१८	१५७	१७८	१०४	३	१	२	..
१०	जौनपुर ...	१३	११	९७	२३०	१४०	७	१	३	१
११	आजमगढ़ ..	११	७७	३२२	१३१	९८	४	२	२	..
१२	बलिया ...	५	१०	१५४	१६०	१२५	६	१	१	..
	वाराणसी रेंज का योग	६८	२००	१,२२२	१,६३४	१,००१	३३	५	११	७
१३	लखनऊ ..	३९	२०५	४११	८२९	३०८	१२	१०	७२	...
१४	सीतापुर ..	२४	२	१७५	२३८	१६१	५	...	६	...
१५	हरदोई ..	९	४६	३५७	१६०	३०	३	३	११	..
१६	बाराबंकी ..	८	४	१२१	१८६	११५	१	...	५	..
१७	खीरी ..	१४	३०	१५५	१९५	८४	३	३	३	...
१८	रायबरेली ..	८	२	१८६	१६६	७१	१	...	३	..

पत्र 'ङ'—(असमाप्त)

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है

छोड़कर चले गये		कुल संख्या से प्रतिशत			अस्पतालों में भर्ती किये गए अधिकारियों और पुलिसमैनों की संख्या	समस्त बीमार व्यक्तियों की संख्या जो अस्पताल गए या नहीं गए	रिक्त स्थान		कांस्टेबिलों की संख्या	विशेष विवरण
नौकरी छोड़ कर भाग जाने से	मृत्यु हो जाने के कारण	अस्पतालों में भर्ती किये गये व्यक्ति	बीमारी के कारण काम से गैरहाजिर रहने वाले व्यक्तियों की दैनिक औसत संख्या	मृत्यु			अधिकारी	पुलिसमैन		
३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९
..	३	५७·२८	·१५	·१८	५२९	८७३	१	२०	...	
..	१	२५१·००	...	...	२५१	६,११८	१	११	...	१ सब-इन्सपेक्टर अधिक
..	१	२९·१६	१·१९	·१४	१९१	२,८४५	...	११	...	
..	५	३४.८	१·०३	·४२	३८६	४,१७९	८	१६	...	
...	२	४२४.४	१·१६	·२६	१९०	३,०२४	...	१३	...	
..	...	४६·३	०·१६	...	१२४	१५७	१	४	...	
..	१२	...	...	...	१,६७१	१७,१९६	११	७५	...	
..	१	२१८·५	१·१	·०६	३,५६२	६,८६१	...	७	...	
..	३	१९·३	०·०५	·४६	१३०	१,५१२	...	...	...	
..	...	५९९·०२	१·५३	..	२०९	२,९२०	...	...	...	
...	२	३०.५८	१·०३	·३५	१७४	२,१६०	...	९	...	
..	२	४५·७१	·१२५	·३२	२०९	३३६	...	४	...	
..	..	४३·६४	१·१८	...	२३०	२,३२८	...	...	...	
..	८	...	...	...	४,५१४	१६,०१७	...	२०	...	
...	५	६२५·४	१८.०७	·२४	१३,०४६	१३,७८०	१	६२	...	
१	२	२७·६१	२·०६	·२६	१९३	५,२७१	...	६	...	
..	३	२५.०४	१·६	.४३	१७३	४,२८९	...	१४	...	
१	१	१९२·०	२·२८	·२	९६८	३,२१९	४	७	...	
..	३	३९·०	०·४२	·५	२२१	८६७	१	९	...	
..	..	२२·५८	३.८३	...	११२	३,९७४	...	३	...	

विवरण, जिसमें १९५९ ई० में पुलिस दल को सज्जा

क्रम-संख्या	जिला	स्वीकृत				बास्तविक	
		अधिकारी		पुलिसमैन		अधिकारी	
१	२	३		४		५	
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
१९	उन्नाव ...	४५	१	५०१	२	४४	१
२०	प्रतापगढ़ ...	३७	१	३९९	१४	३७	१
	लखनऊ रेंज का योग	४२२	४८	५,८४९	२०४	४१६	४७
२१	कानपुर ..	१३६	५७	२,५५१	५२	१३५	५७
२२	फतेहपुर ..	३७	...	४७२	१२	३७	...
२३	इलाहाबाद ..	११४	२७	१,७६८	६१	११४	२७
२४	बांदा ...	४२	१	६०८	८	४२	१
२५	हमीरपुर ...	४०	१	५९३	१८	४०	१
२६	जालौन ...	२९	१	५३१	९	३०	३
२७	झांसी ..	७२	९	१,३४९	१५	७१	९
	कानपुर रेंज का योग	४७०	९६	७,८७२	१७५	४६९	९८
२८	बरेली ..	६३	२०	१,१४२	२९	६३	१३
२९	बिजनौर ..	४२	९	७४४	२	४२	५
३०	पौड़ी—गढ़वाल ...	१५	५	२६८	२०	१५	५
३१	बदायूं ..	५४	५	७६३	११	५४	५
३२	नैनीताल						
३३	अल्मोड़ा ...	४५	१३	८८६	२२३	४५	१
३४	मुरादाबाद ..	६४	९	१,३१२	१५	६४	९
३५	पीलीभीत ...	२८	६	४३०	१३	२८	६

पत्र 'ड'—(असमाप्त)

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है

पुलिसमैन		बल और अस्त्र						
		ब्रेन गन	स्टेन गन (सी०एम०टी०)	राइफिल		चिकनी सतह वाली बोर की संख्या	रिवाल्वरों की संख्या	वेरी लाइट पिस्तौल
				.२२ बोर	.३०३ बोर			
६		७	८	९—अ	९—ब	१०	११	१२
स्थायी	अस्थायी							
५०१	२	...	४	१४४	...	३१७	३६	१८
३९५	१४	...	४	१३४	...	२४६	३१	१५
५,८२५	१२३	..	४०	१,१७०	...	३,२०४	३५९	१४३
२,५३१	५२	...	८	२६१	...	१,१००	१६५	३३
४७१	...	...	४	१३७	...	२८१	२९	१७
१,७४३	६१	...	८	२२६	...	९१२	६५	३४
६०८	१	...	४	१४९	..	३६६	३४	२२
५८३	१८	...	४	२३६	..	४०४	३१	२३
५२६	..	...	७	२४४	..	३४३	२१	१५
१,३३८	१३	...	९	३९८	...	८०८	६३	३१
७,८०३	१४५	...	४४	१,६५१	...	४,२१४	४३८	१७५
१,१२४	.	...	८	१८६	..	५६४	६८	२४
७११	२	..	६	१४०	...	३५०	४०	२१
२६५	१७	...	४	११७	..	१५१	१२	७
७३८	११	...	६	१५१	...	३७६	४४	२०
८६३	२२३	...	६	२८१	..	५५१	४२	२०
४२०	१५	...	८	१६८	...	५१८	६०	२३
	१३	...	४	१४१	..	२५७	२८	१३

विवरण-

विवरण, जिसमें १९५९ ई० में पुलिस दल को सज्जा,

क्रम-संख्या	जिले	दण्ड							
		बरखास्त किये गये		बरखास्त से भिन्न अन्य रूप में विभाग द्वारा दण्डित किये गये		पुलिस ऐक्ट के अधीन		भारतीय दण्ड विधान की धारा ३३०, ३३१, ३४२	
		अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन
१	२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
१९	उन्नाव ...	...	१	..	२	..	..	..	..
२०	प्रतापगढ़ ...	...	५	१	१३	..	..	..	..
	लखनऊ रेंज का योग	....	१०२	३४	१३३	..	..	..	..
२१	कानपुर ...	...	१३	२७	८८	..	..	..	..
२२	फतेहपुर ...	...	६	५	४	..	..	..	..
२३	इलाहाबाद ..	...	६	१३	२१	..	..	..	..
२४	बांदा ..	...	१	..	६	..	..	..	..
२५	हमीरपुर ..	...	३	३	५	..	..	..	..
२६	जालौन ..	..	३	१	९	..	..	..	..
२७	झांसी ..	...	१०	१	३२	..	...	..	..
	कानपुर रेंज का योग	...	४२	५०	१६५	...	..	...	...
२८	बरेली ..	१	७	२	१०	..	..	..	..
२९	बिजनौर ..	..	२	१	१०	..	१	..	..
३०	पौड़ी-गढ़वाल...	..	...	..	४	..	..	..	..
३१	बदायूं ...	..	३	७	२२	..	..	..	..
३२	नैनीताल								
३३	अलमोड़ा ..	..	१	..	३	..	...	..	..
३४	मुरादाबाद ...	..	८	६	२१	..	२	..	..
३५	पीलीभीत ...	..	२	१	८	..	..	..	..

पत्र 'ङ'—(असमाप्त)

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है

				पुरस्कार				शिक्षा
भारतीय दन्ड विधान के अध्याय ९ के अधीन		अन्य अपराध		पदोन्नति देकर	अच्छे आचरण के कीर्ति पत्र देकर	वीरता का पदक देकर	असाधारण कार्य के पदक देकर	उन आदमियों की संख्या, जो पढ़-लिख नहीं सकते
अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन					
२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९
..	..	...	...	...	१७०	...	..	२
..	...	...	...	...	३७२	..	..	...
..	..	...	५	...	२,६३९	...	..	७८
..	...	...	...	...	१,२५४	...	..	२५
..	..	...	...	...	१८४	...	..	...
..	...	...	...	...	५६४	...	...	...
..	...	...	...	...	२२४	...	...	६
..	...	...	२	...	१[illegible]०	...	...	...
..	...	...	...	...	१५३	...	...	...
..	—	...	२	...	७३१	...	..	२३
...	..	...	४	...	३,२८०	...	..	५७
..	...	...	१	...	६७५	..	..	३०
..	...	...	...	...	३११	...	..	२
..	...	...	...	...	१४३	...	..	..
...	...	...	...	...	२८१	...	..	२४
...	...	...	...	...	८६	...	..	४
...	...	...	...	...	१६७	...	.	३
..	...	...	...	...	१०६	...	.	५

विवरण, जिसमें १९५९ ई० में पुलिस दल की सज्जा,

क्रम-संख्या	जिले	कान्स्टेबिलों की संख्या					कांस्टेबिलों की संख्या जो दल			
		वर्ष में भर्ती किये गये	१ से ३ साल की नौकरी वाले	३ से १० साल की नौकरी वाले	१० से १७ साल की नौकरी वाले	१७ साल से ऊपर नौकरी वाले	पेन्शन या ग्रेच्युटी प्राप्त करके	बिना किसी पेन्शन पाए हुए त्याग पत्र देकर	बर्खास्तगी द्वारा	पिछले स्तंभों में दी गई वालों के अतिरिक्त तरीके से दल से अलग किये जाने के कारण
१	२	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८
१९	उन्नाव	५	५०	१६७	१७४	३८	४	१	...	...
२०	प्रतापगढ़ ..	३	३३	१२१	१४०	४४	२	१	५	१
	लखनऊ रेंज का योग	१२	३७२	१,६१३	२,० ८	८५२	३१	१८	१०५	१
२१	कानपुर ..	३०	१७६	६९९	१,००२	३५६	२१	१	१३	२
२२	फतेहपुर ..	१	१८	१०१	१४७	१ ६	५	२	६	४
२३	इलाहाबाद ...	२३	४५	५६७	६७४	२६८	१६	४	६	१
२४	बांदा ..	२	९	२५६	१८५	३८	८	९	१	१
२५	हमीरपुर ..	१८	११	२ ५	४४	५०	१०	३	३	१
२६	जालौन ..	२२	५६	१३४	१६८	६९	९	५	३	३
२७	झांसी	६३	७६	३६०	४१६	२५०	१३	५	१०	२
	कानपुर रेंज का योग	१ ८	०१	२,४१२	२, ६	१,१५७	८२	२९	४२	१४
२८	बरेली ...	३	४८	३१५	३५	२४३	२२	८	८	३
२९	बिजनौर ...	८	५५	१९६	२६६	९६	८	४	२	...
३०	पौड़ी-गढ़वाल...	६	१५	८६	८८	४३	३	१	...	...
३१	बदायूं ...	३०	११	२०	२३१	७५	१६	२	३	...
३२	नैनीताल ...	२४	१०६	५५२	१७८	६६	१७	६	१	...
३३	अल्मोड़ा ...									
३४	मुरादाबाद ...	२५	४९	४५७	३ ३	१५६	१०	१४	८	३
३५	पीलीभीत ...	४	५	२२१	९२	३६	३	१	२	...

पत्र 'ङ'—(असमाप्त)

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध खिलाया गया है

छोड़कर चले गये		कुल संख्या से प्रतिशत					रिक्त स्थान			
नौकरी छोड़कर भाग जाने से	मृत्यु हो जाने के कारण	अस्पतालों में भर्ती किये गये व्यक्ति	बीमारी के कारण काम से गैरहाजिर रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या	मृत्यु	अस्पतालों में भर्ती किये गए अधिकारियों और पुलिसमैनों की संख्या	समस्त बीमार व्यक्तियों की संख्या, जो अस्पताल गए या नहीं गए	अधिकारी	पुलिसमैन	कांस्टेबिलों की संख्या	विशेष विवरण
३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९
...	...	३७·०	३·२	..	१८५	५९८	१	...	...	
..	...	४३·५	८·८	..	१७८	१,३३०	...	४	...	
२	१४	...	...	...	१५ ०७६	३३,३२[illegible]	७	१०५	...	
..	३	२०·९४	·०५	·११	५४१	७,७४९	१	२०	...	
...	...	२८·०	१·२८	...	१३४	३,१३५	...	१३	...	
..	३	२५·०	·०७७	·१६	४५२	५४४	...	२५	...	
...	१	४१·६	·११०	·६	१४३	१०६	...	७	...	
...	१	२[illegible]·६	·०६	·१	१६७	३,२४०	...	१०	...	
१	२	२२·४९	१·६	·३७	११९	३,१४९	...	११	...	३ यस० आई०
..	१	१६·६	·८२	·०७	२६५	४,०६१	१	१३	...	यस० अधिक
१	११	...	...	...	१,८२१	२१,९[illegible]४	२	९१	...	
..	२	१४·७५	१·०३८	·१७८	१,०६५	१,[illegible]५[illegible]	७	४७	...	
...	२	१[illegible]·५	·५[illegible]	·२६	१११	१,५२०	४	३३	...	
...	३	८०·[illegible]४	·२१	१·०६	६[illegible]	[illegible]५८	...	६	...	
...	४	२०·७	१·२	·५३	[illegible]५४	३,[illegible]१५	...	२५	...	
१	५	१·५४	·९५	·४५	१५५	३७६	१२	[illegible]३	...	
...	१	७४·६	·२२	·०७	४२६	१०३०	...	२३	...	
..	३	२९·५	२·७	·६	१२८	४,४१७	...	१०	...	

विवरण, जिसमें १९५९ ई० में पुलिस दल को सज्जा,

क्रम-संख्या	जिले	स्वीकृत				वास्तविक	
		अधिकारी		पुलिसमैन		अधिकारी	
१	२	३		४		५	
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
३६	शाहजहांपुर ...	५८	७	८८२	६	५८	७
३७	रा पुर ..	४२	५	६५४	७३	४१	३
	बरेली रेंज का योग	४११	७९	७,०७१	३९२	४१०	५४
३८	आगरा ..	९६	३८	१,६४५	७६	९६	३८
३९	मथुरा ..	४५	१	७५७	७	४५	...
४०	एटा ..	४६	३	६०८	१६	४६	३
४१	अलीगढ़ ..	६७	४	१,०४९	२०	६७	४
४२	मैनपुरी ...	४०	१	५६६	४	४०	१
४३	इ ावा ..	४७	६	६४३	१७	४८	६
४४	फतेहगढ़ ...	५४	१०	७१५	७	५२	४
	आगरा रेंज का योग	३९५	६३	५,९८३	१४७	३९४	५९
४५	गोरखपुर ...	६०	१४	८८५	५८	६०	१४
४६	बस्ती ..	५४	९	६७८	९८	५४	९
४७	गोंडा ...	५०	४	६७९	३४	५०	४
४	बहराइच ...	४३	७	५७६	५५	४१	६
४९	देर्वा या ..	४३	२	५५९	३०	४३	२
५०	सुल्तानपुर ...	३९	...	४ [illegible] २	१४	३९	...
५१	फैजाबाद ..	४६	७	७८४	३६	४६	७
	गोरखपुर रेंज का योग	३३५	४३	४,५६६	३२५	३३३	४२

पत्र 'ङ'—(असमाप्त)

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है

पुलिसमैन		दल और अस्त्र						
				राइफिल				
		ब्रेन गन	स्टेन गन (सी०एम०टी०)	.२२ बोर	.३०३ बोर	चिकनी सतह वाली बोर की संख्या	रिवाल्वरों की संख्या	वेरी लाइट पिस्तौल
६		७	८	९—अ	९—ब	१०	११	१२
स्थायी	अस्थायी							
८६४	२	..	६	१६७	...	४३०	५३	२.
६४४	४८	..	४	१५२	...	३४५	३७	१५
६,६१८	३३१	...	५२	१,५०३	...	३,५४२	३८४	१६८
१,६३०	७६		८	३५३	...	८२१	८२	३०
७५७	१	..	६	२ ७	...	३८२	३८	२०
६००	१६	...	४	१४६	....	३४.	३१	१९
१,०२८	२०	..	८	१६७	...	४९८	४७	२३
५ ७	४	..	६	२४५	...	३४६	३२	१७
६२९	१७	...	८	२३४	...	३८२	४८	२२
७०३	७	..	४	.४९	...	३६.	४७	.९
५,९८४	१४१	..	४.	१,५३१	...	३,१३५	३३३	१५०
८८५	५८	...	८	.०९	...	५१२	६०	२४
६७८	९८	..	८	१.१	..	४.२	४५	.६
६ ५	३४	...	६	१ [illegible]	...	४१७	४७	२१
५७६	४५	...	४	१५२	...	३८८	३६	१८
५५७	३०	...	४	१५२	...	३७७	३४	२१
३९३	१४	...	४	.३३	...	२६०	३१	.७
९६८	३६	...	६	१६०	...	४०५	३८	१९
४,५३५	३.१	...	३६	१,०.५	...	२,८१.	२९४	१४६

विवरण, जिसमें १९५९ ई० में पुलिस दल को सज्जा,

क्रम-संख्या	जिले	दण्ड							
		बरखास्त किये गये		बरखास्त से भिन्न अन्य रूप में विभाग द्वारा दण्डित किये गये		पुलिस ऐक्ट के अधीन		भारतीय दण्ड विधान की धाराएं ३३०, ३३१, ३४२	
		अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन
१	२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
३६	शाहजहांपुर ...	२	२	९	१८	...	...	...	..
३७	रामपुर ..	१	३	६	२१	...	....	...	....
	बरेली रेंज का योग	४	२८	३२	११७	...	२	...	...
३८	आगरा ...	...	२	१	६	...	....	...	...
३९	मथुरा ...	...	...	१	१४	...	....	...	...
४०	एटा ...	...	२	३	२४	...	...	...	...
४१	अलीगढ़ ..	...	३	...	२०	...	...	...	...
४२	मैनपुरी ..	...	१	६	६	...	...	...	..
४३	इटावा ..	...	२	३५	२९	...	...	...	...
४४	फतेहगढ़ ...	...	७	५	३१	...	...	...	...
	आगरा रेंज का योग	...	१७	५१	१३०	...	...	...	...
४५	गोरखपुर ..	...	३	२५	५०	...	...	...	...
४६	बस्ती ...	...	८	१	२	...	...	...	...
४७	गोंडा ..	...	१	...	१६	...	...	...	...
४८	बहराइच ..	...	१	४	११	...	...	...	...
४९	देवरिया ...	...	...	...	५	...	...	...	...
५०	सुल्तानपुर ...	...	...	२६	११९	...	...	...	...
५१	फैजाबाद ..	...	१	...	१३	...	...	...	...
	गोरखपुर रेंज का योग	...	१४	५६	१२६	...	...	...	...

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है

भारतीय दण्ड विधान के अध्याय ९ के अधीन		अन्य अपराध		पुरस्कार				शिक्षा
अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	पदोन्नति देकर	अच्छे आचरण के फीते या धन देकर	वीरता का पदक देकर	असाधारण कार्य के पदक देकर	उन आदमियों की संख्या, जो पढ़-लिख नहीं सकते
२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९
...	...	१	१	...	३७०	...	...	२७—
...	..	...	...	...	१६७	...	...	१—
...	..	१	२	...	३,०८६	...	...	१२७
...	...	...	...	...	४८९	...	...	...
...	...	...	...	...	४४२	...	...	...
...	...	...	...	...	४०७	...	...	२
...	...	...	...	...	[illegible]८२	...	...	७६
...	...	...	...	...	२१२	...	...	...
...	...	...	...	...	२[illegible]७	...	...	...
...	...	...	...	...	१८८	...	...	...—
...	...	...	...	...	[illegible],२४८	...	...	७८—
...	...	...	...	...	४९८	...	...	...
...	...	...	...	...	३२३	...	...	३०
...	...	...	...	...	३१७	...	...	१
...	...	...	...	...	१०७	...	...	२
...	...	...	...	...	१८९	...	...	...
...	...	...	...	...	१५२	...	...	...
...	...	...	...	...	७७७	...	...	१४—
...	...	...	...	...	[illegible],[illegible]६३	...	...	४३

विवरण, जिसमें १९५१ ई० में पुलिस दल की सज्जा,

क्रम-संख्या	जिले	कांस्टेबिलों की संख्या					कांस्टेबिलों की संख्या, जो दल			
		वर्ष में भर्ती किये गये	१ से ३ साल की नौकरी वाले	३ से १० साल की नौकरी वाले	१० से १७ साल की नौकरी वाले	१७ साल से ऊपर नौकरी वाले	पेंशन या ग्रेच्युटी प्राप्त करके	बिना किसी पेंशन पाये ही त्याग-पत्र देकर	बर्खास्तगी द्वारा	पिछले स्तंभों में दी गई बातों के अतिरिक्त तरीके से दल से अलग किये जाने के कारण
१	२	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८
३६	शाहजहांपुर ...	२०	१०७	१६३	३१८	१४०	९	७	२	२
३७	रामपुर	१८	१०५	२०९	२०४	५१	२	९	४	१
	बरेली रेंज का योग	१४८	७०५	२,४०८	२,०८२	९०६	९०	५२	३०	९
३८	आगरा ..	५१	५६	५५८	४७६	३५८	१०	११	२	१
३९	मथुरा ..	८	७८	२८०	१८२	११३	२	१	...	...
४०	एटा ..	१७	४९	१८१	२०२	८३	१५	५	२	...
४१	अलीगढ़ ..	१८	६१	२५४	३३७	१[illegible]७	११	१०	३	४
४२	मैनपुरी ..	[illegible]०	२१	१२२	१३२	१३२	४	२	१	...
४३	इटावा ..	२२	१[illegible]	१८६	१७१	१[illegible]६	९	३	३	२
४४	फतेहगढ़ ...	१७	२३	१६६	२८८	१२[illegible]	२	७	७	३
	आगरा रेंज का योग	१४३	४१०	१,७४७	१,८४८	१,११५	५३	३९	१८	१०
४५	गोरखपुर ..	३०	२	५३५	१४३	११२	१२	१	३	...
४६	बस्ती ..	६४	३६	१७४	२६०	१[illegible]८	१०	...	८	...
४७	गोंडा ..	११	२६	२०५	२८[illegible]	८३	८	२	१	...
४८	बहराइच ..	८	८६	१८०	१८०	८७	१	३	१	...
४९	देवरिया ...	५	३३	१६७	२[illegible]६	७६	४	१	...	...
५०	सुल्तानपुर ...	१५	५०	१०३	१२९	५[illegible]	३	२	१	...
५१	फैजाबाद ...	१२	९६	२०४	२७२	१०८	४	२	१	...
	गोरखपुर रेंज का योग	१४५	३२९	१,५६८	१,५०१	६६६	४२	११	१५	...

चक्र 'ङ'—(असमाप्त)

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है

छोड़कर चले गये		कुल संख्या से प्रतिशत					रिक्त स्थान			
नौकरी छोड़कर भाग जाने से	मृत्यु हो जाने के कारण	अस्पतालों में भर्ती किये गये व्यक्ति	बीमारी के कारण काम से गैरहाजिर रहने वाले व्यक्तियों की दैनिक औसत संख्या	मृत्यु	अस्पतालों में भर्ती किये गये अधिकारियों और पुलिसमैनों की संख्या	समस्त बीमार व्यक्तियों की संख्या, जो अस्पताल भेजे गए या नहीं गये	अधिकारी	पुलिसमैन	कान्स्टेबुलों की संख्या	विशेषविवरण
३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९
...	२	२०·३२	४·५	·२३	१७६	१,४२६	...	२२	...	
...	३	५०·०	१·७३	·५४	३४९	६३२	३	२५	...	
१	२५	...	...	...	२,६२९	१४,२७२	२६	२१४	...	
...	५	२२·६८	·७०३	·२९	३८७	४४०	...	१५	...	
...	३	५४·२	·१५	·३	२७९	४१३	१	६	...	
...	१	३५·७	·४७	.१६२	४०	२२०	..	८	...	
...	३	६०·५९	·७१	.२६	२७८	२,७३१	...	२१	...	
...	१	२५·८	१·४३	.१६	१४२	१४५	...	९	...	
...	...	३४·६८	·११	...	२३३	२३३	...	१४	...	४ यस० आई० यस० अधिक
...	..	३३·०	·३	...	२३६	७३४	८	१२	...	
...	१३	...	...	...	१,५९८	४,९१६	९	८५	...	
...	४	२३.३६	१·१५	·४३६	२१४	३,८३७	...	४	...	
..	...	२२	·६३	...	१७०	१,७८३	...	...	...	
...	२	२२	·२३	२८	१५६	६०२	...	४	..	
...	..	५७·९	१·६	...	२०५	३,४११	३	१०	..	
...	...	४७५·६	१·३	...	२३४	३,५५९	...	२	...	
...	...	५२.१७	८·१४	...	२१६	३०२	...	९	...	
...	२	२६.११	.४२	·११	२१०	१,२४५	...	१६	...	
..	८	...	...	..	१,४०५	४,७३९	३	४५	...	

विवरण, जिसमें १९५९ ई० में पुलिस दल की सज्जा,

क्रम-संख्या	जिले	स्वीकृत				वास्तविक	
		अधिकारी		पुलिसमैन		अधिकारी	
१	२	३		४		५	
		स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी	स्थायी	अस्थायी
	गुप्तचर विभाग	८१	२३	८२	१४	७५	७
	पुलिस ट्रेनिंग कालेज	२१	४	२८	५	२२	४
	सरकारी रेलवे पुलिस	९८	२६	१,३६८	५२१	६२	२१
	रेडियो सेक्शन	६१	९२	७३५	६७	६१	७६
	प्रांतीय सशस्त्र बल	२४७	१७०	६,४९५	४,४१३	२४१	१६०
	फायर सर्विस	१९	...	१४७	...	१६	...
	पी० एस० क्यू०	...	...	२३	५	...	..
	ए० डी० सी०	७	...	२१	..	७	...
	सेन्ट्रल स्टोर्स	४	१	९१	...	४	१
	योग	५३८	३१६	८,९९८	५,०२५	५२१	२७२
	उत्तर प्रदेश का योग	२,६७५	४१९	४०,९२६	१,६१३	२,६५७	३८७
	वृहत् योग ...	३,२१३	६३५	४९,९२४	६,६३८	३,१७८	६५९

पत्र 'ङ'— (असमाप्त)

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है

पुलिसमैन		दल और अस्त्र						
		ब्रेन गन	स्टेन गन (सी०एम०डी०)	राइफल		चिकनी सतह वाली बोर की संख्या	रिवाल्वरों की संख्या	वेरी लाइट पिस्तौल
				.२२ बोर	.३०३ बोर			
६		७	८	९—अ	९—ब	१०	११	१२
स्थायी	अस्थायी							
८०	१३	...	...	..	..	...	६०	...
२९	५	१	१५	१००	२०	४४	४२	२
१,३५०	५१२	...	...	७२	...	३८०	१४६	...
७१६	६७	...	...	..	...	...	...	...
६,४३१	४,१४४	२२०	८५६	१०,०६७	१३०	...	३०१	२७२
१४६	...	...	....	..	...	..	...	...
२३	४	...	...	..	..	...	...	..
२०	...	...	३८	४,०७१	२४२	३३३	६३	११
९९	...	...	...	...	...	...	...	..
८,८९४	४,७४५	२२१	९०९	१४,३१०	३९२	७५७	६२०	२९३
४०,५१२	१,३८४	...	२८७	८,६८२	...	२१,३००	२,३६८	१,०१६
४९,४०६	६,१२९	२२१	१,१९६	२२,९९२	३९२	२२,०५७	२,९८८	१,३०९

विवरण, जिसमें १९५९ ई० में पुलिस दल को सज्जा,

क्रम-संख्या	जिला	दंड							
		बरखास्त किये गये		बरखास्त से भिन्न अन्य रूप में विभाग द्वारा दन्डित किये गये		पुलिस ऐक्ट के अधीन		भारतीय दंड विधान की धाराएं ३३०, ३३१, ३४९	
		अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन
१	२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
	गुप्तचर विभाग	...	१	३	३	...	...	...	..
	पुलिस ट्रेनिंग कालेज	...	...	..	..	...	...	..	...
	सरकारी रेलवे पुलिस	..	७	२	१२	...	...	...	...
	रेडियो सेक्शन	...	...	..	...	...	...	...	..
	प्रांतीय सशस्त्र दल	...	२०	३	३९	...	...	...	...
	फायर सर्विस	.	..	..	...	...	...	...	..
	पी० एच० क्यू०	..	..	...	...	...	...	...	...
	ए० टी० सी०	..	...	...	...	...	...	...	...
	सेन्ट्रल स्टोर्स	...	...	...	...	...	...	...	...
	योग ...	...	२८	८	५४	...	...	...	...
	उत्तर प्रदेश का योग	४	२४५	३४७	१,००८	...	३	...	...
	बृहत् योग ...	४	२७३	३५५	१,०६२	...	३	...	...

पत्र 'क'—(असमाप्त)

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है

भारतीय दंड विधान के अध्याय ९ के अधीन		अन्य अपराध		पुरस्कार				शिक्षा
अधिकारी	पुलिसमैन	अधिकारी	पुलिसमैन	पदोन्नति देकर	अच्छे आचरण के फीते या बन देकर	वीरता का पदक देकर	असाधारण कार्य का पदक देकर	उन आदमियों की संख्या, जो पढ़-लिख नहीं सकते
२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९
..	...	...	...	...	८५	...	....	...
.	...	...	...	...	...	..	...	...
..	...	...	...	...	११४	...	..	६
...	...	...	१	...	१८६	...	...	...
..	..	..	२	...	१,७२८	३	...	१५५
...	..	..	..	...	७७	..	...	३८
...	..	..	...	...	...	...	...	...
..	.	...	...	...	९	...	१८	...
..	..	...	...	...	२५	...	...	...
...	...	...	३	...	२,३०७	३	१८	२०२
..	...	...	१६	...	१८,७१३	...	...	६४०
...	..	...	१९	...	२१,०२०	३	१८	८४२

विवरण –

विवरण, जिसमें १९५९ ई० में पुलिस दल की सज ज

क्रम-संख्या	जिले	कांस्टेबिलों की संख्या					कांस्टेबिलों की संख्या, जो दल			
		वर्ष में भर्ती किये गये	१ से ३ साल की नौकरी वाले	३ से १० साल की नौकरी वाले	१० से १७ साल की नौकरी वाले	१७ साल से ऊपर नौकरी वाले	पेन्शन या ग्रेच्युटी प्राप्त करके	बिना किसी पेन्शन पाए हुऐ त्यागपत्र देकर	बर्खास्तगी द्वारा	पिछले स्तम्भों में दी गई बातों के अतिरिक्त तरीके से दल से अलग किये जाने के कारण
१	२	३०	३१	३२	३३	३४	३५	३६	३७	३८
	गुप्तचर विभाग	..	...	४२	२१	५	...	...	१	...
	पुलिस ट्रेनिंग कालेज	...	..	..	२	३	...	...	...	...
	सरकारी रेलवे पुलिस	२३	९९	५१५	६२६	३८२	१६	७	७	...
	रेडियो सेक्शन	२९	१०७	२३४	१९	८	१	८	१	६
	प्रांतीय सशस्त्र दल	१३३	१८०२	२,५३९	३,६०५	५६६	३७	१७०	१२१	१०५
	फायर सर्विस	७	५	५७	७२	...	१	..	...	...
	पी० एच० क्यू०	...	..	१	९	११	...	१	...	...
	ए० टी० सी०	..	..	२	...	...	...	..	...	...
	सेन्ट्रल स्टोर्स	..	१	११	२५	२	...	१	...	...
	योग ...	१९२	२०१४	३,३७१	४,३७९	९७७	५५	१८७	१३०	१११
	उत्तर प्रदेश का योग	९१८	२९६९	१२,६३४	१३,२१३	६,५८६	२६८	१८९	२५२	५०
	बृहत् योग ...	१११०	४९८३	१६,००५	१७,५९२	७,५६३	३२३	३७६	३८२	१६१

पत्र 'ड'—(समाप्त)

अनुशासन और सामान्य आन्तरिक प्रबन्ध दिखलाया गया है

छोड़कर चले गये		कुल संख्या से प्रतिशत			अस्पतालों में भर्ती किए गए अधिकारियों और पुलिसमैनों की संख्या	समस्त बीमार व्यक्तियों की संख्या, जो अस्पताल गए या नहीं गए	रिक्त स्थान		कांस्टेबिलों की संख्या	विशेष विवरण
नौकरी छोड़ कर भाग जाने के कारण	मृत्यु हो जाने के कारण	अस्पतालों में भर्ती किये गये व्यक्ति	बीमारी के कारण काम से गैरहाजिर रहने वाले व्यक्तियों की दैनिक औसत संख्या	मृत्यु			अधिकारी	पुलिसमैन		
३९	४०	४१	४२	४३	४४	४५	४६	४७	४८	४९
...	...	१	...	...	..	..	२२	३	...	
...	...	२८·५७	·२	...	१०	३०	...	...	...	
...	...	१५.१	·७	..	२०४	३,२२१	११	२७	...	१ एस०आई० ए०पी० तथा १ एच०सी० अधिक
...	..	३६·४	·१२	..	९३	३४०	१३	९	...	
४	२५	५५·६४	१.६३	·१९	७,५८९	८१,५१६	१६	३३३	...	
...	..	..	...	...	२१	११३	...	१	...	
...	..	..	...	..	..	..	...	१	...	
...	..	१५	..	..	३	...	...	१	...	
...	..	..	...	..	६	३१	...	...	...	
४	२५	..	...	...	७,९२६	८५,२५१	६२	३८५	...	
४	८०	..	...	...	२८,७१४	१२२४५३	५८	६४३	...	
८	१०५	६५,९७६	१·०२४	१८९	३६,६४०	२०७७०४	१२०	१०२८	..	

हताहत पुलिस अधिकारियों एवं

हत				
सी० आई०	एस० आई०	हेड कांस्टेबुल	कान्स्टेबुल	चौकीदार
...	२	१	१०	..

व्यक्तियों का विवरण-पत्र

आहत				
सी० आई०	एस० आई०	हेड कान्स्टेबुल	कान्स्टेबुल	चौकीदार
१	६	८	३५	•

विवरण—

अपराध का पंचवर्षीय

वर्ष	वर्ष में रिपोर्ट किये गये हस्त-क्षेप योग्य अपराधों की संख्या (केवल आई० पी० सी० के अन्तर्गत)	दंगा	मुद्रा सम्बन्धी अपराध	करेन्सी नोट तथा बैंक नोट सम्बंधी अपराध	हत्या	आपराधिक हत्या
१	२	३	४	५	६	७
१९५५	५७,६६०	२,७६५	३६	१७	१,४४८	८२६
१९५६	६७,६९३	३,०८७	३९	२३	१,५९९	९३०
१९५७	६४,८५७	३,००२	३५	१८	१,४६८	९२०
१९५८	६६,१५४	३,०४५	३१	१८	१,६३७	८८३
१९५९	६४,२७२	२,९००	३५	२१	१,६९४	९३१

पत्र 'ख'

विवरण-पत्र, १९५९

[illegible]	अपहरण करना	डकैती	राहजनी	सेंध लगाना	धोखा देना	आपराधिक विश्वासघात
८	९	१०	११	१२	१३	१४
६२	७१३	८४४	४१४	१६,५०९	९११	२,१६९
६८	७९३	९३२	५६२	१९,४२०	१,०२०	२,५७४
५८	७८०	९०७	५१७	१८,३२८	९३९	२,३२३
५१	७९७	८२५	४७७	१७,५८९	१,०१०	२,४३०
५२	८५९	८५९	५०४	१५,५७०	१,००५	२,२८१

विवरण-पत्र "च च"

चोरी तथा लूट की सम्पत्तियों का वर्गीकरण
पंचवर्षीय विवरण-पत्र, १९५९

वर्ष	ताम्र-तार	पशु	साइकिलें	मोटरगाड़ियां तथा उसके पुर्जे	आग्नेयास्त्र	विस्फोटक पदार्थ
१	२	३	४	५	६	७
१९५५	३३४	२,६५२	३,२५९	५३	२२६	२
१९५६	३७४	३,५०६	३,७४८	५१	२५५	१
१९५७	४६०	३,३०३	३,९०६	६८	२०२	...
१९५८	४८१	३,८००	४,२१४	४४	२०५	...
१९५९	५६८	३,१७२	४,१२१	३८	२०५	...

विवरण-पत्र 'छ'

गवर्नमेंन्ट रेलवे पुलिस, उत्तर प्रदेश

रेलवे के अपराधों की पंचवर्षी तालिका

वर्ष	सामग्री की चोरी			पार्सल की चोरी		गिरहकटी		यात्रियों की चोरी, गिरहकटी के अतिरिक्त		चोरी रेलवे सामग्री
	चलती गाड़ी से	यार्ड	माल गोदाम और प्लेटफार्म से	रेलगाड़ी या मालगाड़ी के डिब्बे से	पार्सल दफ्तर या प्लेटफार्म से	प्लेटफार्म पर	चलती गाड़ी में	प्लेट-फार्म पर	चलती गाड़ी में	मेटीरियल
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१९५५	५६	४५०	८२	७२	७६	३२५	८५	४७१	३७०	२६६
१९५६	५८	४२२	१२३	५२	५२	२१६	६७	३९६	३९७	२६९
१९५७	८३	४३३	१६१	४४	७७	२८७	६१	३३७	३११	२६२
१९५८	८४	३८३	८२	३८	८६	२४३	७५	३२९	३८९	२६५
१९५९	९२	४००	९७	३६	५५	२१७	४७	३२४	३८६	३३२

वार्षिक विवरण—

बाल-अपराधों का

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	बालकों द्वारा किये गये अप-राधों या मामलों की संख्या
१	२	३	४
		शारीरिक आघात संबंधी गंभीर अपराध	
१	३०२, ३०३	हत्या	३७
२	३०७	हत्या करने का प्रयत्न ...	६
३	३०४, ३०८	आपराधिक नर-हत्या	७
४	३७६	पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बलात्कार, ...	९
५	३७७	अप्राकृतिक अपराध	७
६	३०५, ३०६, ३०९	आत्महत्या के प्रयत्न और उसका अनुत्तजन	६
७	३२५, ३२८, ३३१, ३३३, ३३५	सख्त चोट	१७
८	३२८	चोट पहुंचाने के अभिप्राय से बेहोश करने वाली औषधियां देना ...	१
९	३२४, ३२७, ३३०	चोट	२३
१०	३६३, ३६६, ३७१, ३७२, ३७३	वेश्यावृत्ति के लिये भगा ले जाना या अप-हरण करना या दासों का बेचना आदि...	१०
१०-ए	३४६ से ३४८	बलात्-ग्रहण के प्रयोजनार्थ अनुचित रूप से बन्द करके रखना और गुप्त रूप से रोके रहना	..
११	३३२, ३५३	किसी सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य-पालन से विमुख करने के लिये चोट पहुंचाना या उस पर आक्रमण करना ..	७
१२	३५४, ३५६, ३५७	सरकारी कर्मचारी या महिलाओं के प्रति आपराधिक बल का प्रयोग या चोरी करने या अनुचित रूप से बन्द कर रखन का प्रयत्न ...	१०
१३	३०४-अ, ३३८	दुस्साहसपूर्ण या प्रमाणिक कार्य, जिससे मृत्यु हो जाय या सख्त चोट पहुंचे ...	७
		योग ..	१५०

पत्र 'ज'

प्रविवरण सन् १९५९ ई०

वर्ष में पकड़े गये बाल अपराधियों की संख्या

आयु ७—१२			आयु १२—१७			आयु १७—२१			योग (स्तम्भ ७+१०+१३)
लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	
५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
३	..	३	४	..	४	३७	१	३८	४५
..	..	..	..	१	१	१४	...	१४	१५
...	..	..	२	..	२	१२	...	१२	१४
१	१	२	५	..	५	५	...	५	१२
१	..	१	२	...	२	४	...	४	७
..	..	...	१	...	१	५	...	५	६
..	..	..	२	..	२	१८	..	१८	२०
..	..	..	१	..	१	..	...	...	१
१	..	१	८	..	८	२३	...	२३	३२
...	..	..	..	..	..	९	३	१२	१२
..	..	..	..	..	..	..	..	...	..
...	..	..	...	..	..	८	...	८	८
...	..	..	..	...	..	१०	...	१०	१०
...	..	..	१	..	१	६	..	६	७
६	१	७	२६	१	२७	१५१	४	१५५	१८९

...र्षिक विवरण—

बाल-अपराधों का

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	न्यायालयों में भेजे गये बाल अपराधों के मामलों की संख्या — नियमित न्यायालय	बाल-अपराध न्यायालय
१	२	३	१५	१६
		शारीरिक आघात संबंधी गंभीर अपराध		
१	३०२, ३०३	हत्या	१५	..
२	३०७	हत्या करने का प्रयत्न ...	१५	..
३	३०४, ३०८	आपराधिक नर-हत्या ..	१४	..
४	३७६	पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बलात्कार	१२	..
५	३७७	अप्राकृतिक अपराध	७	...
६	३०५, ३०६, ३०९	आत्महत्या के प्रयत्न और उसका अनुत्तेजन	३	३
७	३२५, ३२८, ३३१, ३३३, ३३५	सख्त चोट	६	१४
८	३२८	चोट पहुंचाने के अभिप्राय से बेहोश करने वाली औषधियां देना ...	१	..
९	३२४, ३२७, ३३०	चोट	२७	५
१०	३६३, ३६९, ३७१, ३७२, ३७३	वेश्यावृत्ति के लिये भगा ले जाना या अपहरण करना या दासों का बेचना आदि ..	१२	..
१०-ए	३४६ से ३४८	बलात्-ग्रहण के प्रयोजनार्थ अनुचित रूप से बन्द करके रखना और गुप्त रूप से रोके रहना	..	...
११	३३२, ३५३	किसी सरकारी कर्मचारी को अपने कर्तव्य-पालन से विमुख करने के लिये चोट पहुंचाना तथा उस पर आक्रमण करना ..	५	३
१२	३५४, ३५६, ३५७	सरकारी कर्मचारी या महिलाओं के प्रति आपराधिक बल का प्रयोग या चोरी करने या अनुचित रूप से बन्द कर रखने का प्रयत्न ..	७	३
१३	३०४-अ, ३३८	दुस्साहसपूर्ण या प्रमाणिक कार्य, जिससे मृत्यु हो जाय या सख्त चोट पहुंचे ...	५	२
		योग ..	१५९	३०

पत्र 'ज'

प्रविवरण सन् १९५९ ई०

बाल अपराधी									
न्यायालय में भेजे गये		संस्थाओं में भेजे गये							
अभिभावकों को वापिस	परीक्षण में रक्खे गये	बाल सुधार स्कूलों में	अनाथालयों में	प्रमाणित स्कूलों में	उच्च शिक्षण संस्थाओं में	अन्य प्रकार से	न्यायालय के विचाराधीन	बाल अपराधियों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६
..	..	...	..	..	..	२८	१७	४५	
..	..	...	..	..	...	८	७	१५	
.	...	...	..	...	..	४	१०	१.	
..	..	....	..	..	..	२	१०	१२	
१	...	..	..	..	...	४	२	७	
..	३	..	..	..	...	१	२	६	
२	७	...	..	..	...	३	८	२०	
..	...	...	..	..	...	..	१	१	
३	१	..	..	..	...	२१	७	३२	
...	...	...	..	..	..	७	५	१२	
..	...	..	..	..	..	...	...	...	
२	४	..	..	..	..	...	२	८	
६	३	..	..	...	..	१	...	१०	
१	३	..	..	..	...	..	३	७	
१५	२१	..	...	...	..	७९	७४	१८९	

बाल अपराधों का

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	बालकों द्वारा किये गये अपराधों या मामलों की संख्या
१	२	३	४
		शारीरिक आघात तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध या केवल सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध	
१४	३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४०२	डकैती और डकैती के लिये तैयारी करना और एकत्र होना ..	१२
१५	३९२, ३९३, ३९४, ३९७, ३९८	राहजनी ...	३
१६	२७९, २८१, २८२, ४३० से ४३३, ४३५ से ४४०	गम्भीर कुचेष्टा तथा तत्सम्बन्धी अपराध ..	४
१७	४२८, ४२९	किसी पशु का वध करके, विष देकर या उसको अपंग बनाकर कुचेष्टा करना ...	७
१८	४४९ से ४५२, ४५४, ४५५, ४५७ से ४६०	अपराध करने के अभिप्राय से प्रच्छन्नगृह अनधि प्रवेश करना तथा सेंध लगाना या अपराध करने के विचार से चोट पहुंचाना और गृह अनधि प्रवेश करने की तैयारी करना या चोट पहुंचाने की तैयारी करना ..	१९३
१९	३११, ४००, ४०१	ठगों, डकैतों, लुटेरों और चोरों के गिरोह का सदस्य होना ..	...
		योग ..	२१९
		व्यक्तियों के विरुद्ध मामूली शारीरिक अपराध	
२०	४४१ से ४४४	अनुचित रूप से रोके रहना और बन्द कर रखना ..	..

पत्र 'ज'

प्रविवरण सन् १९५९ ई०

वर्ष में पकड़े गये बाल अपराधियों की संख्या

आयु ७—१२			आयु १२—१७			आयु १७—२१			योग (स्तम्भ ७ + १० + १३)
लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	
५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
...	...	...	१	...	१	१२	...	१२	१३
१	..	१	१	...	१	३	...	३	५
..	..	...	३	...	३	१	...	१	४
...	..	...	१	...	१	६	...	६	७
४	२	६	६२	...	६२	१६३	...	१६३	२३१
...	..	..	...	...	...	..	..	...	.
५	२	७	६८	...	६८	१८५	..	१८५	२६०
...	...	...	...	...	...	..	...	...	...

वार्षिक विवरण

बाल अपराधों का

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	न्यायालयों में भेजे गये बाल अपराधों के मामलों की संख्या — नियमित न्यायालय	बाल अपराध न्यायालय
१	२	३	१५	१६
		शारीरिक आघात तथा सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध या केवल सम्पत्ति के विरुद्ध अपराध		
१४	३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४०२	डकैती और डकैती के लिये तैयारी करना और एकत्र होना	१३	...
१५	३९२, ३९३, ३९४, ३९७, ३९८	राहजनी ..	४	१
१६	२७०, २८१, २८२, ४३० से ४३३, ४३५ से ४४०	गम्भीर कुचेष्टा तथा तत्सम्बन्धी अपराध	४	...
१७	४२८, ४२९	किसी पशु का बध करके, विष देकर या उसको अपंग बनाकर कुचेष्टा करना ..	६	१
१८	४४९ से ४५२, ४५४, ४५५, ४५७ से ४६०	अपराध करने के अभिप्राय से प्रच्छन्नगृहअनधि प्रवेश करना तथा सेंध लगाना या अपराध करने के विचार से चोट पहुंचाना और गृह अनधि प्रवेश करने की तैयारी करना या चोट पहुंचाने की तैयारी करना ..	१७०	६१
१९	३११, ४००, ४०१,	ठगों, डकैतों, लुटेरों और चोरों के गिरोह का सदस्य होना ..	..	...
		योग ..	१९७	६३
		व्यक्तियों के विरुद्ध मामूली शारीरिक अपराध		
२०	४४१ से ४४४	अनुचित रूप से रोके रहना और बन्द कर रखना ..	...	..

दत्र 'ज'

प्रविवरण सन् १९५९ ई०

बाल अपराधी									
न्यायालय में भेजे गये		संस्थाओं में भेजे गये		प्रमाणित स्कूलों में	उच्च शिक्षण संस्थाओं में	अन्य प्रकार से	न्यायालय के विचाराधीन	बाल अपराधियों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
अभिभावकों को वापिस	परीक्षण में रखे गये	बाल सुधार स्कूलों में	अनाथालयों में						
१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६
१	..	..	..	..	...	१	३	१३	
..	२	..	..	..	...	२	१	५	
१	..	...	..	..	..	१	२	४	
२	१	..	...	..	...	१	३	७	
३१	४८	...	..	२	..	८६	६४	२३१	
..	..	..	..	.	.	...	...	..	
३५	५१	..	...	२	...	९१	७३	२६०	
..	..	..	..	..	...	..	...	...	

वार्षिक विवरण—

बाल अपराधों का

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	बालकों द्वारा किये गये अपराधों या मामलों की संख्या
१	२	३	४
२१	३३६, ३३७	दुस्साहसपूर्ण कार्य, जिससे चोट पहुंचे या प्राण संकट में पड़ जाय ..	८
		योग ..	८
		सम्पत्ति के विरुद्ध मामूली अपराध	
२२	३७९ से ३८२	चोरी— { मवेशियों की ..	७८
		{ साधारण ..	५५१
२३	४०६ से ४०९	आपराधिक विश्वासघात ..	७
२४	४११ से ४१४	चुराई गई सम्पत्ति प्राप्त करना ..	२१
२५	४१९, ४२०	धोखा देना ..	१०
२६	४४७, ४४८, ४५३, ४५६	आपराधिक या गृह अनधि प्रवेश करना और प्रच्छन्न गृह अनधि प्रवेश करना या सेंध लगाना ..	७
२७	४६१, ४६२	बन्द बर्तनों को तोड़ना ..	१३
		योग ..	६८७
२८	२६६, २७७, २७९, २८०, २८३, २८५, २८६, २८९, २९१ से २९४ सेक्शन ३४ आफ ऐक्ट ५ आफ १८६१ एन्ड न्यूसेन्सेज पनिशएबिल अन्डर लोकल लाज	सार्वजनिक अनुत्रास तथा १८६१ के ऐक्ट सं० ५ की धारा ३४ और भारतीय दंड संहिता की धारा १६१ के अधीन घूसखोरी तथा १९४७ का ऐक्ट नं० २ ..	४२
२९	..	आर्म्स ऐक्ट ..	१५

पत्र 'ज'

प्रविवरण सन् १९५९ ई०

वर्ष में पकड़े गये बाल अपराधियों की संख्या									
आयु ७—१२			आयु १२—१७			आयु १७—२१			योग (स्तम्भ ७ + १० + १३)
लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	
५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
३	...	३	...	...	...	५	...	५	८
३	...	३	...	...	..	५	...	५	८
८	...	८	३१	...	३१	४६	...	४६	८५
३१	१	३२	१८१	...	१८१	४०६	३	४०९	६२२
...	...	..	२	...	२	६	...	६	८
३	...	३	३	...	३	१७	...	१७	२३
...	...	..	२	...	२	९	...	९	११
...	...	..	१	...	१	७	...	७	८
१	...	१	३	...	३	९	...	९	१३
४३	१	४४	२२३	...	२२३	५००	३	५०३	७७०
..	..	..	..	...	..	४२	..	४२	४२
२	..	२	...	...	...	१२	१	१३	१५

वार्षिक विवरण-

बाल अपराधों का

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	न्यायालयों में भेजे गये बाल अपराधों के मामलों की संख्या	
			नियमित न्यायालय	बाल अपराध न्यायालय
१	२	३	१५	१६
२१	३३६, ३३७	दुस्साहसपूर्ण कार्य, जिससे चोट पहुंचे या प्राण संकट में पड़ जाय ..	७	१
		योग ..	७	१
		सम्पत्ति के विरुद्ध मामूली अपराध		
२२	३७९ से ३८२	चोरी— मवेशियों की ..	३७	४८
		साधारण ..	३९३	२२९
२३	४०६ से ४०९	आपराधिक विश्वासघात ..	८	...
२४	४११ से ४१४	चुराई गई सम्पत्ति प्राप्त करना ..	१७	६
२५	४१९, ४२०	धोखा देना ..	७	३
२६	४४७, ४४८, ४५३, ४५६	आपराधिक या गृह अनधि प्रवेश करना और प्रछन्न गृह अनधि प्रवेश करना या सेंध लगाना ...	६	[illegible]
२७	४६१, ४६२	बन्द बर्तन क. तोड़ना ...	...	१३
		योग ..	४६८	३०१
२८	२६९, २९७, २७०, २८०, २८३, २८५, २८६, २८९, २९१ से २९४ सेक्शन ३४ आफ ऐक्ट ५ आफ १९६१ एन्ड न्यूसेन्सेज पनिशएबिल अन्डर लोकल लाज	सार्वजनिक अनुत्रास तथा १९६१ के ऐक्ट सं० ५ की धारा ३४ और भारतीय दंड संहिता की धारा १६१ के अधीन घूसखोरी तथा १९ ७ का ऐक्ट नं० २ ..	१८	२४
२९	...	आर्म्स ऐक्ट ..	४	१

* एक छोड़ दिया गया।

पत्र 'ञ'

प्रविवरण सन् १९५९ ई०

बाल अपराधी									
न्यायालय में भेजे गये		संस्थाओं में भेजे गये					न्यायालयों के विचाराधीन	बाल अपराधियों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
अभिभावकों को वापिस	परीक्षण में रखे गये	बाल सुधार स्कूलों में	अनाथालयों में	प्रमाणित स्कूलों में	उच्च शिक्षण संस्थाओं में	अन्य प्रकार से			
१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६
..	१	..	..	..	...	३	४	८	
...	१	..	..	..	...	३	४	८	
१३	३६	..	..	..	...	१५	२१	८५	
९५	१५८	४	..	..	...	२५९	१०६	६२२	
..	२	..	..	..	....	४	२	८	
४	१३	..	..	..	...	६	...	२३	
..		..	...	..	...	८	२	१०	१ PI
[illegible]	३	..	..	..	...	१	२	८	
१३	..	..	..	..	...	...	..	१३	
१२७	२१२	४	..	...	...	२९३	१३३	६९१	१ P
१५	...	...	..		[illegible]	१०	१७	४२	
२	६	..	...	...	...	४	३	१५	

वार्षिक विवरण-

बाल अपराधों का।

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	बालकों द्वारा किए गये अप-राधों या मामलों की संख्या
१	२	३	४
३०		ओपिएम ऐक्ट ..	१८
३१		गैम्बलिंग ऐक्ट ..	२८५
३२		इक्साइज ऐक्ट ..	१५३
३३		एक्सप्लोजिव ऐक्ट तथा इक्सप्लोजिव सब्स-टेंसेज ऐक्ट ..	४
३४		रिफारमेटरी स्कूल ऐक्ट ..	..
३५		चिल्ड्रेन ऐक्ट ..	..
३६		ब्रास्टल स्कूल ऐक्ट ...	..
३७		प्रोबेशन आफ आफेन्डर्स ऐक्ट ...	..
३८		रिलीज आन गुड कन्डक्ट प्रिजनर्स ऐक्ट	..
३९		बेगर्स ऐक्ट	...
४०		सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक ऐक्ट ..	..
४१		प्रिवेंशन आफ प्रास्टीटयूशन और देदासी ऐक्ट	..
४२		प्रिवेन्शन आफ जुविनाइल स्मोकिंग ऐक्ट ..	..
४३		हैबिचुअल आफेन्डर्स ऐक्ट ..	१
४४		इन्डियन रेलवे ऐक्ट ..	४०
		योग ...	५५८
		संपूर्ण योग ..	१,६२२

पत्र 'ज'

प्रविवरण सन् १९५९ ई०

वर्ष में पकड़े गये बाल अपराधियों की संख्या									
आयु ७—१२			आयु १२—१७			आयु १७—२१			योग (स्तम्भ ७+१०+१३)
लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	
५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
...	..	..	५	..	५	१९	..	१९	२४
३	..	३	१००	...	१००	३६४	..	३६४	४६७
२	...	२	२८	..	२८	१३९	२	१४१	[illegible]
..	..	..	...	...	..	४	..	४	[illegible]
..	...	..	..	..	..	..	..	..	..
...	..	..	...	...	...	...	..	...	..
..	..	..	..	...	..	...	..	..	..
..	..	..	...	..	..	..	..	..	..
..	...	...	..	..	...	...	..	..	..
..	..	..	...	...		..	..	..	..
..	..	..	...	..	..	...	..	..	...
..	...	..	...	...	..	..	..	..	..
..	..	...	...	..	..	..	...	..	..
..	..	..	...	...	...	१	..	१	१
७	१	८	६	..	६	३८	..	३८	५२
१४	१	१५	१३९	..	१३९	६११	३	६२३	७७६
७१	५	७६	४५६	१	४५७	१,४६०	१०	१,४७०	२,००३

वार्षिक विवरण-

बाल अपराधों का

क्रम-संख्या	विधि	अपराध	न्यायालयों में भेजे गये बाल अपराधों के मामलों की संख्या — नियमित न्यायालय	न्यायालयों में भेजे गये बाल अपराधों के मामलों की संख्या — बाल अपराध न्यायालय
१	२	३	१५	१६
३०		ओपियम ऐक्ट ..	२४	...
३१		गम्बलिंग ऐक्ट ..	४२५	४२
३२		इक्साइज ऐक्ट ..	१३२	३८
३३		एक्सप्लोजिव ऐक्ट तथा इक्सप्लोजिट सब्स-टेंसेज ऐक्ट ...	४	..
३४		रिफारमेटरी स्कूल ऐक्ट ..	..	...
३५		चिल्ड्रेन ऐक्ट ...	..	...
३६		बारसटल स्कूल्स ऐक्ट ..	...	...
३७		प्रोबेशन आफ अफेन्डर्स ऐक्ट ...	..	...
३८		रिलीज आन गुड कन्डक्ट प्रिजनर्स ऐक्ट	...	...
३९		बेगर्स ऐक्ट ...	..	...
४०		सप्रेशन आफ इम्मारेल ट्रैफिक ऐक्ट ..	..	..
४१		प्रिवेन्शन आफ प्रास्टीटयूशन और देदासी ऐक्ट	..	...
४२		प्रिवेन्शन आफ जुविनायल स्मोकिंग ऐक्ट ..	..	..
४३		हैबिचुअल आफेन्डर्स ऐक्ट ..	१	..
४४		इन्डियन रेलवे ऐक्ट ..	५१	...
		योग ...	६६९	२०५
		संपूर्ण योग ...	१,५००	५००

पत्र 'ज'

प्रविवरण सन् १९५९ ई०

बाल अपराधी							न्यायालय के विचाराधीन	बाल अपराधियों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
न्यायालय में भेजे गये		संस्थाओं में भेजे गये							
अभिभावकों को वापिस	परीक्षण में रक्खे गये	बाल सुधार स्कूलों में	अनाथालयों में	प्रमाणित स्कूलों में	उच्च शिक्षण संस्थाओं में	अन्य प्रकार से			
१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६
१	१	..	...	..	...	१३	१	२४	
७५	३७	..	...	...	...	२११	१४४	४६७	
३४	४४	...	..	...	...	५२	४०	१७०	२PI
...	...	...	...	...	...	३	१	४	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	
...	...	...	..	...	...	...	...	...	
...	..	..	...	...	...	...	...	..	
...	..	..	..	...	...	...	...	...	
...	..	..	..	...	...	...	...	...	
...			..	...	...	...	...	...	
	..	..							
...	..	...	...	...	...	...	...	...	
...	..	..	...	...	...	...	...	...	
...	..	..	...	...	...	...	...	...	
...	..	..	...	...	...	१	...	१	
१	..	..	...	...	...	४८	२	५१	१PI
१२८	८८	...	...	...	...	३४२	२१६	७७४	२PI
३०५	३८३	४	...	२	...	८१६	५००	२०००	३PI